खण्ड-479, अंक-5
शुक्रवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(01 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना ...	7
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	7-31
भारतीय ग्रैंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनन्द के शतरंज खेल में पांचवीं बार विश्व चैम्पियन बनने पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव .. .. (स्वीकृत)	32
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32-33
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर लगाने तथा विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत साउपुरा सादुल्लानगर गौरा चौकी मार्ग को जोड़ने हेतु कुवानों नदी पर अधूरे बने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद महामायानगर के अन्तर्गत हाथरस शहर, सासनी व मेडू क्षेत्रों में फैले सट्टा कारोबार को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद अलीगढ़ के इगलास तहसील में ग्राम सेवरनपुर से बोरई वृन्दावन रास्ते पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
विधान सभा क्षेत्र बौरिया बलिया में उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद बलिया के बेल्थरा रोड के घाघरा नदी के कटान एवं बाढ़ से बचने के लिये जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मऊ, रामनगर, मानिकपुर में स्थित सरकारी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में वीरांगना अवन्तीबाई चौराहा व तहसील भवन फतेहाबाद में स्थाई पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद मिर्जापुर के मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड जमतुआ बंधी का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	38
लखीमपुर के मोहम्मदी में पड़सर मार्ग का अधूरा निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
सीतापुर के हरगांव बेहता के अन्तर्गत ग्राम दोनवा, मजरा शेखनापुर तथा रुकनापुर के मध्य नाले पर रपटापुल तथा एप्रोच रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
जनपद इलाहाबाद की जिला पंचायत में सदन की बैठक से जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्यवाही रजिस्टर बिना कारण बाहर ले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद सहारनपुर में मण्डी से लेकर सैफ तक की अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 7 कि0मी0 सड़क से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
छपरौली बागपत में लिंक नहर कल्लरपुर समेत अन्य कई नहरों में कृषि दोआब परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
नियम-51 के अन्तर्गत ज्यादा सूचनायें प्राप्त होने के बारे में श्री अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण	40-41
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	41
केन्द्र सरकार द्वारा गैर संवैधानिक संस्थाओं के लिये धन हस्तान्तरित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना	41-44
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	44-45

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-सूची के क्रमानुसार ही मद लिये जाने का अनुरोध	45
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (उन्नीसवां संशोधन) विनियम, 2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	46
केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011 (सदन के पटल पर रखी गयी)	46
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 (सदन के पटल पर रखी गयी)	46
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-421/ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (71)-2011 (सदन के पटल पर रखी गयी)	46-47
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-422/ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0 अधि0-30-07 आदेश (72) (सदन के पटल पर रखी गयी)	47
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-930/ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (75)-2011 (सदन के पटल पर रखी गयी)	47
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	48-97
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	97-99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 01 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-357

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
32. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
33. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
36. अविनाश, श्री — सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इकबाल, श्री — बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
45. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर

49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
53. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
54. उमाशंकर, श्री बलिया
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
61. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
63. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
64. कामेश्वर, श्री देवरिया
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
71. कैलाश, श्री गाजीपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
81. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
82. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
83. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
84. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
85. गोमती यादव, श्री लखनऊ
86. गोरख पासवान, श्री बलिया
87. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
88. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
89. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
90. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
91. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
92. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
93. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
94. जगपाल, श्री सहारनपुर
95. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
96. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
97. जफर आलम, श्री अलीगढ़
98. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
99. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
100. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
101. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
102. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
103. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107. तसलीम, श्री बिजनौर
108. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद

109. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
112. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
113. दलजीत सिंह, श्री बांदा
114. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
115. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
116. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
117. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
118. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
119. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
120. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
121. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
122. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
123. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
125. धर्मराज, श्री बाराबंकी
126. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
128. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
129. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
130. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
131. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
132. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
133. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
136. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
138. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
139. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
140. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
141. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
142. पीतमराम, श्री पीलीभीत
143. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
144. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
145. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
146. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
147. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
148. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
149. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
150. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
151. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
152. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
153. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
154. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
155. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
156. बदलू खां, श्री उन्नाव
157. बब्बन, श्री चन्दौली
158. बाबू खां, श्री हरदोई
159. बाबूलाल, श्री गोण्डा
160. बावन सिंह, श्री गोण्डा
161. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
162. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
163. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
165. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
166. बैजनाथ, श्री मऊ
167. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
168. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
169. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
170. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
171. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर

172. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
173. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
174. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
175. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
176. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
177. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
178. मनबोध, श्री देवरिया
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
181. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
182. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
183. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
184. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
185. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
186. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
187. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
188. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
189. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
190. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
191. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
194. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
195. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
196. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
197. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
198. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
199. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
200. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
201. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
202. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
203. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
204. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
205. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
206. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
207. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
208. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
209. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
210. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
211. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
212. यासर शाह, श्री बहराइच
213. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
214. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
215. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
217. रणजीत सुमन, श्री एटा
218. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
219. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
220. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
221. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
222. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
225. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
227. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
228. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
229. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
230. राजकुमार रावत, श्री मथुरा

231. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री — महोबा
232. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
233. राजमती, श्रीमती — गोरखपुर
234. राजाराम, श्री — प्रतापगढ़
235. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
236. राजेन्द्र, श्री — गोरखपुर
237. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
238. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
239. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
240. राजेश यादव, श्री — शाहजहांपुर
241. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
242. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
243. राधेलाल रावत, श्री — उन्नाव
244. राधेश्याम, श्री — छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
245. राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
246. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
247. राम करन आर्य, श्री — बस्ती
248. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री — भीमनगर
249. रामगोपाल, श्री — बाराबंकी
250. राम गोविन्द, श्री — बलिया
251. रामचन्द्र चौधरी, श्री — सुल्तानपुर
252. रामचन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
253. रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
254. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
255. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
256. राम मगन, श्री — बाराबंकी
257. राममूर्ति वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
258. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
259. रामलाल अकेला, श्री — रायबरेली
260. रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
261. रामशरन, श्री — लखीमपुर खीरी
262. राम सिंह, श्री — प्रतापगढ़
263. रामस्वरूप सिंह, श्री — रमाबाई नगर
264. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
265. रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
266. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
267. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 — लखनऊ
268. रूबी प्रसाद, श्रीमती — सोनभद्र
269. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
270. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री — सन्तकबीर नगर
271. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती — भीमनगर
272. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
273. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
274. लोकेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
275. लोकेश दीक्षित, श्री — बागपत
276. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
277. वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
278. विजय पासवान, श्री — सिद्धार्थनगर
279. विजय मिश्र, श्री — सन्त रविदास नगर (भदोही)
280. विजय कुमार, डा0 — गोरखपुर
281. विजय कुमार दूबे, श्री — कुशीनगर
282. विजय कुमार मिश्र, श्री — गाजीपुर
283. विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
284. विजय सिंह, श्री — रामपुर
285. विनय तिवारी, श्री — लखीमपुर खीरी
286. विनोद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
288. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
289. विशम्भर सिंह, श्री — बांदा
290. वीरपाल राठी, श्री — बागपत
291. वीर सिंह, श्री — चित्रकूट

292. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
293. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
294. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
295. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
296. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
297. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
298. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
299. शाकिर अली, श्री देवरिया
300. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
301. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
302. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
303. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
304. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
305. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
306. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
307. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
308. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
309. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
310. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
311. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
312. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
313. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
314. संजय कपूर, श्री रामपुर
315. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
316. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
317. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
318. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
319. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
320. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
321. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
322. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
323. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
324. सन्तराम, श्री जालौन
325. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
326. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
327. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
328. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
329. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
330. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
331. सियाराम सागर, डा0 बरेली
332. सीमा, श्रीमती जौनपुर
333. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
334. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
335. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
336. सुधाकर, श्री मऊ
337. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
338. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
339. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
340. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
341. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
342. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
343. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
344. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
345. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर

346.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	353.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
347.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	354.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
348.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	355.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
349.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	356.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
350.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	357.	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
351.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी			
352.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर			

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

कुछ क्षणों के बाद वित्तीय वर्ष 2012-13 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है :-

''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद, भीमनगर, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करेंगे और ''नहीं'' सभाकक्ष में नाम निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें। बजट की प्रतियां बांट दी जायें।

(सभी सदस्यों को बजट की प्रतियां वितरित की गईं)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

*मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2012-2013 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, यह मेरा परम् सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस सम्मानित सदन के समक्ष मुझे वित्तीय वर्ष 2012-2013 का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए अपार जन-समर्थन देकर इस सरकार को चुना है। जनता की इस सरकार से बड़ी अपेक्षायें हैं।

विगत पांच वर्षों में इस प्रदेश की जो दुर्गति हुई है उससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हुई है अपितु हमारे सामाजिक ताने-बाने पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थापित हुआ। समाजवादी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विकास व जन-कल्याण की लगभग सभी योजनाओं को वर्ष 2007 में बन्द कर दिया गया। जनता की गाढ़ी कमाई को अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक उत्थान की योजनाओं, ग्रामीण विकास, अवस्थापना सुविधाओं आदि के स्थान पर पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों पर लगा दिया गया। प्रशासन दिशाहीन हो गया और उसका मनोबल लगातार टूटता चला गया। प्रदेश भ्रष्टाचार, निरंकुश राजतंत्र, अलोकतांत्रिक परम्पराओं और अवनति के गहरे गड्ढ़े में धकेल दिया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा गलत बयानी की जा रही है।

(नेता विरोधी दल के बोलते रहने और मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पढ़ते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिये, जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा तो आपको जो कुछ कहना है, कह लीजियेगा, अभी आप कृपया बैठ जाएं। माननीय नेता विरोधी दल, बजट में व्यवधान नहीं डाला जाता, आप बैठ जाइये। आपकी पूरी बात कहने का पूरा मौका मिलोगा, आप भी तो इसके बाद बोलेंगे। आप अभी कृपया बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस बजट में बार-बार महापुरुषों के अपमान के सिवाय और कोई नई बात नहीं है। यह बजट दलित विरोधी है, यह बजट महापुरुषों के अपमान का बजट है।

श्री अध्यक्ष-

जब आप बजट पर कहियेगा तो अपनी बात कह लीजियेगा अभी आप बैठ जायें। नेता विरोधी दल जो कुछ भी कह रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा, अब मुझे मजबूरी में यही कहना पड़ेगा। आप बैठिये, कृपया आप बैठ जाइये, आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x]

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के बहुजन समाज पार्टी के दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, विरासत में हमें जर्जर अर्थव्यवस्था, टुकड़ों में बंटा समाज, सभी कीर्तिमान तोड़ता हुआ भ्रष्ट तंत्र, बिगड़ी कानून व्यवस्था और हताश-निराश प्रशासनिक तन्त्र मिला है। विगत वर्षों में जनता की सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति मानकर व सभी नियमों को ताक पर रखकर उसका मनमाना उपयोग किया गया। एक ऐसा निरंकुश प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया जिसमें सिर्फ चापलूसों और भ्रष्टाचारियों का एकछत्र राज था।

प्रदेश की जनता ने इस दौरान प्रजातंत्र पर कुठाराघात का दुःखदायी नजारा देखा है। लोकतांत्रिक गतिविधियां को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। शान्तिपूर्ण व अहिंसक प्रतिरोध तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी। भय एवं आतंक का माहौल पूरे पांच वर्ष प्रदेश में बना रहा। समाजवादी सोच इस दिशा की ओर पूर्णतः समर्पित है कि सामाजिक विकास कुछ हाथों में सत्ता व ताकत से नहीं वरन् लोकतंत्र के सशक्तिकरण के माध्यम से होता है। इसी विश्वास के साथ हमारी सरकार पुनः सबकी आवाज को स्थान देने व कानून के राज को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, समाजवादी सरकार की मान्यता है कि सार्वजनिक निधि के ऊपर इस सम्मानित सदन का अधिकार होता है। निधि के स्वामी की अनुमति से प्रदेश के खजाने को प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च करने का हमारा व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के मान्य सिद्धान्तों को मजबूत बनाने वाला है।

एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जनाकांक्षाओं को पूरा करने का जो पुनीत दायित्व हमें मिला है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ इस सदन के सहयोग व मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करेंगे।

माननीय नेताजी, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 1990-91 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ''हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं। हम समाज के हर वर्ग को इतना शक्तिशाली और समृद्ध बनाने तथा ऐसी चेतना से सम्पन्न करना चाहते हैं कि उसमें अपने उत्थान के लिए स्वयं सामर्थ्य पैदा हो। इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीति में आये हैं। हमारी राजनीति का आधार सिद्धान्तों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं से निर्मित हुआ है। सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है।''

उत्तर प्रदेश जो कभी विकास में देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, विगत पांच वर्षों में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे छूट गया है, हमें इसे पुनः विकास के पथ पर नई सोच के साथ तीव्र गति से आगे ले जाना है। हमने युवा पीढ़ी व नौजवानों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प किया है। प्रदेश के नौजवानों में प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने की क्षमता है। इस क्षमता का भरपूर उपयोग हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा।

मान्यवर, विगत दो माह में ही प्रदेश की जनता को सकारात्मक परिवर्तन की अनुभूति हुई है। निरंकुश शासन की जगह पारदर्शी व जवाबदेह शासन, भ्रष्ट और संवेदनहीन प्रशासनिक व्यवस्था की जगह ईमानदार एवं संवेदनशील प्रशासन तथा सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धताओं के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमें एक ऐसा सम्पन्न एवं शक्तिशाली प्रदेश बनाना है जिसमें विकास की गति त्वरित एवं निर्बाध हो तथा जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो। हमारा लक्ष्य गरीब व असहाय लोगों तथा किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट लाना है। हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसमें प्रशासनिक मनोबल वापस आये तथा उसकी क्षमता में वृद्धि हो और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ-साथ उत्तरोत्तर प्रगति हो।

मान्यवर, विधान सभा चुनावों के पूर्व हमने प्रदेश की जनता से समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिये और प्रदेश के समग्र विकास हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाये जाने का वायदा किया था। यह जानकर आपको खुशी होगी कि जनकल्याण और विकास की हमारी प्रतिबद्धताओं को मूर्तरूप देने के लिये और इन वायदों को पूरा करने के लिये प्रस्तुत बजट में कई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

शपथ ग्रहण करने के पश्चात् सबसे पहले हमारी समाजवादी सरकार ने चुनावी घोषणा-पत्र पर अमल करते हुए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पारित की जो अब बजट

व्यवस्था के साथ अमल में लायी जायेगी। इसमें बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए हमने अपने बजट में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों को टैबलेट एवं लैपटॉप दिये जाने की योजना भी बन रही है। शीघ्र ही छात्रों को इनका वितरण प्रारम्भ हो जायेगा जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों की शुरुआत होगी। जब गांव-गांव में लैपटॉप एवं टैबलेट पहुंचेंगे तो गांव के विद्यार्थियों में कम्प्यूटर का डर दूर हो जायेगा तथा गांव में रहने वाले तथा गरीब घर के बच्चों को भी रोजगार एवं तरक्की के वो अवसर मिल सकेंगे जो अभी केवल शहर में रहने वाले साधन सम्पन्न वर्ग के बच्चों को ही मिल पाते हैं। बजट में इसके लिये हमने 2,721.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पिछली समाजवादी सरकार ने छात्राओं के लिये कन्या विद्या धन योजना लागू की थी जिसे पिछली सरकार ने बन्द कर दिया था। इस योजना को पुनः चालू करके प्रदेश की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित किया जायेगा और इसके लिये हमने 446.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में कृषक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की थी। हमारी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र के एक और वायदे को पूरा करते हुए किसानों के हित के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है जिसके लिये हमने 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है।

हमारी सरकार की रणनीति का एक पहलू यह भी होगा कि प्रदेश में आर्थिक विकास का एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे पूंजी निवेशकों का सरकार की नीतियों में विश्वास बढ़े और अधिकाधिक निजी पूंजी निवेशकों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2012-2013 की संक्षिप्त रूपरेखा सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

- इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार द्वारा 2012-2013 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये (2,00,110.61 करोड़ रुपये) है जो अब तक प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक है तथा गत वर्ष 2011-2012 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य का बजट दो लाख करोड़ की सीमा पार कर रहा है।
- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें अपने स्वयं के कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य के चहुंमुखी विकास एवं प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।
- वर्ष 2012-2013 बारहवीं योजना (2012-2017) का प्रथम वर्ष है। इस दृष्टि से वर्ष 2012-2013 के बजट में 13,650.36 करोड़ रुपये की 280 नई योजनायें सम्मिलित की गई है।

- अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये 23,591.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है। मुख्य रूप से बिजली की नई योजनाओं के लिये 585.69 करोड़ रुपये, शहरी विकास की नई योजनाओं के लिये 473.92 करोड़ रुपये त्वरित आर्थिक विकास के लिये 500 करोड़ रुपये, सड़कों और सेतुओं के निर्माण की नई योजनाओं के लिये 2,489.03 करोड़ रुपये तथा सिंचाई की नई योजनाओं के लिये 740.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये 5,432.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये 33,263.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 17 प्रतिशत है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु बजट 2012-2013 में 7,033.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की व्यवस्था से 21 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 3.7 प्रतिशत है।
- समाज कल्याण की योजनाओं के लिये 14,950.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 7.9 प्रतिशत है।

वर्ष 2012-2013 में प्रारम्भ किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष जी,

मैंने अभी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया है परन्तु अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बजट में सम्मिलित कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

किसानों के लिये योजनायें

- यह सम्मानित सदन किसानों के लिये हमारी प्रतिबद्धता से भलीभांति अवगत है। किसान दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। किसानों की एक अन्य बड़ी समस्या उन पर बढ़ता कर्ज का बोझ है।
- किसानों के लिये ऋण राहत योजना बनायी जा रही है। प्रदेश के ऐसे किसानों जिन्होंने अपनी कृषि भूमि को बन्धक रखकर प्रदेश के सहकारी बैंकों से कृषि सम्बन्धित कार्यों हेतु एक निश्चित अधिकतम धनराशि तक ऋण लिया है और ऋण अदा न कर पाने के कारण भूमि की नीलामी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, को राहत प्रदान करने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भूमि सेना योजना को पुनर्जीवित कर चलाये जाने हेतु 47.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत ऊसर, बंजर तथा बीहड़ जमीन को खेती योग्य बनाकर भूमिहीन एवं गरीबों को आवंटित किया जायेगा।

- गन्ना किसानों को अवशेष बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- आगामी रबी 2012-2013 हेतु 8 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक एवं 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद के पूर्व भण्डारण की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2012-2013 में खरीफ हेतु 15.42 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012-2013 में खरीफ हेतु 17.30 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है। इसके लिये 137.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- हमारी सरकार किसानों के हित में उनकी भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप शीघ्र ही एक नई भूमि अधिग्रहण नीति भी लेकर आयेगी जिससे व्याप्त विसंगतियों का समाधान होगा और किसानों को राहत महसूस होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। हमने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाये हैं।

- **डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना**

प्रदेश के चयनित पिछड़े राजस्व ग्रामों के चहुंमुखी विकास हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

योजना के अन्तर्गत 36 विकास कार्यक्रमों से पांच वर्षों में लगभग 10,000 ग्रामों को विकसित किये जाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण (2012-2013) में लगभग 1600 ग्राम लिये जायेंगे। प्रत्येक जनपद हेतु ग्रामों की संख्या का निर्धारण पिछड़ेपन सूचकांक के आधार पर किया जायेगा।

- **डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना**

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 748 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 300.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **लोहिया ग्रामीण आवास योजना**

हमारी सरकार द्वारा ''लोहिया ग्रामीण आवास योजना'' प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **ग्रामीण विद्युत फीडर**

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु पृथक विद्युत फीडर की स्थापना के लिये यथोचित राज्यांश की व्यवस्था की जा रही है

- **सौर ऊर्जा**

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनायें स्थापित करने के लिये अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। सौर विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

समाजवादी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए उन्नति के अवसर खोलने के लिए कृत संकल्प है। हमने इस दिशा में बजट के माध्यम से कई कदम उठाये हैं।

- प्रदेश के सभी बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 योजना/अन्त्योदय योजना या किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। योजनान्तर्गत 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 1,111.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिये 2,074.11 करोड़ रुपये की योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिये चहारदीवारी के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के मुस्लिम परिवारों की दसवीं कक्षा पास बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिये अनुदान प्रदान किये जाने की योजना 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से प्रारम्भ की जा रही है। यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वर्गों के परिवारों की कक्षा-10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी बजट में योजना प्रस्तावित है।
- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 में लगभग 75,000 नये लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जिसके लिये 276.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 407.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी गरीबों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- मेहनतकश शहरी गरीब लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी की अभिनव योजनायें प्रस्तावित हैं। प्रदेश के रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना प्रमुख है। इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की नयी योजना ''आसरा'' के अन्तर्गत सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लाभार्थी लिये जायेंगे। इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- हमारी सरकार लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित कर रही है जो हमारी ही पिछली सरकार द्वारा व्यवस्थित राशि से 8.80 करोड़ रुपये अधिक है।

युवा वर्ग के लिये योजनायें

- युवा वर्ग हमारी सरकार का केन्द्र बिन्दु है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है लेकिन जब तक युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं होता तब तक उनकी बेहतरी हेतु प्रदेश के 30 से 40 वर्ष की आयु के युवा बेरोजगारों को लाभान्वित करने के लिये शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना से प्रदेश के लगभग नौ लाख बेरोजगार युवक/युवतियां लाभान्वित होंगे।
- प्रदेश में दसवीं कक्षा पास कर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के लिये 302.39 करोड़ रुपये तथा बारहवीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने के लिये 2,418.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना भी की जा रही है जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करने वाले प्रदेश के नागरिकों जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कर्मचारियों के लिये

- मैं सम्मानित सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा वेतन आदि मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि सरकारी कर्मचारियों तथा

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन एवं बकाया के भुगतान में कठिनाई का सामना न करना पड़े जैसा कि गत वर्ष में कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट में 56,089.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

- सम्मानित सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कोषागारों से किये जाने वाले भुगतान ई-पेमेन्ट के द्वारा किये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आयेगी तथा पेंशनरों को अधिक सुविधा होगी।

- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज हेतु 5 करोड़ रुपये की रिवाल्विंग फण्ड योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

- प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है जिसमें हमारी सरकार द्वारा 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना पर निकट भविष्य में केन्द्रीय योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही। इतना ही नहीं, देश और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में गैप बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गया। अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण औद्योगीकरण की गति बाधित रही।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2012-2013 में प्रदेश की योजना का आकार 51,000 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है।

विकास की प्राथमिकताओं को मूर्तरूप प्रदान किये जाने हेतु सरकार द्वारा विशेष महत्व के ''थ्रस्ट एरियाज'' चिन्हित किये गये हैं जिनमें योजनाओं का सतत् प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की गहन समीक्षा की जायेगी ताकि इनका सही क्रियान्वयन हो सके तथा केन्द्र सरकार से समय से तथा अधिकतम धनराशि प्राप्त हो सके।

प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। इस क्रम में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ रुपये, प्रदेश के त्वरित विकास के लिये 500 करोड़ रुपये, बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रुपये तथा ''इन्टीग्रेटेड ऐक्शन प्लान'' योजना में सम्मिलित कार्यों के लिये 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रुपये एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूंगा।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भयमुक्त एवं अपराधमुक्त वातावरण में जीवन-यापन कर सके एवं प्रदेश में साम्प्रदायिक तथा जातिगत सौहार्द बना रहे। इसके लिये सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करने के लिये पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिये 10,378.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु तीन महानगरों लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर में महत्वपूर्ण चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है।

पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या से हमारी सरकार भलीभांति अवगत है। अतः पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 में 417.75 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उप निरीक्षक एवं विवेचना अधिकारियों के लिए गौतमबुद्ध नगर में 25 कमरों का एक ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

कृषि

हमारी सरकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि देश की तरक्की किसानों की तरक्की के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकार कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती है।

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिये 5,432.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान खरीफ सत्र 2012 में 182.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 1.81 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 2,721.26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

संकर मक्का बीज, मूंगफली व गन्ने के उन्नतशील बीजों की उपलब्धता के लिये 72.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

''राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मिशन'' प्रदेश में इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि औद्यानिक फसलों की क्षति होने पर किसानों के नुकसान को कम करा जाय।

पान उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किये जाने की योजना प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है।

प्रदेश के जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान तथा पार्कों की स्थापना हेत 4.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगारी की समस्या को कम करने के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2012-2013 में 80 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यांश के रूप में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों हेतु वर्ष 2012-2013 में 41,000 नये हैण्डपम्प, 41,000 रिबोर हैण्डपम्प तथा 800 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चलाया जाना प्रस्तावित है।

पंचायती राज

पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के लिए 5,311.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत शौचालय विहीन बी0पी0एल0 परिवारों के लिये शौचालय निर्माण हेतु 51.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास

वर्तमान दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नई समितियों का गठन तथा निष्क्रिय समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा।

पांच लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता का एक डेरी प्लाण्ट जनपद लखनऊ में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन

प्रदेश के गांवों में समग्र पशुपालन विकास के कार्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य है जिसमें चयनित ग्रामों को आधुनिक पशुधन प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

पशु रोग अनुसंधान सेवाओं एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अन्त तक मत्स्य उत्पादन का स्तर 4.60 लाख मीट्रिक टन लाये जाने का लक्ष्य है।

मछुआ समुदाय के समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय के आवास विहीन 1500 मछुआ परिवारों को 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करायी जायेगी।

ऊर्जा

प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने तथा आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिये 8,225.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पूर्व में स्थापित एवं चालू विद्युत गृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हेतु पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण की योजना विकसित की जायेगी।

बिजली उत्पादन और वितरण योजनाओं के लिये 3,429.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश की जनता को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति की मद में 4,040 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुनकरों को राहत प्रदान करने हेतु पावरलूम बुनकरों के बकाया बिजली बिलों के एक मुश्त भुगतान हेतु लगभग 127.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं यातायात

सड़कों के लिये 4,595.68 करोड़ रुपये, सेतुओं के लिये 1,330.10 करोड़ रुपये तथा सम्पर्क मार्गों के लिये 914.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पी0पी0पी0 मोड़ पर सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में 1,77,094 किलोमीटर राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण हेतु 1,854.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष 2013 में जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेला के आयोजन हेतु मार्गों के सुधार हेतु लगभग 256 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 550 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

सिंचाई कार्यों के लिये 8,525.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में कुल 10,510 नहरें हैं। वर्ष 2012-2013 में खरीफ में 9,654 नहरों तथा रबी में 9,850 नहरों के टेलों पर पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है जो अब तक सर्वाधिक है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना हेतु धनराशि 2,517.86 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों आदि हेतु 724.75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की क्षतिग्रस्त पटरियों को ठीक किये जाने हेतु 1,816.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नहरों की सिल्ट सफाई कार्य में जनसहभागिता के माध्यम से पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा सिल्ट सफाई का कार्य खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के पूर्व कराया जायेगा।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1,344.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000 मध्यम गहरे नलकूप 1,000 गहरे नलकूप, 300 सतही पम्पसेट, 5,479 सामुदायिक ब्लास्ट कूप तथा 539 चेकडैम आदि कार्य प्रस्तावित हैं।

नगर विकास

नगर विकास की योजनाओं के लिये 5,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

नगरीय स्थानीय निकायों में जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकताओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ''नया सवेरा नगर विकास योजना'' जिसके लिये 241 करोड़ रुपये के ऋण हेतु बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आगरा पेयजल पूर्ति परियोजना हेतु 290 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 17 नगरीय निकायों में पी0पी0पी0 मोड़ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना आरम्भ की जा रही है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी हेतु वर्ष 2012-2013 में 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 76 करोड़ रुपये, सीवरेज हेतु 60 करोड़ रुपये, पेयजल के लिये 474.07 करोड़ रुपये तथा जल निकासी के लिये 44.99 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के लिये 200 करोड़ रुपये की पृथक बजट व्यवस्था की गयी है।

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 627.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार योजना में शहीद पथ के समानान्तर 137 एकड़ क्षेत्रफल पर पी0पी0पी0 मोड़ पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स विकसित किया जायेगा।

लखनऊ में 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा पार्क की स्थापना की जायेगी जो हरियाली से भरपूर होगा। लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वातावरण सृजित करने के लिये अवस्थापना विकास को मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाये जाने का लक्ष्य है।

आगरा से लखनऊ तक 08 लेन एक्सप्रेस कन्ट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तथा 04 लेन की नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, गाजियाबाद को पी0पी0पी0 के अन्तर्गत थ्रस्ट एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया है।

प्रदेश में उद्योगों का त्वरित विकास करने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, 2012 तैयार कर प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जायेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये कृत संकल्प है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जायेगी।

इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये सभी स्टेक होल्डर्स के समन्वय से नई सूचना नीति, 2012 लागू की जायेगी।

राज्य में ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को शासकीय एवं अन्य सेवायें निजी क्षेत्र की सहभागिता से जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त 01 जुलाई, 2012 से विभिन्न विभागों की चयनित 26 सेवाओं यथा राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि के फार्म्स स्टेट पोर्टल के जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जमा किये जा सकेंगे।

लघु उद्योग

वित्तीय वर्ष 2012-2013 हेतु 50,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत चार लाख व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के माल के विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने के लिये हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित करते हुए समुचित बजट व्यवस्था की जा रही है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के लिये एक नयी आर्थिक पैकेज योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक हथकरघा समितियों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों को ऋण मुक्त किये जाने हेतु पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लगभग 17,000 बुनकरों को एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा, जिसके लिये 33.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

हमारी सरकार का वायदा है कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसके दृष्टिगत बेसिक शिक्षा के लिये 25,109.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

सर्वशिक्षा अभियान के लिये 1,700.01 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की गयी है तथा जहां-जहां केन्द्र सरकार द्वारा मापदण्डों में कमी की गई है वहां राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जैसे कक्षा-8 तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों व दो यूनीफार्मों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 3,466 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 421 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 15,262 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व 52,834 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हेतु लगभग 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के उपरान्त नियमित करते हुए समायोजन की कार्यवाही 2014-2015 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं अवशेषों के भुगतान में कोई कठिनाई न आये, इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 16,367.51 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1.35 करोड़ बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1,988.94 करोड़ रुपये राज्यांश की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की भी व्यापक व्यवस्था की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा

कक्षा-8 के बाद अधिक से अधिक बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें, के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिये 9,612.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में भी माध्यमिक शिक्षा की सुलभता हेतु 449 नवीन राजकीय हाई स्कूलों का संचालन तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 148 मॉडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी तथा मुस्लिम बाहुल्य जिलों में नये शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जायेगी। 144 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यांश के रूप में 17.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 198 उच्चीकृत विद्यालयों के अधूरे भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 2,501.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश के ''लो ग्रॉस इनरॉलमेन्ट रेशियो'' वाले 36 जनपदों कें मॉडल डिग्री कालेज खोले जाने की योजना है। इनमें 23 असेवित विकास खण्ड तथा 5 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा के लिये 476.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं तथा असेवित जनपदों में पॉलीटेक्निक खोलने हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा हेतु 507.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्किल डेवलपमेन्ट हेतु भारत सरकार से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि का बजट प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 में किया गया है।

सोनभद्र में एक आई0टी0आई0 तथा 02 स्क्लि डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना किये जाने हेतु 2.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा हेतु 1,907.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग तथा गुर्दा रोग के निःशुल्क इलाज हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रत्येक मण्डल में मेडिकल कालेज की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिये हमारी सरकार प्रयासरत है। नये निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों व सैफई के पैरामेडिकल संस्थान को शीघ्र चालू कराने का प्रयास है, जिसके लिये बजट में 249.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

एलोपैथी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु 4,419.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

जिला चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरणों के अभाव को देखते हुए सी0टी0 स्कैन मशीन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 115 एक्सरे मशीन, 99 अल्ट्रासाउन्ड मशीनों तथा 455 ई0सी0जी0 मशीनों की व्यवस्था हेतु 33 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से आम जनता को जिला स्तर पर ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

67 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे चिकित्सालयों में विद्युत की निर्बाध पूर्ति हो सकेगी तथा आपरेशन आदि नियमित हो सकेंगे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश विगत कई दशकों से जापानी इन्सेफलाईटिस की बीमारी से पीड़ित हैं। इस अभिशाप से प्रदेश को मुक्त कराने हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं प्रभावित जनपदों के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत चिकित्सा व्यवस्था हेतु तैयार किया जायेगा।

समाज कल्याण

समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिये 13,407.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की मद में लगभग 1,232.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु 1,473.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु 138 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है।

मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पूर्व दशम् कक्षाओं के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वजीफा दिये जाने की योजना के अन्तर्गत 342.94 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को वजीफा दिये जाने हेतु 130.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिये 36.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित जनपदों में निर्माण की विभिन्न योजनाओं हेतु 480.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछले वर्ग के कल्याण हेतु बजट में 1,619.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना हेतु 743.44 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 332.17 करोड़ रुपये और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 413.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी तथा उनकी पुत्रियों की शादी हेतु 90.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश सरकार गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने एवं उनके समन्वित विकास के लिये वचनबद्ध है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये मासिक कर दिया गया है जिससे 3.5 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

''स्वाधार गृह योजना'' के नाम से नई योजना संचालित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

खेल एवं युवा कल्याण

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में क्रीड़ा और खेल मैदानों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा असेवित जनपदों में स्टेडियम के निर्माण हेतु 43.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के विस्तार तथा लखनऊ के के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के कार्यों हेतु 124.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रत्येक वर्ष प्रदेश में तीव्र बाढ़ आने से गांव के गांव बह जाते रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिये विगत पांच वर्षों में कोई प्रयास नहीं किया गया। पहली बार हमारी सरकार ने इस दिशा में सार्थक कार्यवाही करते हुए तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस हेतु भूमि क्रय के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

न्याय

जनपदीय न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-2013 में रुपये 362.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को 40 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन

उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के वनों, वन्य जीवों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद इटावा में शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकसित किया जायेगा। इसके लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पक्षी विहारों तथा पार्कों के विकास, ईको पर्यटन विकास तथा फारेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यटन

प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थलों के विकास के लिये 98.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

संस्कृति

प्रदेश के उन कलाकारों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट योगदान द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उन्हें ''यश भारती'' सम्मान से पुरस्कृत किये जाने के लिये हमारी सरकार ने सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर ग्यारह लाख प्रति कलाकार कर दी है।

प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखने, नृत्य कला जो हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है को संरक्षित करने हेतु 6.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यावरण

अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूर्ण करने हेतु समाजवादी सरकार द्वारा पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है। वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से 62,057.06 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित हैं जो वर्ष 2011-2012 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियां

- वर्ष 2012-2013 में एक लाख चौरानवे हजार तीन सौ सत्ताइस करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये (1,94,327.28 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में एक लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सैंतालिस करोड़ छियानवे लाख रुपये (1,58,847.96 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा पैंतीस हजार चार सौ उनासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (35,479.32 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2012-2013 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचासी करोड़ चालीस लाख रुपये (1,21,585.40 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश उनसठ हजार पांस सौ अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख रुपये (59,528.34 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- वर्ष 2012-2013 में कुल व्यय दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये (2,00,110.61 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में एक लाख बावन हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ इकसठ लाख रुपये (1,52,963.61 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतालीस हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ रुपये (47.147 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2012-2013 के बजट में छप्पन हजार एक सौ दस करोड़ चौदह लाख रुपये (56,110.14 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2012-2013 में पांच हजार आठ सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये (5,884.35 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2012-2013 में इक्कीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ छब्बीस लाख रुपये (21,570.26 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2012-2013 में घाटा पांच हजार सात सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख रुपये (5,783.33 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2012-2013 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये दो हजार पांच सौ दस करोड़ रुपये (2,510 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2012-2013 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम तीन हजार तीन सौ तेइस करोड़ तैंतीस लाख रुपये (3,323.33 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2012-2013 में प्रारम्भिक शेष तेरह हजार पांच सौ सात करोड़ सत्तानवे लाख रुपये (13,507.97 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष दस हजार एक सौ चौरासी करोड़ चौंसठ लाख रुपये (10,184.64 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

हमारी सरकार महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं के सेवा, सादगी और ईमानदारी के शाश्वत सिद्धान्तों के आधार पर काम कर रही है। श्रद्धेय लोहिया जी कहते थे कि ''बाकी सरकारें बोली से काम चलाती हैं, हमारी सरकार काम से बोलेगी। हमारी सरकार तरक्की के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बहबूदी में विश्वास करती है। हमारी नीति और कार्यक्रम का अभीष्ट समाज का अन्तिम व्यक्ति है।''

हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और महानायकों द्वारा एक ऐसे भारत की परिकल्पना की गयी थी, जहां सबको विकास के समान व पूरे अवसर मिलें, संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो, सबको समान व सुलभ शिक्षा मिले, हर एक को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हों और जहां कोई बेरोजगार न हो। इसको साकार करने की विनम्र कोशिश निश्चय ही हमारे बजट में दिखाई देगी। हम समाज और विकास की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाते हुए सर्वांगीण विकास का एक ऐसा अध्याय लिखना चाहते हैं, जो पर्यावरण-हितैषी भी हो। हम आधुनिक तकनीक व प्रदेश की युवा ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करते हुए जनाकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस सम्मानित सदन के माननीय विद्वान सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, प्रदेश के समग्र विकास की इस पहल में हमारा सहयोग करें। प्रदेश की जनता ने अपने हित रक्षार्थ ही हमें चुनकर यहां भेजा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी माननीय सदस्यगण जनता के उस विश्वास की रक्षा करेंगे जो उसने हमारे ऊपर व्यक्त किया है।

मान्यवर, मैं मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त सुश्री वृन्दा सरूप और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं।

राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2012-2013 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक दो स्पष्टीकरण बजट भाषण पर अगर आपकी अनुमति हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, चर्चा में ले लीजियेगा। इसमें तो पूछा नहीं जाता है। हमेशा बजट प्रस्तुत करते समय नहीं पूछा जाता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पूछा नहीं जा रहा, स्पष्टीकरण ले रहा हूं जो भ्रम है उसको दूर कर रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो।

मान्यवर, इतनी बात तो सही है जिस अधिकारी ने भी यह बजट भाषण लिखा है, बहुत होशियार आदमी हैं क्योंकि जितनी भी मदें चल रही हैं जितनी विकास की योजनायें चल रही हैं उनको मिला करके नये कार्यक्रम को जोड़ करके ...

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप अपने भाषण में कहेंगे। माननीय हुकुम सिंह जी, यह परिपाटी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष-

सवाल नहीं होता, आप बैठ जायें, आप विद्वान सदस्य हैं। आप ऐसी परिपाटी क्यों पैदा करते हैं जो नहीं है। देखिये जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो आप भाषण करेंगे, आज नहीं, जब

माननीय मुख्य मंत्री अन्तिम भाषण देंगे तब आप स्पष्टीकरण मांगेंगे, आप थोड़ा बाहर पत्रकारों को अवसर दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जानकारी यहां आज कैसे हो पायेगी। आज जानकारी नहीं हो सकती। आज मेरी बात मानकर आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

आपकी बात तो माननी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी।

श्री अध्यक्ष-

आज नहीं, यह परिपाटी न डालिये। आप भी बजट प्रस्तुत करते थे हम यहां देखते थे, ऐसी नहीं कभी परिपाटी पड़ी कि तुरन्त स्पष्टीकरण मांगा जाय, चर्चा हो जाती है, जब वित्त मंत्री उसका अन्तिम उत्तर देते हैं तब तमाम स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं, बजट प्रस्तुत करते समय स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता। आप इस पर आज कुछ न पूछिये। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जायें, जब चर्चा होगी तो आपको तो बहुत समय मिलता है, आप होशियार और विद्वान सदस्य हैं, आप अपनी सारी बातों को संजीदगी से रखते हैं। यह परिपाटी नहीं है आज।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बजट के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, एक नयी परिपाटी न डालिये मेरा आग्रह है कि आप बैठ जायें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपसे तो कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप आइयेगा हमारे चैम्बर में बात कर लीजियेगा फिर अगली बार बात होगी। नई परिपाटी न डालिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जायं, बैठ जायें।

यह परिपाटी नहीं है हम लोग भी इस सदन में रहे हैं, ऐसा नहीं है, बजट पेश हो जाता है तो इस तरह के तुरन्त स्पष्टीकरण नहीं पूछे जाते हैं। जब बजट पर चर्चा होती है और अन्तिम उत्तर माननीय वित्त मंत्री देते हैं तब पूछा जाता है, आप बैठ जायें, मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप बैठ जायें।

भारतीय ग्रेंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनन्द के शतरंज खेल में पांचवी बार विश्व चैम्पियन बनने पर नियम-110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्व चैम्पियन श्री विश्वनाथन आनन्द हाल ही में इजरायल के बोरिस गेल फेन्ड को हराकर पांचवी बार विश्व चैम्पियन बने हैं। हमारे देश के लिए यह गौरव की बात है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे कि सदन की ओर से आनन्द को बधाई प्रेषित की जा सके।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-110 के अन्तर्गत दिनांक 01 जून, 2012 को निम्नलिखित बधाई का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं :-

> ''उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह सदन भारतीय ग्रेंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनन्द के शतरंज के खेल में पांचवीं बार विश्व चैम्पियन बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता है। हमारे लिये यह फक्र की बात है कि एक भारतीय ने 05 बार शतरंज की विश्व चैम्पियनशिप जीती है। विधान सभा का यह सदन श्री विश्वनाथन आनन्द को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक बार फिर श्री विश्वनाथन आनन्द ने यह साबित कर दिया है कि भारतवासी विश्व विजेता बनने की क्षमता रखते हैं।''

कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह सदन भारतीय ग्रेंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनन्द के शतरंज के खेल में पांचवीं बार विश्व चैम्पियन बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता है। हमारे लिये यह फक्र की बात है कि एक भारतीय ने 05 बार शतरंज की विश्व चैम्पियनशिप जीती है। विधान सभा का यह सदन श्री विश्वनाथन आनन्द को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक बार फिर श्री विश्वनाथन आनन्द ने यह साबित कर दिया है कि भारतवासी विश्व विजेता बनने की क्षमता रखते हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुईं। यह सभी स्वीकार की जाती हैं :-

पहली सूचना श्री अजय मिश्र टेनी की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर लगाने तथा विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के कारण सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत साउपुरा सादुल्लानगर गौरी चौकी मार्ग को जोड़ने हेतु कुवानो नदी पर अधूरे बने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद महामायानगर के अन्तर्गत हाथरस शहर, सासनी व मेडू क्षेत्रों में फैले सट्टा कारोबार को बन्द कराये

जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के इगलास तहसील में ग्राम सेवरनपुर से बोरई वृन्दावन रास्ते पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की विधान सभा क्षेत्र बैरिया बलिया में उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के बेल्थरा रोड के घाघरा नदी के कटान से बाढ़ से बचने के लिये जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेलकी जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मऊ, रामनगर, मानिकपुर में स्थित सरकारी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में वीरांगना अवंती बाई चौराहा व तहसील भवन फतेहाबाद में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र की जनपद मिर्जापुर के मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड जमतुआ बंधी का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की लखीमपुर के मोहम्मदी में पड़सर मार्ग का अधूरा निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की सीतापुर के हरगांव बेहटा के अन्तर्गत ग्राम दोनवा, मजरा शेखनापुर तथा रूकनापुर के मध्य नाले पर रपटापुल तथा एप्रोच रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद की जिला पंचायत में सदन की बैठक से जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्यवाही रजिस्टर बिना कारण बाहर ले जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद सहारनपुर में मण्डी से लेकर सैफन तक की अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 7 कि0मी0 सड़क से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की छपरौली बागपत में लिंक नहर कल्लरपुर समेत अन्य कई नहरों में कृषि दोआब परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है। आपकी सबकी सहमति हो तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह ठीक रहेगा। इन सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर लगाने तथा विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र टेनी-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निघासन में दो पावर परिवर्तक है, ओवर लोडिंग होने के कारण बारी-बारी से आपूर्ति की जाती है। 10 घण्टे के रोस्टर में मात्र 4-5 घण्टे प्रतिक्षेत्र आपूर्ति हो पाती है। इसलिए जनहित में आवश्यक है अधिक क्षमता के पावर परिवर्तक लगाये जायें और जब तक उक्त पावर परिवर्तक न लगे तब तक निघासन विधान सभा क्षेत्र की आपूर्ति 20 घण्टे की जाये। जिससे रोस्टर के अनुसार कम से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कम 10 घण्टे की आपूर्ति हो सके। इसकी क्षमता बढ़ाये जाने हेतु क्षेत्र में काफी समय धरना-प्रदर्शन के माध्यम से मांग की जाती रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्र में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्ब विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निघासन की विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत साउपुरा सादुल्लानगर गौरा चौकी मार्ग को जोड़ने हेतु कुवानों नदी पर अधूरे बने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर,

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के बढ़नीचाफा व जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर गौरा चौकी को जोड़ने के लिए कुआनों नदी के साउपुरा घाट पर शासनादेश संख्या-169 (1)23-11-2006, दिनांक 11-3-06 को तत्कालीन मेरी लोकप्रिय सरकार द्वारा 281.45 लाख रुपये की स्वीकृति सेतु निर्माण के लिए प्रदान की गई थी। लेकिन खेद है कि 2007 में सरकार बदल जाने के बाद सेतु का निर्माण कार्य रोक दिया गया, जबकि नदी के अन्दर दो कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

कुआनों नदी पर सेतु का निर्माण न होने के कारण बलरामपुर व सिद्धार्थनगर दोनों तरफ के सैकड़ों गांवों के लोगों में निराशा व्याप्त है और दूसरी तरफ नई सरकार के आने से उनके अन्दर यह आशा जगी है कि यह लोकप्रिय सरकार जनहित में इस सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें, जिससे कुआनों नदी के साउपुरा घाट पर सेतु का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद महामायानगर के अन्तर्गत हाथरस शहर, सासनी व मेडू क्षेत्रों में फैले सट्टा कारोबार को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गेंदा लाल चौधरी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद महामायानगर के अन्तर्गत हाथरस शहर, सासनी व मेडू इत्यादि क्षेत्रों में सट्टा कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। सट्टा बाजार के कारोबार में क्षेत्र के कुछ दबंग लोग संलिप्त हैं जिससे इलाके में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अराजकता का माहौल व्याप्त है। इस कारोबार के निर्बाध फलने-फूलने से इलाके के युवकों एवं बेराजगारों में दुष्प्रवृतियां जन्म ले रही हैं। जिससे इलाके में असामाजिक गतिविधियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है।

इस समस्या पर जनपद के उच्चाधिकारियों को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है किन्तु कारोबार को रोकने के लिये अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 महोदय से अनुरोध है कि सट्टा बाजार के फैले कारोबार पर रोक लगाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।]

जनपद अलीगढ़ के इगलास तहसील में ग्राम सेवरनपुर से बोरई वृन्दावन रास्ते पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी जो इगलास तहसील में से होकर निकलती है पर ग्राम सेवरनपुर से गोरई वृन्दावन जाने के लिये जनता को नदी पर पुल न होने के कारण काफी दूरी का चक्कर लगाना पड़ता है। जनता की कठिनाइयों को देखते हुए ग्राम सेवरनपुर पर पुल बन जाने से गोरई वृन्दावन, मथुरा मार्ग की दूरी काफी कम हो जायेगी और दुर्घटनाओं के समय होने वाली चिकित्सीय सुविधाओं में हो रही देरी से निजात मिल सकेगी। पुल बन जाने से जनता में जो आक्रोश है वह भी समाप्त हो जायेगा।

अतः मैं उपरोक्त इस मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने की अविलम्ब मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र बैरिया बलिया में उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया, बलिया में उच्च शिक्षा का अति अभाव है। यहां उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं। जिसके लिए हमारे क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलना अतिआवश्यक है। आज तक आजादी के बाद इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह अति गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के बेल्थरा रोड के घाघरा नदी के कटान से बाढ़ से बचने के लिये जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में घाघरा नदी के कारण अधिकांश गांवों में कटान का खतरा बना हुआ है, जिससे हजारों गांव प्रभावित होते हैं और भारी धन व जन की क्षति होती है। अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। जिससे घाघरा नदी के बगल में रहने वाले ग्रामीण भयाक्रान्त हैं। मेरे बार-बार पत्र लिखने के बावजूद जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह अति गम्भीर विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने एवं सरकार के वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद की वसुन्धरा कालोनी में परिषद् द्वारा योजना प्लान वर्ष 1989 के अनुसार मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित वसुन्धरा कालोनी के दिनांक 27-7-1989 के तत्कालीन आवास आयुक्त एवं मुख्य वास्तुविद् श्री ए0 के0 पचौरी द्वारा हस्ताक्षरित योजना को स्वीकृत करते हुए वसुन्धरा कालोनी की निवासियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 102 एकड़ भूमि को महाविद्यालय, सरकारी अस्पताल, खेल का मैदान, बारात घर, पुस्तकालय व रामलीला मैदान स्टेडियम इन्टर कालेज जैसी जन मूलभूत सुविधाओं का काम चालू करने से पहले परिषद् व भू-माफिया का विवाद चल गया था। इस विवाद के चलते निर्माण कार्य चालू नहीं हो सका। पिछले दिनों मा0 उच्च न्यायालय ने इस वाद को परिषद् के पक्ष में निर्णीत कर दिया। अब आवास एवं विकास परिषद् के अधिकारियों की सरकार मंशा के अनुसार आई0टी0 हब व पांच सितारा होटल बनाने की योजना लखनऊ मुख्यालय को भेजी गयी है।

इस प्रकार महोदय यह परिषद् के निवासियों के साथ वादा-खिलाफी है मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर वहां की योजना के अनुरूप आवंटित भूमि पर कार्य सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मऊ, रामनगर, मानिकपुर में स्थित सरकारी नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मऊ, रामनगर, मानिकपुर में स्थित सरकारी सिंचाई नलकूप नहीं हैं। जिसके कारण किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिससे किसानों को सिंचाई हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध भी किया जा चुका है। परन्तु अभी तक किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण किसानों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विकास खण्डों में सरकारी नलकूप लगवाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में वीरांगना अवन्तीबाई चौराहा व तहसील भवन फतेहाबाद में स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटेलाल वर्मा-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद, तहसील फतेहाबाद के भवन से थाना व बस स्टाप की दूरी लगभग पांच कि0मी0 है। तहसील भवन का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में कराया गया है सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। रजिस्ट्री व अन्य सरकारी कार्य व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्याय का कार्यालय है। 14 थाने का न्याय होने के कारण जिला कारागार आगरा से कैदी आते हैं तथा थाना कस्बा के अन्दर होने के कारण कोई सुरक्षा नहीं है। नई आबादी होने के कारण व बाईपास फतेहाबाद व समसाबाद, फतेहाबाद, फिरोजबाद मार्ग निबौहरा से मझारा, बैकुण्डी तिवरिया में मार्गों का निर्माण होने के कारण सभी ट्रेफिक गुजरता है, आये दिन मार्गों पर लूट, डकैती, मर्डर कर अपराधी आसानी से उपरोक्त मार्गों द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश की ओर आसानी से घटना करके पुलिस व्यवस्था न होने के कारण आसानी से निकल जाते हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वीरांगना अबन्तीबाई चौराहा व तहसील भवन फतेहाबाद पर स्थायी दोनों स्थानों पर पुलिस चौकी स्थापित करने की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड जमतुआ बंधी का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश चन्द्र-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी में स्थित जमतुआ बंधी अत्यन्त जर्जर हो गया है। जिसके कारण किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बांधी को पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जमतुआ बंधी का पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

लखीमपुर के मोहम्मदी में पड़सर मार्ग का अधूरा निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड-मोहम्मदी के अन्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ममरी पड़सर मार्ग का निर्माण एक वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु इसी मार्ग के मध्य भाग जो कि ग्राम सुन्दरपुर के निकट से ग्राम इटौवा के पास तक का (लम्बाई लगभग 1500 मीटर) निर्माण कार्य छोड़ दिया गया था। उक्त छूटी सड़क अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई/परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन क्षेत्रीय जनता दुर्घटना ग्रसित हो रही है। क्षेत्रीय जनता ने उक्त मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्ग का निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

सीतापुर के हरगांव बेहता के अन्तर्गत ग्राम दोनवा, मजरा शेखनापुर तथा रुकनापुर के मध्य नाले पर रपटापुल तथा एप्रोच रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम दोनवा मजरा शेखनापुर तथा रुकनापुर के मध्य काफी चौड़ा नाला है। जिस कारण क्षेत्रीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा बाढ़/वर्षा के समय काफी पानी बढ़ जाता है जिससे ग्रामीण नाला उतर कर आते समय बह जाते हैं। दुर्घटना की संभावना काफी बनी रहती है। शाहपुर बाजार में भदफर तथा लखीमपुर खीरी व सीतापुर जाने के लिये दूरी तय करके जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा होती है।

अतएव जनहित में ग्राम दोनवा तथा रुकनापुर गांव के मध्य नाले पर काजवे (रपटापुल) तथा एप्रोच रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद की जिला पंचायत में सदन की बैठक से जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्यवाही रजिस्टर बिना कारण बाहर ले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद 260, करछना जिला पंचायत इलाहाबाद के सदन की बैठक 7 माह के पश्चात् दिनांक 26-5-2012 को आहूत की गई, उपरोक्त बैठक में जनपद के विकास का पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रस्ताव पूरे जनपद के नरेगा का लेबर बजट जिला पंचायत का वार्षिक बजट का समेत तमाम जनहित के योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जानी थी, उपरोक्त बैठक का कोरम पूरा था जिसमें जिला पंचायत के 66 मा0 सदस्य 4 माननीय विधायक 6 ब्लाक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे, किन्तु बैठक को प्रारम्भ किये बिना जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कार्यवाही रजिस्टर लेकर बिना कारण बताये बैठक से बाहर चले गये। बैठक निरस्त होने के कारण जनपद के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कर कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में मण्डी से लेकर सैफ तक की अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 7 कि0मी0 सड़क से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 धर्म सिंह सैनी-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-सहारनपुर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड-सरसावा के अन्तर्गत परगना-सुल्तानपुर के लोगों को सहारनपुर स्थित अनाज, सब्जी एवं फल मण्डी में आना जाना पड़ता है। सहारनपुर मण्डी से लेकर सैफन तक लगभग सात किलोमीटर एवं सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता ने उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारियों से अनुरोध किया है परन्तु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

छपरौली बागपत में लिंक नहर कल्लरपुर समेत अन्य कई नहरों में कृषि दोआब परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[महोदय, विधान सभा छपरौली बागपत में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये एवं वाटर लेबिल बढ़ाने के लिये सन् 1978 में हिन्डन एवं कृष्णि दोआब परियोजना बनाई गई थी लेकिन ये योजना ज्यों कि त्यों पड़ी है न इसमें पानी है न इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है जबकि चौगमा क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये बनी है वहां पर 100 फिट गहरा लेबिल में पानी है केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र को डार्क क्षेत्र घोषित किया है। यह क्षेत्र ब्लाक बिनौली में पड़ता है। इस पूरे ब्लाक में विद्युत के कनेक्शन भी बन्द हैं अतः पानी के बिना यहां की जनता त्रस्त है इस नहर को अगर सुचारु नहीं किया गया तो यहां के हालात राजस्थान जैसे हो जायेंगे।

सुझाव :-मान्यवर, यह योजना तभी सफल हो सकती है इसमें यमुना के पानी से चलाई जाती है इसे कल्लरपुर में लिंक नहर पर रेग्युलेटर लगाकर लिंक नहर से जोड़ा जायें।

अतः आपसे उक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिंक नहर कल्लरपुर में रेग्युलेटर कल्लरपुर लोई राजवाहा से हिन्डन व कृष्णी दोआब परियोजना में किसानों के हितों को दृष्टिगत भरपूर जल आपूर्ति कराने की व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं।]

नियम-51 के अन्तर्गत ज्यादा सूचनायें प्राप्त होने के बारे में श्री अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण

श्री अध्यक्ष-

एक बात कहना चाहता हूं कि नियम-51 के अन्तर्गत कुल मिलाकर दस सूचनायें ली जाती हैं। लेकिन सूचनाएं बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं सबको तो ग्राह्य किया नहीं जा सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय सदस्यों की रुचि को देखते हुए 10 से बढ़ाकर 20 सूचनायें ले ली जायें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सूचनाओं की संख्या बढ़ा दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह भी बता रहा हूं कि हो क्या रहा है कि माननीय सदस्य जब हमें सूचनायें देते हैं तो हम उस पर आख्या के लिये शासन को भेज देते हैं पहले और उसके बाद उन सूचनाओं में से ग्राह्य सूचनाओं का चयन होता है। माननीय सदस्य कदाचित इस उद्देश्य से भी इतनी बड़ी संख्या में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचनायें दे देते हैं कि वह तो जांच के लिये शासन में चली ही जायेगी भले ही बाद में नियमानुसार अग्राह्य हो जाय। तो यह ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें केवल वक्तव्य, वक्तव्य और ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार की जाती हैं। अब मान्यवर, यहां पर आपसे ज्यादा और कोई ज्ञानी व्यक्ति है नहीं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन पर आप मा0 सदस्यों को स्पस्टीकरण करने का अवसर दे दिया करें और बाकी पर आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। और यह संख्या 10 से बढ़ाकर 20 करने पर विचार कर लें तो उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये हमें नियमों में संशोधन कराना पड़ेगा और अगर सूचना की संख्या बढ़ानी है तो संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी और नियम समिति को फिर यह प्रकरण संदर्भित करना पड़ेगा। इसमें बात कर लेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की है जो भारत के संविधान के अन्तर्गत संघीय व्यवस्था के प्राविधानों की अवहेलना करके बहुत बड़ी धनराशि गैर-संवैधानिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना सुनी जायेगी। दूसरी सूचना श्री छोटे लाल वर्मा जी की है यह जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वीरांगना अवन्तीबाई चौराहा व तहसील भवन, फतेहाबाद स्थानों पर पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है जो जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विजयीपुरा में घनी आबादी, बालक तथा बालिकाओं एवं मन्दिर के बीच में मानक एवं शासनादेश के विपरीत देशी शराब का ठेका खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी। चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सिविल जज) प्रारम्भिक परीक्षा, 2012 के सामान्य ज्ञान के विषय पर आयोग द्वारा निर्गत प्रश्न पत्र की सिरीज (वी) के उत्तर सही अंकित किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है, अतः नहीं सुनी जायेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा गैर संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं के लिये धन हस्तान्तरित किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी, कृपया अपनी बात प्रारम्भ करें।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन के संज्ञान में रखने का अवसर दिया। संविधान के 73वें, 74वें संशोधन के बाद पूरे देश में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था चलती है। भारत सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के स्तर पर विभिन्न स्थानीय निकाय संस्थायें। यह तीनों संस्थायें स्वायत्त होती है और तीनों संवैधानिक संस्थायें हैं। जो केन्द्र सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है या योजना आयोग जिस प्रकार की संस्तुतियां देता है उसके आधार पर धन केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के पास आता है। राज्य सरकार का जो अपना वित्त आयोग होता है, वह जिस प्रकार की संस्तुतियां देता है उसके आधार पर धन स्थानीय निकायों को जाता है। यह एक स्थापित विधिक प्रक्रिया है। राज्य और केन्द्र के सम्बन्धों को परिभाषित करने वाले भारत के संविधान के विभिन्न प्राविधानों के तहत है और इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत आजादी से लेकर आज तक काम होता आया है। कल जो कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों के सामने आयी है, मैं उनको पलट रहा था और एक तथ्य जो मेरे संज्ञान में आया, वह यह कि केन्द्र सरकार विगत चार-पांच वर्षों में एक बहुत बड़ी धनराशि इन संवैधानिक संस्थाओं से हटकर के प्रशासनिक आदेशों के द्वारा स्थापित संस्थाओं को सीधे दे देती है। अभी बजट प्रस्तुत हुआ, उस पर चर्चा करने और टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं हूं। जब होऊंगा तो करूंगा। लेकिन अभी जो बजट हुआ उसमें भी कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र है जिनका धन चलता तो केन्द्र से है लेकिन राज्य के कोषागार में नहीं आता। वह सीधे उन स्वायत्त संस्थाओं के पास चला जाता है यह प्रशासनिक संस्थायें हैं। मैं उन योजनाओं के अगर नाम लूं, जिन योजनाओं का धन सीधे उन स्वायत्त संस्थाओं को जाता है तो माननीय सदस्यों के संज्ञान के लिये करीब-करीब आज के दिन प्रदेश में चर्चित जितनी योजनायें हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सर्वशिक्षा अभियान, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, इन्दिरा आवास योजना, त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना, समन्वित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, इसको मैं अलग से चर्चा कर दूंगा। इसके अतिरिक्त तकरीबन 10-12 ऐसी योजनायें हैं जिनका धन सीधे राज्य सरकार से हटकर इन अभियंत्रण सेवाओं के पास चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था पिछले 5 साल में पनपी है। हमने कुछ स्वायत्तशासी संगठनों का निर्माण शासकीय आदेशों से कर दिया है। इससे हमें दोहरा लाभ है, हमारा दायित्व कुछ नहीं रह जाता और चूंकि इन योजनाओं में डेपुटेशन पर अधिकारी हम भेजते हैं, इसलिये हमारा नियंत्रण पूरा रहता है। जितने खेल इन अधिकारियों के माध्यम से हमें खेलने हों, हम स्वतंत्र होते हैं, जिम्मेदारी हमारी तय नहीं होती। मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर बहुत सी चर्चायें हुयी थीं इसका धन सीधे-सीधे राज्य स्वास्थ्य योजना में जाता है। नरेगा को लेकर न जाने कितने मूल्यांकन और टिप्पणियां की जाती हैं।

सच्चाई यह है कि नरेगा का किस प्रकार से हममें से सभी सदस्य जो स्थानीय अनुश्रवण कमेटियां माननीय सांसदों के नियंत्रण में बनाई जाती हैं, उनमें बैठते हैं नरेगा के बहुत से प्राविधानों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत हम लोग अनुपालन की समस्याओं का लगातार जिक्र करते रह जाते हैं लेकिन चूंकि वह पैसा सीधे डी0आर0डी0ए0 में जाता है और सीधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में होता है इसलिये बहुत सारी बातें सुनी नहीं जाती और यह छोटी-मोटी धनराशि अध्यक्ष महोदय नहीं हैं अगर पिछले साल के बजट के अनुपात में देखा जाये तो तकरीबन सम्पूर्ण व्यय का 10 प्रतिशत होता है जो आंकड़े कल मैंने देखे हैं उसके हिसाब से 2011-12 में कुल मिलाकर 14,434 करोड़ रुपया इन योजनाओं में सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के द्वारा इन योजनाओं को भेज दिया गया। यही मेरी आपत्ति है। सांसद क्षेत्रीय विकास निधि अलग चीज हो सकती है, इसको छोड़ करके मैं जितनी भी योजनाएं हैं उनका धन राज्य सरकार के कोषाध्यक्ष के माध्यम से विभिन्न एजन्सियों में जाए और उनका अनुपालन राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से कर सके और उन्होंने इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने काम किये हैं, उनकी रिर्पोटिंग और उनके नियंत्रण का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल सके, देश की संवैधानिक व्यवस्था यही कहती है और भारत का संविधान भी यही कहता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बहुत सी और बातें हैं उन्हें मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें पिछले पांच वर्षों में पनपी हैं, हमने इसे पनपने दिया है संभवतः इसलिए पनपी होगी, इस पर रोक लगनी चाहिए और भारत सरकार से आग्रह होना चाहिए कि जिन भी निकायों को जो भी धन आप भेजना चाहते हों, वह राज्य सरकार के वित्त के माध्यम से जाए, कोषागार के माध्यम से जाए जिससे इस सदन का उस पर प्रभावी नियंत्रण हो सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आपको इस पर कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डाक्टर साहब, यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सम्बन्धों का मामला है। इसको औचित्य के माध्यम से यहां सदन में उठाकर सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आपने आकृष्ट किया। केन्द्र सरकार सीधे धन देती है और राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, फिर भी यह हमारे सदन में उठ रहा है, अगर यह मामला पार्लियामेंट में उठता तो केन्द्र सरकार पर दबाव बनता। आपकी इस भावना से सारा सदन अवगत हो गया, सरकार अवगत हो गई, चूंकि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्ध का मामला है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह राज्य और केन्द्र के बीच का विषय है इसीलिये तो यहां उठना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार किसी की भी हो, इस प्रक्रिया से राज्य सरकार के अधिकारों को छीना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार धन आवंटन करती है और राज्य सरकार जो भी कहे उस पर वह ध्यान देते हैं या नहीं, बेहतर होता कि हम लोग अपने सांसद महोदय से कहते

और वह इस विषय को पार्लियामेंट में उठाते कि इस धन को सीधे राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाए जिससे राज्य सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके तो अति उत्तम होता। मैं इसे अब अग्राह्य करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

कल कौन साहब चर्चा में बोल रहे थे ?

(सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दादा जी, आपका पढ़ दिया, आपका हो गया। जो कल बोल रहे थे, वह चर्चा पर बोलना प्रारम्भ करें।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने मुझ जैसे नये विधायक को बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के उन ट्रक आपरेटरों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में सड़कों के ऊपर उद्योग चलता है और यदि सड़कों का यह उद्योग नहीं चलेगा तो विकास समाप्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार, बसपा सरकार ने ट्रक आपरेटरों का इतना उत्पीड़न किया है जिसको कहने में मुझे शर्म आ रही है। ट्रक आपरेटर जो छोटा है, जिसके पास एक, दो या तीन गाड़ियां थीं वह ट्रक आपरेटर आज विलुप्त हो चुके हैं, आज समाप्त हो चुके हैं। चूंकि बसपा सरकार की नीति रही है और बसपा सरकार ने इस तरह से उनका दोहन किया है कि एक तो आर0टी0ओ0 चेकिंग करते थे, पैसा लेते थे, इसके बाद भी महीने में अलग से चेकिंग लगाते थे जिसमें एक या दो या तीन छोटे ट्रक ही फंसते थे, पचास और सौ ट्रक वाले का तो सीधे आर0टी0ओ0 से सम्बन्ध रहता था। मैं मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस सरकार ने यही नहीं उत्पीड़न किया, इस सरकार ने खदानों में बेइमानी, भ्रष्टाचार और अत्याचार भर दिया। इस सरकार ने पोंटी चड्ढा को एजेन्ट बनाकर प्रदेश को लूट लिया है, खनिज विभाग को लूट लिया है, जिस ट्रक को तीन हजार, चार हजार रुपया पड़ता था उस ट्रक से सत्रह-सत्रह हजार रुपये लूटने का प्रयास किया है। मान्यवर, ट्रक व्यवसाय समाप्त हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय की जो सरकार है उसमें मैं तीन बार प्रार्थना-पत्र दे चुका हूं। अभी तक खदान नहीं शुरू हुई है। मैंने मुख्य मंत्री के सचिव श्री आलोक कुमार जी से बात की उन्होंने कहा पर्यावरण की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, मैंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है तो मध्य प्रदेश में कैसे हो रहा है। आपका राजस्व मध्य प्रदेश खा रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश से मौरंग, गिट्टी आ रही है उसको यहां के बेईमान, यहां के भ्रष्टाचारी लूटने का प्रयास कर रहे हैं।

---

† दिनांक 29 मई, 2012 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं चूंकि यह ट्रक व्यवसाय का मामला है, मैं कहना चाहता हूं कि जब कहीं बाढ़ पीड़ित होता है, जब कभी भू-कम्प पड़ता है उसको सुरक्षा, उसको सहयोग करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई खादान नहीं खुली है तो कहीं से कोई माल आता है तो वह विकास की बात है, लोगों के यहां सामान पहुंचाने की बात है। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के खादान में माल ही नहीं आयेगा तो आपकी सड़कें, भवन, अस्पताल कैसे बनेंगे ? कहीं से लाने के बाद भी उनको रोका जाता है, उनसे पैसा वसूला जाता है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के ट्रक आपरेटरों की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, कल भी आप बोले थे, अब बैठिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में आग लगी, जिसमें 150 लोगों की दुकानें जली हैं। उन दुकानों का अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। मैंने दो बार प्रार्थना-पत्र दिया है, अगर ऐसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया तो वह भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। श्री जाकिर अली जी आप शुरू कीजिए।

श्री जाकिर अली-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं ऐसी विधान सभा से आया हूं जो बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है।

(ब0स0पा0 के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये, आपही की पार्टी के मा0 सदस्य को बोलवा रहा हूं, उन्हें नमाज पढ़ने जाना है।

कार्य-सूची के क्रमानुसार ही मद लिये जाने का अनुरोध

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मद संख्या-1 के बाद सीधे मद संख्या-12 ले लिया है और मद संख्या-2 से 11 तक के मद छूट गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप बैठ जाइये। महाना जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भूल सुधार कर रहा हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी जाने लगे मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मद संख्या-2 ले लीजिए, गलती से श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत हो गयी। महाना जी मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (उन्नीसवां संशोधन) विनियम, 2011†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/6/2001-का-1-2011, दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (उन्नीसवां संशोधन) विनियम, 2011, जो संविधान के अनुच्छेद-320 (5) के अधीन दिनांक 09 अगस्त, 2011 को 14 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिससे दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-391/ग्यारह-9(386)-94-ऐक्ट-74-56-नियम-1957-2011- आदेश-(67), दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011 जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 30 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-389/ग्यारह-9(295)-07-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-वैट नियमावली-08-आदेश-(66)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 30 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-421/ ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश (71)-2011†††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से किये गये संशोधन विषयक संस्थागत

नोट :-† छापा नहीं गयी।

नोट :-†† छापी नहीं गयी।

नोट :-††† छापी नहीं गयी।

वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-421/ ग्यारह-9(1)-08- उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(71)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 जो उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 14 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-422/ ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0 अधि0-30-07 आदेश (72) 2011†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)-08-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश- (31)-2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में संशोधन विषयक संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-422/ग्यारह-9(1)/08- उ0 प्र0 अधि0- 30-07- आदेश-(72)-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011, जो उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 14 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-930/ ग्यारह-9(1)-08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (75) 2011†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-930/ग्यारह-9(1)-08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(75)-2011, दिनांक 01 सितम्बर, 2011 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8, मद संख्या-9, मद संख्या-10 में कुछ नहीं है। मद संख्या-11 में मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं है।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा क्रमागत

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 पर चर्चा प्रारम्भ। हाजी साहब ने रिक्वेस्ट किया था उनको कहीं जाना है इसलिए पहले उनको बुला लेते हैं।

श्री जाकिर अली-

मैं क्षेत्र की बात बता रहा था कि जैसे दिल्ली के इतने नजदीक होने के कारण मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश की कोई भी विधान सभा ऐसी नहीं होगी जहां के लोग मेरे विधान सभा में आकर न रहते हों। लोनी की आबादी आज की तारीख में तकरीबन 16 लाख है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी आबादी होने के बावजूद वहां न ही कोई डिग्री कालेज है न ही कोई कन्या इण्टर कालेज है केवल एक इण्टर कालेज है। हर जगह यह सुनने को मिलता है कि शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस सदन का ध्यान अपनी विधान सभा की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं कि लोनी के बारे में सोचें कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है 16 लाख की आबादी होने के बावजूद एक छोटा सा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है। जिसमें न ही कभी दवाइयां उपलब्ध होती हैं और न ही कभी कोई डाक्टर। लोग बाग, अगर कोई व्यक्ति या औरत बीमार हो जाती है तो 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जाना पड़ता है। बिजली की तो बात छोड़िये, उसके लिये कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन करना चाहता हूं कि वहां पर डिग्री कालेज, बालिका इण्टर कालेज तथा एक अस्पताल होना बहुत ही अनिवार्य है। मेरा मान्यवर से निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संशोधन किया जाय। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अभी आप रुक जायं आपका नम्बर फिर आयेगा। रुकिये आप भा0ज0पा0 के लोग बोले, बहुजन के लोग बोल लिये, कांग्रेस के लोग बहुत बोले हैं, पीस पार्टी के लोग बोले, डा0 अय्यूब साहब आये हैं। अय्यूब साहब आप बोलिये। देखिये आप लोगों के बोलने के बाद सत्ता पक्ष को बोलना था हमने इसलिये उनको मना कर दिया है, नहीं बुला रहा हूं। आप लोग बोल लें तब उनको शुरू करायें।

डा0 मो0 अय्यूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री के बारे में सरकार ने घोषणा की है तो हमें आपसे अनुरोध करना है कि करीब-करीब 50 प्रतिशत कब्रिस्तान आज भी मीठा दर्ज है या वह कब्रिस्तान सरकारी अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज नहीं है जबकि उन कब्रिस्तानों में सैकड़ों साल से मुस्लिम शवों को दफनाया जाता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि उन सभी कब्रिस्तानों जिनमें शव दफनाये जाते हैं उन सभी को कब्रिस्तान दर्ज किया जाये और उन कब्रिस्तानों की समुचित बाउन्ड्री की जाय ताकि जो सरकार ने जनता से वायदा किया है उस वायदे को पूरा किया जाय। दूसरी जो

महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी जगहों पर जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां उनके संरक्षण की बात है उनके विकास की बात है ऐसे इलाकों में ज्यादातर गोकशी के नाम पर उन सबों को परेशान किया जाता है। मैं मानता हूं और मेरा यह विचार है कि किसी भी तरीके की पशु हत्या और गौकशी निन्दनीय है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी भारतीय सभ्य नागरिक इसको प्रोत्साहित नहीं करता है हम इसको बुरा मानते हैं। मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो गरीब जनता है गोकशी के नाम पर प्रशासन के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं और संतकबीर नगर जिले में जो हमारा अपना क्षेत्र खलीलाबाद है उस जिले में जो बारात आ रही है, शादी ब्याह हो रहे हैं उनमें पुलिस का आतंक इतना बढ़ गया है कि गोकशी के नाम पर खाने की तलाशी की जा रही है तथा उनको बर्बाद किया जा रहा है और घरातियों को जहां बाराती शादी करने आते हैं उनको मेहमानों के सामने बेइज्जत किया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे गरीबों, असहाय, निर्दोष मुसलमानों को जिन पर अत्याचार हो रहा है उन्हें संरक्षण मिले और ऐसे सभी अधिकारियों को जो गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय हो और दोषियों को सजा मिले। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि समाज का अति दलित वर्ग इसमें बहुत सारी जातियां हैं और अति पिछड़े वर्ग उनको आबादी के अनुरूप अभी तक विकास नहीं हो पाया है। सरकार सुनिश्चित करे कि यह अति दलित वर्ग जो दलितों में आते हैं और अति पिछड़े वर्ग जो पिछड़े समाज में आता है, इनकी आबादी के हिसाब से इनकी तालीम में, इनके विकास में, सरकारी नौकरियों में इनकी सहभागिता और हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाय ताकि उनका समुचित विकास हो सके और समाज में देश में यह सम्मान के साथ रहें।

श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री योगेश प्रताप सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य के भाषण में दो बातें ऐसी आई हैं, जिनका स्पष्टीकरण फौरन हो जाएगा तो आपकी भी संतुष्टि हो जाएगी और बाकी सदस्यों की भी हो जाएगी। कब्रिस्तान का मसला माननीय सदस्य ने उठाया है। कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री वाल के लिए जिसमें आज दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है, इसमें हमने पहले से ही आदेश दे दिया है कि ऐसे सारे डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान जिन पर दूसरे लोगों ने विवाद कर रखा है, चाहे वह मुसलमान हैं, चाहे कोई और हैं, उन विवादों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आप सबसे निवेदन है कि जहां भी इस तरह के कब्रिस्तान हैं, जिन पर विवाद है, उसकी जानकारी हमें भी दे दें आप और जिलाधिकारी के यहां भी अपना एतराज दर्ज करा दें, ताकि हमें आसानी हो इस बात के लिए कि हम उन डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी निपटारा करके वहां बाउन्ड्री वाल बनवा सकें।

दूसरी बात गौकशी के बारे में कही है। यह सही है कि संविधान भी और मेरे ख्याल से हमारा ईमान भी, यह इजाजत नहीं देता है कि किसी की मजहबी-दिलाजारी की जाए। मैं किसी दल की

तफसील में नहीं जाऊंगा। किसके जमाने में कितनी गौकशी हुई और किस तरह से हुई। लेकिन इतना जानता हूं कि एक बादशाह जो बड़ा बदनामें-जमाना रहा है, वह अकेला मुगल बादशाह था, जिसके शासन काल में यह हुकुम जारी हुआ था कि बिरादराने-वतन की दिलाजारी न हो इसलिए पूरे हिन्दुस्तान में गौकशी को वैन किया जाता है। पाबन्दी लगाई जाती है। यह शाही फरमान मुगल सल्तनत में जारी हुआ था तो मुसलमानों के लिए गाय का खाना ऐसा नहीं है कि वह इसके बगैर मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुसलमान इस बात को भी अच्छी तरह मानते हैं कि किसी की भी मजहबी-दिलाजारी उनकी अपनी मजहबी-दिलाजारी के बराबर होगी तो यह पूरा सदन इस बात को समझ ले कि मुसलमानों की कहीं यह ख्वाहिश नहीं है, न कहीं यह दबाव है कि वह गौकशी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन जहां कोई खास शिकायत है आपकी कहीं ऐसा हुआ है तो उसको सख्ती से दिखवाया जाएगा। अगर गौकशी नहीं हैं, तो गौकशी के नाम पर किसी को प्रताड़ित करने की इजाजत नहीं होगी और कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो फिर कानून उसमें भी अपना काम करेगा। लेकिन जहां तक आपकी शिकायत है कि गौकशी नहीं हुई है, उसके बावजूद प्रताड़ित किया जा रहा है यह गम्भीर मामला है। इस सरकार ने गुजरी हुई सरकार के तौर-तरीकों को अख्तियार नहीं किया है जो लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए उस जानवर का जो प्रतिबन्धित नहीं है, उनका इस्तेमाल करते हैं तो कानून इसकी इजाजत देता है लेकिन मैं किसी लम्बी बहस में जाए बगैर यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जहां तक भैसों का ताल्लुक है इतनी कम हो गई हैं कि दूध नहीं रह गया है। हम भैसों की तलाश कर लें और भैसों का दूध इस्तेमाल करने वालों की तादाद तलाश कर लें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक प्रतिशत भी दूध हमारे बच्चों को और हमारे परिवार वालों को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर दूध वह है जो सिन्थेटिक है। हमने जांच के भी आदेश दिये हैं और इन्तहा यह हो गई है मान्यवर कि अलीगढ़ की अदालत में एक मुकदमा आया हमारे साथ के एक जज साहब ने खुद यह वाकया मुझे सुनाया कि जब अदालत में वेल की स्टेज आई तो वकील साहब ने कहा कि एडल्ट्रेशन का मामला ही नहीं है। आप रिपोर्ट देख लें तकरीबन एक साल पुरानी बात है रिपोर्ट में लिखा है कि पानी में यूरिया और वाटर कलर मिलाया गया। मुकदमा हमारे ऊपर यह है कि हमने दूध में पानी मिलाया है। हमारे इस दूध में दूध की एक बूंद नहीं है लिहाजा यह एडल्ट्रेशन का मामला बनता ही नहीं, कोई और दफा बनाई जाए इस समय जो दूध मिल रहा है उसमें दूध की एक बूंद नहीं है और अदालत में इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जज साहब ने यह कहा मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसे वेल दूं या न दूं। लेकिन वेल रिजेक्ट कर दी गयी और वह हाईकोर्ट से वेल करा लाया तो समाज आज इतनी ओछी हरकतों पर उतरा हुआ है तो इस समस्या को भी हम सब सामने रखेंगे कि हमारे बच्चों को दूध मिलना चाहिए और उसका क्या तरीका हो, मेरे ख्याल से किसी दिन इस सदन को ही यह तय करना होगा कि उसका क्या तरीका हो। लेकिन इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि कब्रिस्तानों की जहां-जहां भी यह शिकायत मिलेगी कि उस पर नाजायज कब्जे हैं, वह खाली कराये जायेंगे, उसके बाद बाउन्ड्री वाल बनेगी, बल्कि उसी के साथ बनेगी। गौकशी के नाम पर यदि प्रताड़ना हो रही है तो प्रताड़ित नहीं करने दिया जायेगा।

* श्री राधेश्याम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर योगेश प्रताप सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बिन्दु हैं, वह प्रदेश के किसानों के विकास के लिए हैं। यह सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कटिबद्ध है, जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, नौजवानों का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकता। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो पिछली बार की समाजवादी पार्टी की सरकार में जनकल्याणकारी योजनाओं को चलाया गया था, आज से 4 महीना पहले की सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। उन कल्याणकारी योजनाओं में जैसे कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की सोंच है कि देश का किसान और जवान ही देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त हमारे नेता प्रतिपक्ष कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे। 5 साल तक हम लोगों ने भी देखा। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में व्यवधान उत्पन्न करके नेता प्रतिपक्ष ने कानून-व्यवस्था का सहारा लिया, 5 साल तक कुशीनगर के पडरौना विधान सभा का प्रतिनिधित्व करके हमारे नेता प्रतिपक्ष आते हैं, इनके शासनकाल में जब हम लोग जनसमस्याओं को ले करके कभी आन्दोलन करते थे तो उस आन्दोलन को दबाने के लिए इनके निर्देश पर पुलिस लाठियों से मार करके हम लोगों के खिलाफ पुलिस फर्जी मुकदमें दर्ज करती थी। इन्हीं के कार्यकाल में रामकोला के थाने में विजय बहादुर यादव सिपाही की हत्या पुलिस के ही लोगों ने किया और यह मूकदर्शक बने रहे। इन्हीं की सरकार में तूरपट्टी में हरीसिंह यादव की हत्या की गई, हत्या करने वाला व्यक्ति जो इनका सन्निकट था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया, थाने के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया, ऐसे व्यक्ति कानून की बात करते हैं। जब उन्हें अवसर मिला था तब कानून का खुल्लमखुल्ला उपहास करने का काम किये। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का जो बकाया गन्ना मूल्य है, 400 करोड़ रुपया, वह देने जा रही है, उसे देने की घोषणा है। एक ऐसी सरकार 5 साल तक थी जिसने 21 चीनी मिलों को बेंच करके, औने-पौने रुपयों में बेंच करके अरबों रुपये का घोटाला करने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि गोरखपुर मण्डल में 6 चीनी मिलों को एक ही दिन बसपा की सरकार में बन्द कर दिया गया। पिपराइच चीनी मिल, बैतालपुर, देवरिया, भटनी और रामकोला चीनी मिल को बेंच दिया गया। दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार थी जिसको किसानों से कुछ लेना-देना नहीं था। रामकोला, खेतान चीनी मिल जब बन्द हो रही थी तो उसके पड़ाव में माननीय कांशीराम योजना के अन्तर्गत आवास बना करके देश की आजादी के पहले बनी हुई चीनी मिल के अस्तित्व को उस सरकार ने समाप्त किया। आज हम कहना चाहते हैं कि हम कन्या विद्या धन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बन्द चीनी मिल को चलाने का प्रयास करेंगे, हम किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। मान्यवर, यह सरकार किसानों के हित की बात करती है और जब तक खेत और खलिहान से काम करने वाले किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश प्रदेश प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी की सोच नौजवानों,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के विकास के लिए है, छात्रों के विकास के लिए है और मुसलमानों तथा सभी वर्गों के विकास के लिए है और सभी के विकास की बात इस महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है।

हम आपसे आग्रह के साथ निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्वांचल की पहचान चीनी मिलों से थी और चीनी मिलें एक-एक करके बन्द कर दी गयीं। बसपा की सरकार जब-जब आयी तो चीनी मिलों को बन्द किया गया। हमारी मांग है कि अगर बन्द चीनी मिलों को चला दिया जाये तो गोरखपुर मण्डल और पूरे पूर्वांचल का विकास हो जाएगा। आज मजदूर और किसान दुखी हैं ऐसे चीनी मिलों को जो पूर्व की सरकार में बेचा गया अगर उन चीनी मिलों को यह सरकार चला देती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ढाई महीने सरकार बने हुए है और ढाई महीने की सरकार पर हमारे विपक्षी लोग उपहास करने का काम करते हैं। उनको अपने कार्यकाल के आइने को देखना चाहिए और जब कोई सरकार जनहित की बात करती है तो नैतिक रूप से उसका समर्थन करना चाहिए। विपक्ष सरकार का आईना होता है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के विकास के लिए एक आईना है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोंच है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश को देश में एक विकसित प्रदेश बनाया जाये। यह सपना है यह सोच है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी यह 4.00 बजे तक चलेगा। परेशान न हों। बोलने का मौका मिलेगा। माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, चली गयीं। अब कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल लें।

श्री प्रदीप कुमार-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं सहारनपुर की गंगोह विधान सभा से चुनकर आया हूं मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ संशोधन चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे वह संशोधन शामिल कर लिये जायें। मान्यवर, जैसे सरकार ने दुर्घटना बीमा का पैसा एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। इसी सम्बन्ध में सहकारी समितियों के अन्तर्गत किसानों को एक एकड़ के 16 हजार रुपये ऋण दिये जाने की व्यवस्था है इसमें मेरा अनुरोध है कि इसको बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया जाये। इसके साथ-साथ हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत नुकसान होता है। पिछली बार भी हमारे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। पिछली बार की सरकार ने बाढ़ राहत के नाम पर किसी को ढाई सौ रुपये, किसी को 300 रुपये, किसी को 500 रुपये देने का काम किया है। इससे काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ठोकरें बनवाने का काम किया जाये। ताकि आगे आने वाले समय में किसान लोग बाढ़ से प्रभावित न हों और इसी के साथ-साथ गेहूं खरीद का जो मामला है उस सम्बन्ध में बहुत सारी चर्चा सदन के अन्दर हो चुकी है। गेहूं खरीद के मामले में पिछले साल जो

क्रय केन्द्र लगाये गये थे उनको अबकी बार नहीं लगाया गया है। यह व्यवस्था की जाय कि आगे आने वाले समय में वह क्रय केन्द्र पहले से ही प्राथमिक रूप से चालू कर दिये जायें। इसके साथ-साथ विद्युत व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है विद्युत व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। इसकी व्यवस्था के लिए हमारे जनपद सहारनपुर में गंगोह विधान सभा क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली की उपलब्धता कराई जाय। इसी के साथ-साथ परिवहन का जहां तक सवाल है, परिवहन की व्यवस्था, हमारे जनपद सहारनपुर में गंगोह विधान सभा क्षेत्र में बहुत खराब है, वहां से जाने के लिए लखनऊ, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, चण्डीगढ़ इत्यादि जगहों पर हमारे यहां के यात्रियों को जाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में बसों की व्यवस्था की जाये ताकि वहां से बसों का संचालन सुचारू रूप से हो जाये। गंगोह से दिल्ली की व्यवस्था की जाय, गंगोह से चण्डीगढ़ के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाय, गंगोह से देहरादून के लिए की जाय, गंगोह से लखनऊ के लिए परिवहन बसों की व्यवस्था कर दी जाय और इसी के साथ-साथ मान्यवर, हैण्डपम्पों की व्यवस्था भी बहुत खराब हो चुकी है, जो हैण्डपम्प पहले से लगे हैं वह मात्र सौ-सौ, सवा सौ-सौ फीट की दूरी पर लगे हैं, जिनका पानी अत्यधिक खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, लोग हार्टअटैक की बीमारी से, पीलिया की बीमारी से, बुखार की बीमारी से उनकी मौत होने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वाटर पम्पों की व्यवस्था कर दी जाय। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र गंगोह में राजकीय महाविद्यालय नहीं है, हमारे गंगोह विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक गंगोह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कर दी जाय यह मैं संशोधन चाहता हूं। इसी के साथ-साथ हमारे सहारनपुर के अन्दर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था सरकार आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं तो यह प्रस्ताव भी हमारा संशोधन में शामिल कर लिया जाय और इसी के साथ-साथ मैं एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं, पट्टों के मामले को लेकर गंगोह विधान सभा क्षेत्र के गांव मानपुर के अन्दर कल चार-पांच लोगों की हत्या हुई और पांच-छः लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। इस घटना का संज्ञान लेने का काम किया जाय और उन दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दियाा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं उस जनपद से चुनकर आया हूं, जो जनपद पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले आजाद हुआ था। मान्यवर, आप भी इससे अवगत हैं, कोई भी हमारे जनपद में जाता है तो इसकी दुहाई देता है यह बागी बलिया जनपद एक क्रान्तिकारी जनपद रहा है, लेकिन साथ ही खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे जनपद में जो कुछ भी रोजगार के अवसर थे, जैसे हमारे जनपद में कताई मिल थी जो लगभग बीस वर्षो से बन्द पड़ी

है, दूसरे हमारे जनपद में सरकारी चीनी मिल है, जिसकी मरम्मत की वजह से पर्याप्त गन्ना क्षेत्र न बढ़ाये जाने की वजह से वह भी समय से पहले ही बन्द हो जाती है। हमारा जनपद ऐसा है कि आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उस समाजवादी पार्टी से हमारे छः माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ दो मंत्री भी हैं जो आज मेरा सौभाग्य है कि संसदीय कार्य मंत्री की जगह पर बैठे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके द्वारा आज कुछ आश्वासन मिलेगा। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी जनपद में कोई बड़े मेडिकल कालेज या कोई बड़े रोजगार के अवसर खोलने के लिए उस जनपद में किस तरह की क्राईटेरिया तय होती है, हम लोग अब अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, अभी एम्स की चर्चा हो रही थी, तमाम लोग एम्स की बात करते हैं कि रायबरेली में खुल रहा है, कोई लखनऊ में खोलने की बात करते हैं, कोई कहीं खोलने की बात करते हैं। मान्यवर, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी भी जनपद में खोला जाये। लेकिन मान्यवर, एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जनपद में 20 साल से जो कताई मिल बन्द पड़ी है जिसके पास अपनी सौ एकड़ जमीन है।

हम संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या वह उस कताई मिल को चालू करायेंगे अथवा अगर एम्स कालेज अन्यत्र को खोलने का निर्णय हो ही गया है तो क्या उस बेकार पड़ी सौ एकड़ जमीन पर कोई और मेडिकल कालेज या इस तरह की कोई और व्यवस्था देने का काम यह सरकार करेगी। मान्यवर, साथ ही प्रदेश में एक दूसरी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, आप भी उससे अवगत हैं कि आज 6 मार्च से सोनभद्र में बन्द है खनन प्रदेश में जैसे सोनभद्र ऐसा जिला है, जहां से लगभग 30 से 35 जिलों, में चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे घर बनाना हो, एक गरीब के घर का एक छत भी डालना हो तो वहीं से गिट्टी जाती है। लेकिन 6 मार्च के बाद से वहां कोई खनन नहीं हो रहा है। मान्यवर, आप भी इससे अवगत हैं कि अगर इसकी व्यवस्था नहीं करायी जायेगी तो सड़क या विकास की बात तो दूर है, कोई भी व्यक्ति अपना घर भी नहीं बना सकता है। मैं इस पर भी सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में एक सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है। हमारे यहां लगभग 20 वर्षों से राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुला हुआ है लेकिन मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां राजकीय कन्या इण्टर कालेज पहले किराये के मकान में चलता था और आज के दिन में वह राजकीय कन्या इण्टर कालेज हमारी पुरानी तहसील के जर्जर भवन में उसमें भी किराये के रूप में चल रहा है, उसके पास अपना कोई भवन नहीं है। एक तरफ हम कन्याओं को तमाम सुविधायें देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां जो विद्यालय है, हम उसका भवन भी नहीं बनवा पाते हैं। मैं मान्यवर के माध्यम से इसके लिये भी चाहूंगा जबकि उसके लिये उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस कन्या इण्टर कालेज के लिये जो तहसील की जमीन है उसी में से 48 डिसमिल जमीन, उसके भवन बनाने के लिये संस्तुति करके शासन में भेजा जा चुका है। मैं चाहूंगा कि उसका भवन बनाने के लिये सरकार महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में संशोधन करे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया भी कि जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पेज 21 के पैरा

3 पर यह लिखा गया है कि हम कब्रिस्तान की चहारदीवारी करायेंगे। राजस्व मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुये हैं। हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक खाता संख्या है 00167, खसरा संख्या है 39 जिसका क्षेत्रफल है 0.506 हेक्टेयर। जिस पर कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, कब्रिस्तान की जमीन है तो मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी हमें जरूर अवगत कराते हुए इसको भी अतिक्रमण से अवमुक्त करा दें और कब्रिस्तान को कब्रिस्तान का हक दिला कर उसकी बाउण्ड्री करा दें। साथ मान्यवर, रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र एक ऐसा नगर पालिका क्षेत्र है जहां जबसे विद्युतीकरण हुआ है, उसमें 400 के0वी0ए0 से लेकर 200 के0वी0ए0 के जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं वो आज तक न तो कभी बदले गये। पूरे रसड़ा नगर की समस्या उसी ट्रांसफार्मर से है अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली की समस्या तो दूर, वहां के लोगों को पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मान्यवर,, मैं चाहूंगा कि इस हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के टीकादेवरी नत्रपुरा के पास में जो टोंस नदी है उस पर पीपे का पुल बनाने की संस्तुति मान्यवर दें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि सभी तरफ नये सदस्यों को समान रूप से चुना जाये, ऐसा आपने कहा भी था और यही मंशा है सबकी। इस पक्ष के तमाम सदस्य ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाया है, उनको भी प्राथमिकता में लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, ये बैठे रहें तो सबको समय मिल जायेगा। हकीकत यह है कि आप अपनी बेंचों को तो देखिये। बैठे रहें सबको मिल जायेगा।

(एक सदस्य के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अरे उनको बोल लेने दो। आप दूसरी बार जीत कर आये हैं क्यों जान दिये हैं मा0 मौर्या जी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी सभी तरफ के नये मा0 सदस्यों को सुना जाए ऐसा आपने कहा भी था और ऐसी ही मंशा है सब की, तो इस पक्ष के तमाम सदस्य ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाया है उनको प्राथमिकता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, ये अगर बैठे रहें तो सबको समय मिल जाएगा। हकीकत यह है कि आप जरा अपनी बेंचों को तो देखिये।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा चार दिन से नम्बर नहीं आ रहा है। मान्यवर, 4 दिन हो गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप दूसरी बार जीत कर आए हैं क्यों जान दिए हैं, आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इन सदस्यों ने ठीक कहा कि एक महिला सदस्य परसों से हाथ उठा रही है और आपकी दृष्टि महिलाओं पर जाती नहीं है। इसलिए पढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

उसमें जो एक साध्वी जी बैठी हैं, वह तो बोल चुकी हैं। इसमें मुसीबत यह है कि आप बैठे रहिए नम्बर मिल जायेगा। आप लोग बैठते नहीं हैं, नम्बर नहीं मिला तो चले जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मा0 राजस्व मंत्री जी ने आप पर आक्षेप कर दिया और यह आक्षेप उन्हें नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष-

यह आप अलग से लगा रहे हों तो दूसरी बात है।

श्री प्रमोद तिवारी-

इन्होंने यह कहा कि आपकी नजर महिलाओं की तरफ नहीं जाती है, जबकि आपने कई लोगों को बुलवाया है मान्यवर। अब कुछ ऐसे मंत्री हैं, जिनकी नजर सिर्फ वहीं जाती है, तो इनका खसरा-खतौनी दुरुस्त करवाइए मान्यवर, इनका खसरा-खतौनी में कुछ जो नौजवान हैं, उनका भी नाम आना चाहिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास किए जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

इनको बोल लेने दो। आप लोग बैठ जाएं। इनके बोलने के बाद बोल लीजिएगा।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगियों ने सदन के अन्दर जो अमर्यादित आचरण कियाा वह लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। पिछली सरकार ने ''सर्वजन हिताय

सर्वजन सुखाय'' के नारे पर कार्य करने का भरोसा दिया था, लेकिन विगत पांच वर्षों में सिर्फ कागजों पर धन का बंदरबांट किया गया है। हमारी सरकार के ऊपर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि लोक सभा और विधान सभा और स्थानीय निकाय चुनावों में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों में अपराधी किस्म के लोगों को सदन में भेज करके उन्हें माननीय बनाने का कार्य किया है। अभी कुछ दिन अखबारों में मा0 नेता प्रतिपक्ष की तरफ से खबर छपी थी कि समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी है। मैं इस सदन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि शायद वह भूल गये हैं कि वह अपना पडरौना से लड़े, उनका एक बेटा रायबरेली से लड़ा, एक बेटी एटा से लड़ी, क्या यह परिवारवाद नहीं है। वह स्वयं भी पडरौना से लड़े थे। हमारे मा0 मुख्य मंत्री हजारों नौजवानों के दिलों की धड़कन जब प्रदेश के उत्थान के लिए जनउपयोगी योजनाओं के लाने के लिए सदन में बहस करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग वाकआउट कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप जरा जल्दी समाप्त करिए। आज आप लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी खत्म करिए।

श्री जय प्रकाश अंचल-

वह यह साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता की योजनाओं से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बहेड़िया जो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा और जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली है उसकी ओर आपका आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमारा जो गंगा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वहां आज भी विकास से सम्बन्धित तमाम परेशानियां हैं और इस बंधे पर हजारों लोगों का परिवार बसा हुआ है। बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करने पर ही आ रहा हूं।

(श्री रोशन लाल वर्मा के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय जय प्रकाश यादव जी बोल रहे हैं और अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। उन्हें बोल लेने दें।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मान्यवर, मेरा जनपद जनेश्वर मिश्र जी और जयप्रकाश जी की कर्मस्थली और जन्मस्थली रही है, वहां पर एक इंजीनियरिंग कालेज और एक मेडिकल कालेज खोलने पर विचार किया जाये। इसी के साथ, मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने पहली बार मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में स्वयं मौजूद नही हैं। मैं उन्हें एक बात की बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मैंने एक व्यक्तिगत समस्या और एक प्रकरण उनके समक्ष रखा था। 11 मई को उनसे मिला था

अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखी थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि विधायक जी के साथ न्याय किया जाय और उस पर जिलाधिकारी महोदय ने 9 सदस्यीय टीम गठित करके राजस्व विभाग की जांच कराने का काम किया। उस टीम ने साफ लिखा है कि जिले के थानाध्यक्ष निगोही गलत हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दी गयी है। मैंने जब थानाध्यक्ष को फोन किया, यह कहा गया मुझसे कि सरकार बदल गयी है फोन मत किया करें। मान्यवर, स्थिति जो है वह मैंने पूरी लिखित रूप में भी बतायी है माननीय नेता सदन को, मेरे ऊपर मेरे परिवार के बेटों पर जांच की बात की जा रही है, 307, 323, 324, 325 आदि धाराओं के अन्तर्गत मेरे ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज किये गये हैं। सरेआम हमारे कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया जा रहा है उनका अपमान किया जा रहा है। मान्यवर, इन सबके बावजूद भी यह रिपोर्ट अब आ रही है जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम की कि थानाध्यक्ष निगोही कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आप देखें एक तरफ रिपोर्ट आती है जिलाधिकारी की, उसके बाद यह बात आती है कि जो नाप है उसकी पुनः नाप करायी जाये। मैंने इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को, डीजीपी जी को अपने विपक्ष के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को और सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखे हैं कि इसमें जांच करायी जाय। मान्यवर, इसमें विषय यह है कि थानाध्यक्ष, निगोही मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इसमें हमें न्याय दिलाया जाय। राजस्व विभाग के लोगों की एक 9 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की है। माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं विनती करना चाहता हूं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्व विभाग जमीन का मालिक होता है या थानाध्यक्ष, निगोही। मान्यवर, हमारे कार्यकताओ पर फर्जी मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। अतः थानाध्यक्ष, निगोही को हटाकर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जाय। मान्यवर, मेरे ऊपर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमें दायर हो रहे हैं थाने पर शाम को ऐसे लोग लाये जाते हैं, प्रदेश में कांजीहाउस बन्द हो गयी है लेकिन थाना निगोही में हमारे कार्यकर्ताओं हमारे लोगों को शाम को लाकर बन्द किया जाता है और जिनसे पैसे की उगाही होती है और उनको छोड़ दिया जाता है बाकी को जेल भेज दिया जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं अभी सरकार का यह बखान हुआ कि सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त है लेकिन मैंने लिखकर दिया है, रिकार्ड है मेरे पास। लेकिन कोई कार्यवाही नही हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये आप। माननीय राजस्व मंत्री जी, इनकी कोई जमीन है थाना वाला कहता है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन्होंने कागज दिखाया था, इनका कहना है कि जमीन हमारी है, थानाध्यक्ष कहता है कि यह थाने की जमीन है इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका कहना है कि इन्होंने तहसील से माप कराई तो वह थाने की जमीन नहीं निकली लेकिन दारोगा बात नहीं मान रहा है और इसी के नाते हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया है यही बात है न। इसको आप दिखवा लें कि अगर थाने की जमीन नहीं है तो वह इनको क्यों परेशान कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्देश दिया है इसका अक्षरशः पालन होगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया लिखकर स्वयं प्रकरण दे दें ताकि मैं तत्काल इसको दिखवा सकूं, वैसे मैं सदन को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मान्यवर, यह नीति पुरानी सरकार की थी और निर्देश पुरानी सरकार के थे कि विपक्षी दल के लोगों पर फर्जी मुकदमें दर्ज करो, उनके बच्चों को जेल में डालो, उनकी जमीनें हड़प लो, लूट लो, यह निर्देश मान्यवर, नई सरकार में नहीं हैं। अब नीति बदल गयी है अगर दारोगा को यह पता नहीं है कि सरकार बदल गयी है और कार्यशैली भी बदल गयी है, नीतियां बदल गयी हैं तो मान्यवर, उसको अवगत होना चाहिए। आप दे दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश का अनुपालन होगा।

(श्रीमती विमला सिंह सोलंकी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आश्वासन हो गया, आप लिखकर दीजिए। आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आपस में बात न करें।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव रखते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि 5 साल पहले सदन में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं तो कम से कम मैं बहुत ज्यादा गौरान्वित महसूस कर रही थी कि एक महिला इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी भारी बहुमत के साथ उन्होंने इतिहास रचा था। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बहन मायावती जी यहां की मुख्य मंत्री बनी हैं। लेकिन उन्होंने सशक्तीकरण का जो नमूना पेश किया वह ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि शक्तियों का ज्यादा प्रयोग हो गया इसलिए आज वह इधर बैठे हैं और स0पा0 उधर बैठी है। आज एक नया इतिहास रचा है, (इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए) कि आज हमारा एक सबसे युवा मुख्य मंत्री बना है जिससे एक ताजा हवा का झोंका पूरे प्रदेश में आया है। मैं महिला हूं और महिलाओं के विषय में ही बात करना चाह रही हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में महिलाओं के लिये हर विकास खण्ड पर एक कन्या डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की गयी है, मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन मैं इसके

साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि विकास खण्ड पर आपने जो कन्या डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की है, उससे पहले इण्टर क्लास आती है और इण्टर कालेज भी किसी विकास खण्ड पर नहीं हैं तो मेरा यह आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर कन्या इण्टर कालेज अवश्य खोले जायें और तहसील स्तर पर एक कन्या पालीटेक्निक, तकनीकी विद्यालय स्थापित किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक बिन्दु रखना चाहती हूं कि बेसिक शिक्षा के ऊपर आज मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से काफी बातें कही हैं और काफी पैसा उन्होंने मंजूर भी किया है लेकिन बेसिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बेसिक शिक्षा में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है उस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जिस तरह से वहां स्थानान्तरण किये जाते हैं उसकी वजह से एक-एक स्कूल में 10-10 टीचर पहुंच जाते हैं और जो इंटीरियर के गांव हैं वहां पर एक टीचर मुश्किल से पहुंच पाता है और यदि उसकी ड्यूटी जनगणना वगैरह में लगा दी जाती है तो वहां पर कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिये नहीं रह जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां यह व्यवस्था की जाये कि कम से कम हर स्कूल में दो या तीन टीचर की व्यवस्था अवश्य हो।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने प्रदेश में नये उद्योग लगाने की जो घोषणा की है उसका मैं बहुत स्वागत करती हूं। क्योंकि इस सरकार की मंशा है कि अच्छे से अच्छे उद्योग यहां पर लगें और पूंजी निवेश हो लेकिन मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं कि नये उद्योग लगें, पूंजी निवेश हो, लेकिन जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मैं जनपद बुलन्दशहर से आती हूं वहां एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद है, जो 40 साल पहले वहां स्थापित हुआ लेकिन विकास के अभाव में अब जीर्णशीर्ण अवस्था में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा उसके बाद स्थापित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि उस ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको दुबारा से विकसित किया जाना चाहिये। जबकि वहां पर बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनियां स्थापित हैं। कजारिया सेरेमिक्स, ओरियंस सेरेमिक्स, हाईटेक पाइप जैसी कम्पनियां वहां पर स्थापित हैं लेकिन यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जो आपका कारपोरेशन है, वहां पर विकास के नाम पर इसकी गतिविधियां शून्य है। वहां पर जो भी पैसा सरकार से मिलता है, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो पुराने औद्यगिक क्षेत्र हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, सरकार द्वारा विशेष नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में किया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि नगर के आसपास भी कई कालोनियां विकसित हो गयी हैं वह कहने की तो नगर में हैं लेकिन तकनीकी रूप से वह नगर में नहीं हैं, नगरपालिका और महानगरपालिका में उनका समावेश नहीं किया गया है। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूं कि जो आसपास कालोनियां हैं, उनके समुचित विकास के लिये उनको नगरपालिका और महानगरपालिका में शामिल किया जाना चाहिये, जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके। वहां पर सड़क, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो सके और बिजली पर्याप्त रूप से सप्लाई हो सके। मैं यह भी कहना चाहती हूं, सरकार का प्रस्ताव है कि वह किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने हेतु वह

विशेष प्रयास करेगी, मैं इसका स्वागत करती हूं लेकिन इसके साथ-साथ अनुरोध करती हूं कि सरकार ऐसे ऋण उपलब्ध कराते समय किसानों की जमीन को बन्धक रखने पर जो स्टाम्प शुल्क वसूलती है, वह अभी तक एक सीमा तक माफ है उसे पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया जाए तथा किसानों से कोई स्टाम्प शुल्क न लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की जो ग्रामीण सड़कें हैं वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि आप नए पुल नई सड़कें बनायें लेकिन जो टूटी-फूटी ग्रामीण सड़कें हैं उनकी ओर भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए और जिले की जो पुरानी जी0टी0 रोड्स हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे सिकन्दराबाद में एक पुरानी जी0टी0 रोड है जो सिकन्दराबाद नगर से खुर्जर नगर को जोड़ती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का यहां मौका दिया है इसलिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि हम सब लोग भारी विश्वास के साथ आते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक व्यवस्था बनायें रखें। जितनी संख्या हमारे सदस्यों की है, व्यवस्था के तहत धीरे-धीरे सभी का नम्बर आ जाएगा, अगर अव्यवस्था होगी तो व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया शालीनता का परिचय दें। आप अपने दल के नेता के माध्यम से अपनी वरीयता के माध्यम से हमें लिस्ट भिजवा दें, हम उसी क्रम से आपको बोलने का अवसर दे देंगे।

श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया है। मान्यवर, खड्डा विधान सभा क्षेत्र देश के उन विधान सभा में से एक है जहां के बाद अपने देश की सीमा समाप्त होती है और दूसरे देश की सीमा प्रारम्भ होती है। लिहाजा विकास की किरणें और योजनाओं के लाभ बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। खड्डा विधान सभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां की जनता नारायणी नदी से सटे होने के कारण अगर बाढ़ की त्रासदी हर वर्ष झेलने के लिए तैयार रहती है तो आवास के नाम पर झोपड़ियों की अधिकता होने के कारण अग्नि आपदा की त्रासदी भी झेलने के लिए तैयार रहती है। खड्डा विधान सभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां की जनता 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना पूरा दिन व्यय करके तहसील की एक सुविधा लेने का कार्य करती है। खड्डा विधान सभा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां दो-दो मुख्यालय विकास खण्ड मुख्यालय हैं। जहां पर चार महाविद्यालय हैं और दर्जनों इण्टरमीडिएट विद्यालय हैं खड्डा नगर पंचायत है, खड्डा बड़ी शुगर मिल है। सारे मानक पूर्ण करने के बावजूद आज 15 वर्षों से जनता की भारी मांग पर जनप्रतिनिधि केवल आश्वसान देने का कार्य करते हैं। मान्यवर, मैं खड्डा विधान सभा क्षेत्र की उन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उस क्षेत्र की जनता मुख्यतः कृषक है, गन्ने की खेती पर आश्रित है। छितौनी चीनी मिल जो 50 वर्षों से खड्डा क्षेत्र की जनता के सहायक के रूप में एक माध्यम बना हुआ था लगभग 01 दशक से आज बंद

पड़ा है। जनता की आस तो उस समय टूटने लगी जब पिछले वर्ष 30-03-2011 ओमकारा शुगर प्राइवेट लिमिटेड ने उस मिल के भवन, जमीन और कलपुर्जों को मात्र 3 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीद लिया, जबकि उस समय केवल मिल के जमीन का सर्किट रेट 6 करोड़ रुपये था। मैंने इस खरीद-बिक्री के घोटाले के लिए व छितौनी चीनी मिल को पुनः प्रारम्भ करने के लिए प्रश्न लगाया हूं। वर्तमान सरकार उस पर ध्यान आकृष्ट करे। खड्डा विधान सभा क्षेत्र के उस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के प्रमुख नहरों में से एक है, जो नेपाल की सीमा से लेकर बिहार की सीमा तक 132 कि0मी0 हमारे कुशीनगर जनपद में स्थित है। आज किसानों की हितैषी बनने की होड़ लगी है, वर्तमान सरकार क्या और पूर्व सरकार क्या ? लेकिन अगर इस प्रमुख नहर के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह बात प्रमाणित हो जायेगा कि किसानों की सच्ची हितैषी वर्तमान या पूर्व सरकार नहीं अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। तब भी थी और आज भी है। सन् 1962 में पं0 जवहार लाल नेहरू के आशीर्वाद से अगर उस प्रमुख नहर, जिसकी सिंचाई से आज 4 जनपद के लाखों, करोड़ों परिवार जिनकी खेती की सिंचाई का मुख्य श्रोत है, सन् 1962 में उनके आशीर्वाद से आधार शिला रखी गयी थी तो सन् 1972 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी के आशीर्वाद से उद्घाटन हुआ था। एक वह महान विभूति थे जिन्होंने लाखों, करोड़ों परिवार की सिंचाई के लिए ऐतिहासिक नहरों का जाल बिछाने का काम किया था और आज के वर्तमान सरकारों में वह कूबत नहीं कि वह नहरों में जमा सिल्ट साफ करा सकें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दूबे जी संक्षिप्त करें।

श्री विजय कुमार दुबे-

आज वह नहरों के आन्तरिक दोनों तरफ की दीवारें एक-एक कि0मी0 तक ध्वस्त हैं। यह प्रमुख नहर 3 से 4 जनपदों के लाखों, करोड़ों हेक्टेयर की सिंचाई का मुख्य श्रोत है, इस नहर के रख-रखाव में पिछले 05 साल में केवल कागजों में भले धन दिया हो, लेकिन वास्तव में सरकार ने कोई धन नही दिया है। वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रमुख नहर पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

दूबे जी कृपया समाप्त करें, आपकी बहुत सारी बात आ गयी, अभी बजट बाकी है, जो बातें रह गयीं उसको बजट की चर्चा के दौरान कह लीजिएगा। मा0 सदस्य महेश नारायण सिंह जी।

श्री विजय कुमार दुबे-

विद्युतीकरण का अभाव है, 250 से 300 मजरे आज भी वंचित हैं खड्डा विधान सभा क्षेत्र में। शहर के प्रमुख मार्ग खस्ताहाल हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र पर वर्तमान सरकार आशीर्वाद रखे, ध्यान दे। इसी के साथ आपको धन्यवाद।

श्री महेश नारायण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस सरकार से पहले 5 साल तक ब0स0पा0 की जालिम सरकार थी जिससे पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा

था। जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती थी और लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की जाती थी तो लाठी और डण्डे के बल पर दमन किया जाता था जिसका भुक्तभोगी मैं भी रहा हूं। मैं लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, घेराव कर रहा था, हण्डिया एस0डी0एम0 के यहां। इसमें तीन तरफ से बाउण्ड्री से घिरा है चौथी तरफ से पी0ए0सी0 के जवान खड़े होकर पूरा कैम्पस बना लिये और हजारों-हजार कार्यकर्ताओं को पीटकर उनके हाथ-पैर तोड़ने का काम किये। मान्यवर, मेरे भाई के ऊपर 323 की भी एफ0आई0आर0 कभी नहीं थी लेकिन बसपा के शासनकाल में उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा कायम करके जेल भेजने का काम किया गया। मैं कहना चाहता हूं आज जो लोग कानून-व्यवस्था की दुहाई देते हैं जो कानून-व्यवस्था की बात करते है नैतिकता की दुहाई देते हैं लेकिन सामान्य सी बात उनके समझ में नहीं आती है सुन नहीं सकते तो सदन से बाहर जाने का काम करते हैं उन लोगों को भी अपने आइने के सामने देखना चाहिए कि हम पांच साल में क्या बोए है जो काटेंगे। जो बोया जाता है वही काटा जाता है दूसरी फसल उसमें नहीं काटी जाती बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होय माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं क्षेत्र की समस्याओं में हमारे यहां केहुनी पम्प कैनाल है जो कि गंगा जी से सम्बंधित है उसकी क्षमता कम है क्षेत्र की मांग ज्यादा है मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसकी क्षमता बढ़ाने का काम किया जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। तार और खम्भे इतने जर्जर हैं कि टूट जाते है तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं उन तार और खम्भों को बदलने की व्यवस्था की जाय। अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था तूफान में तमाम पोल टूट गए थे आज तक उनकी व्यवस्था नहीं हो पायी है जो बदले जा सकें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने का कष्ट करिएगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लाक्षागृह नाम का स्थान है जहां पाण्डव अज्ञातवास में छिपने के लिए मकान बनाए थे महाभारत में ऐसा उल्लेख है ऐसा मैंने पढ़ा है कि वरणावत प्रदेश में ही पाण्डव अपने अज्ञातवास को बिताने के लिए लाख का महल बनवाए थे जो कि हमारे क्षेत्र में गंगा जी के किनारे स्थित है। वहां पर जो हमने पढ़ा है कि जब लाक्षागृह में आग लगा दी गयी थी लाक्षागृह जल गया तो एक सुरंग के जरिए पाण्डव गंगा पार करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे उस समय लेखक ने जो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया था वह भौगोलिक परिस्थितियां आज भी दिखाई देती हैं हम लोग खुदवाकर देखे हैं पुरातत्व वाले उसे खुदवाकर देखे हैं जली हुई लाख आज भी मिलती है उसका ढ़ेर लगा हुआ है जो एक किले के समान देखने में लगता है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उसे पर्यटक स्थल बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री महेश नारायण सिंह-

अगर पर्यटक स्थल बना दिया जाय तो दूर-दूर से यात्री आएंगे और सीतामढ़ी की तरह एक रमणीक स्थल बन सकेगा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब बजट पर अपनी बात रखिएगा।

श्री महेश नारायण सिंह-

मान्यवर, मै आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री तसलीम-

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो समस्याएं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह केवल मेरे क्षेत्र की ही नहीं यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों के क्षेत्र की समस्या है। राशन की दुकान पूरे महीने में मात्र दो या तीन दिन खुलती है। हमारी माताएं बहनें सुबह 6 बजे से लाइन लगा लेती हैं और जब 11 बजे का वक्त आता है तो इस चिलचिलाती गर्मी में उनको मना कर दिया जाता है कि अब राशन खत्म हो गया है। मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं रसद मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तीस दिन खुलने का यहां से निर्देश जारी करें कि तीस के तीस दिन राशन की दुकान को खुलना चाहिए और दोनों समय खुलना चाहिए मेरा आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी से अनुरोध है। दूसरा मेरा प्रश्न है अनुरोध है क्षेत्र की समस्या कि जो कोटा है राशन का वह शासन से जो स्वीकृत है उसके अनुरूप नहीं बंट रहा है। मात्र 70 परसेन्ट खाद का रसद का जो राशन डीलर को जाता है। 30 परसेन्ट कोटे की कटौती डी0एस0ओ0 द्वारा हमारे जनपद में हो रही है। जब मैंने राशन डीलर से मालूम किया कि पूरा कोटा क्यों नहीं बांटते हो तो उन्होंने बताया कि डी0एस0ओ0 बिजनौर हैं उनका यह आदेश है कि जितना भी तेल है वह एक हमारे पेट्रोल पम्प डीलर है उसको 35 हजार लीटर का कोटा आवंटन है। मैं सदन के सामने अपना सवाल रखना चाहता हूं कि सारे देहात के डीलर वहां जाते हैं 4 ड्रम, 6 ड्रम, 8 ड्रम वहां छोड़कर उनसे पैसा लेकर चले जाते हैं और वही तेल में मिलावट करके पेट्रोल पम्प वाले हम लोगों को बेचते हैं। मान्यवर, इस पर अंकुश लगाया जाय और जो हमारा पूरा स्वीकृत है 100 परसेन्ट कोटा वह मेरे जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बंटवाने का काम किया जाय। मेरे क्षेत्र की दूसरी समस्या यह है कि साढ़े चार लाख की आबादी का मेरा क्षेत्र है और उसमें कोई भी गर्ल्स इन्टर कालेज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्सम से अनुरोध करूंगा कि नेता सदन उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री जी मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा है उन्होंने उसमें रखा है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में गर्ल्स डिग्री कालेज बनाया जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में गर्ल्स डिग्री कालेज बनाने का निर्देश जारी किया जाय। मेरे यहां एक गर्ल्स इन्टर कालेज की भी व्यवस्था की जाय। नजीबाबाद हरिद्वार से जुड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरिद्वार रोड एन0एच0-74, दो द्वारा तिराहा आई पास से बिगौरी बडिया एन0एच0-119 दिल्ली पौड़ी मार्ग तक पी0डब्ल्यू0डी0 32 नम्बर रोड है यह लगभग 14 किलोमीटर की है। आपके माध्यम से पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्षो से यह नहीं बनी है कृपया इसको बनाने का कष्ट करें। नजीबाबाद में 6 गांव ऐसे हैं जहां लाईट की व्यवस्था नहीं है। यह गांव लालपूर फौजीमल, सेलमपुर भट्टा, मझहाड़ी, बोरकी, प्रीतमगढ़, नया गांव कोटद्वार रोड इन गांवों के विद्युतीकरण की आवश्यकता है। तीन ऐसे बड़े मोहल्ले हैं। जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहां की जनता परेशान है। गर्मी का मौसम है। मुनीरगंज बड़ा मोहल्ला है नई बस्ती चारबाग मोहल्ला है, वाहिदानगर बड़ा मोहल्ला है इसमें

विद्युतीकरण कराया जाय। मान्यवर, कोटद्वार फाटक से जोगलपुरी तक की जो रोड है उसमें सेंन्ट मेरीज स्कूल है उस पर हजारों बच्चे गुजरते हैं उस सड़क का भी निर्माण कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री तसलीम-

मान्यवर, दो समस्याओं के बारे में और कहूंगा कि नजीबाबाद में लोग पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहें हैं। वार्टर वर्क्स इंजीनियर उसको देखने को तैयार नहीं है। ग्यारह कुएं हैं जिसमें से सात बन्द पड़े हैं। ऐसी भीषण गर्मी में इन सात कुओं को चालू करायें और जो वाटर वर्क्स कि लापरवाह इंजीनियर हैं उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। माननीय सदस्य संगीत सिंह आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री तसलीम-

मान्यवर, बस दो मिनट। मान्यवर, एक विषय और है पी0पी0सी0 यादव और कौशलेन्द्र यादव ट्रांसपोर्ट के नाम पर गाड़ी वालों से 5 हजार रुपये प्रतिमाह ले रहे हैं, यह भी अहम प्रश्न है। गाड़ी वाले परेशान हैं। ओवर लोडिंग के नाम पर कौशलेन्द्र यादव जो कि पिछली सरकार में भी थे, वसूल रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री संगीत सिंह सोम-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरे दिये हुए वक्तव्य को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किया जाय ऐसी मैं आशा रखता हूं। मान्यवर, मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आया हूं जिस विधान सभा क्षेत्र का हमारे देश में हमारे प्रदेश में एक विशेष स्थान है। विश्व प्रसिद्ध बेगम समरू द्वारा बनाया गया चर्च जो पूरे देश में जैसे कि हमारी विधान सभा में, हमारी लोक सभा में या किसी विशेष जगह चले जाइए। आपने देखा होगा सरधना चर्चा का फोटो हर जगह लगा दिखाई देता है। लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्व में अपना एक अलग स्थान रखने वाली जगह आज जो स्थिति उस जगह की है, आप जब उस कस्बे में जायेंगे तो कस्बे की ऐसी स्थिति है कि उस कस्बे में जाने के लिए न सड़क है, सड़क में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन वहां गड्ढों में सड़क है। दुःख का विषय है। मान्यवर, जब बरसात में उस कस्बे में जायेंगे तो अवैध डेरियां और अवैध पशु कटान होता है, आप भी किसी कस्बे के हैं इसलिए आपको भी जानकारी होगी, बरसात में जब नालों में गोबर भरता है तो वह बरसात में उबाल लेने लगता है। मान्यवर, नवम्बर में वहां पर एक मेला लगता है जिसमें देश के पांच से सात लाख लोग आते हैं। पर्यटन की स्थिति अगर देखी जाए, एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में भी पर्यटन के लिए काफी कुछ आया है लेकिन जहां प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध जगह हो, जहां के चर्च की फोटो लोग जगह-जगह लगाते हैं अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाते हैं। लेकिन जब कोई पर्यटक वहां

जाएगा तो वह क्या इमेज लेकर जाएगा। मैं एक चीज से और अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कल मैंने मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराया था और मुख्य मंत्री जी ने उस बात को मुझसे कहा था कि यह हो जाएगा। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार थाने आते हैं उन चार थानों में तीन थाने इंस्पेक्टर के थाने आते हैं, लेकिन एक भी थाने में इंस्पेक्टर नहीं है। दीवान और दरोगाओं के सहारे थाना चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि एक-एक दिन में तीन-तीन कत्ल हो रहे हैं दिन दहाड़े हो रहे हैं। आज आदमी घर से निकलने में डरने लगा है। आदमी सोचता है कि घर से निकलेगा तो कहां कत्ल हो जाएगा। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि थानों पर प्रापर व्यवस्था की जाए। हमारे यहां इंस्पेक्टर भेजे जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री संगीत सिंह सोम-

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरधना में पांच-सात साल पहले 20 से 22 रोडवेज बसें चला करती थीं लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है कि एक भी बस उस कस्बे में नहीं जाती है। जिस कस्बे में पांच से सात लाख टूरिस्ट आता हो एक भी बस वहां नहीं जाती है क्योंकि वहां चन्द प्राइवेट बस चालकों ने एक ग्रुप बनाया लिया है और वहां पर आर0टी0ओ0 से लेकर सब अधिकारियों से खरीद फरोख्त की और रोडवेज की सारी बसें बन्द करा दीं। मान्यवर, जब वहां से लोग कोर्ट गये, बस वाले हाईकोर्ट से मुकदमा हार चुके हैं। मुकदमा हारने के बाद वहां प्राइवेट शासन-प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं कि है जिससे वहां पर रोडवेज की बसें चलाई जाएं। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री जगतम्बा सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी के माननीय योगेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सदन चले पांच दिन हो रहे हैं। पांच दिन से मैं देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं जब भी हमारे नेता सदन बोलते हैं। नेता विरोधी दल बोलना शुरू कर देते हैं और कोई न कोई कारण निकालकर अनावश्यक व्यवधान पैदाकर सदन से बाहर चले जाते हैं। यह बहुत शर्म की बात है, यह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन लोकतंत्र के विपरीत काम करते हैं। उनको बैठकर सुनना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, शालीन हैं, सकारात्मक सोच के हैं, हर बात सुनते हैं, जो भी आप कहने को तैयार हैं वह सुनने को तैयार हैं। लेकिन वह सुनना ही नहीं चाहते हैं, जब भी ऐसी स्थिति आती है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उन्होंने जो व्यवहार किया, माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी बोलने के लिए खड़े हुए, आज जब बजट प्रस्तुत करना शुरू किया तो बहिष्कार करके चले गये। 5 साल में उन्होंने जो किया है वह जनता देख रही है और 5 सालों में वह इतना ऊब गयी, उसका परिणाम उनको मिला। हमेशा नकारात्मक सोच की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों को

[x x x] उनको स्वयं सोचना चाहिए। 5 सालों में पूरे प्रदेश को लूटकर रख दिया। मैं तो ऐसी जगह से आया हूं, मिर्जापुर से, यहां जितने स्मारक बने हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, जिन पर हजारों करोड़ रुपये की लूट हुई है, वह सब चुनार के पत्थरों के बने हैं, चुनार के पत्थर ही उसमें लगे हुए हैं। मैं उसी चुनार से चुनकर आया हूं। इसके पहले जब इनका निर्माण नहीं शुरू हुआ था, वहां 45 और 50 रुपये घन फुट पत्थर बिकते थे, इन्होंने उसकी सप्लाई 450 रुपये प्रति घन फुट लिया। बाकी कमीशन, ढुलाई। पत्थर मिर्जापुर से जयपुर जाते थे और वहां से तराश कर आते हैं और लगाये जाते थे। इस तरह की फिजूलखर्ची, जनता के धन की बर्बादी इन लोगों ने किया। आम जनता के ऊपर हजारों फर्जी मुकदमें एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के माध्यम से लगवाये। उन्होंने एक शासनादेश किया जब इनकी सरकार 2007 में आई तो पिछले 3 वर्षों से जो मुकदमें नहीं लिखे थे, कोई मुकदमें थे ही नहीं लेकिन उन्होंने इन्वेस्टीगेट किया और फर्जी मुकदमें समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर लगाये, हजारों मुकदमें, एकदम गलत मुकदमें। 5 साल तक पूरी जनता भयाक्रान्त रही, इन्होंने किसानों का शोषण किया। हमको उस दिन किसान विरोधी कह रहे थे, जबकि इनके 5 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी काम नहीं किया। इनके एजेण्डे में किसान कहीं था ही नहीं। न किसान था, न पिछड़ी जाति के लोग थे।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, हमारी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, निश्चित तौर से उससे अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुनिश्चित है। 10 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से मिलेगी, मैं आश्वस्त हूं क्योंकि हमारा नेता शालीन है, युवा है, नई सोच का है, नये तरीके के व्यवसाय यहां पैदा होंगे, औद्योगिक वातावरण बनेगा, शान्ति का वातावरण बनेगा और नकारात्मक सोच के लोग बैकफुट पर जायेंगे। मान्यवर, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भगवती प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे नये सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखता हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में शेष रह गया है। आकर्षित अलीगढ़ जनपद में खैर तहसील के ब्लाक टप्पल के दर्जनों गांव यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण हर साल यमुना कटान की गम्भीर समस्याओं से परेशान है। सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन हरियाणा प्रदेश में चली गयी है। यमुना कटान से प्रभावित गांव घरवरा, महारागढ़, पीपली, लालपुर, किशनपुर, मिलक फतेहपुर, शेरपुर मालव, उटासनी आदि हैं। उपरोक्त गांवों की कृषि जमीन को यमुना कटान से बचाने हेतु विशेष कार्ययोजना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही महाराजगढ़ गांव में अवैध रूप से चल रहे बालू खनन को तुरन्त रोककर भविष्य में इस गांव को नष्ट होने से बचाने हेतु कार्यवाही अत्यन्त जरूरी है। महाराजगढ़ ग्राम भूमि से अवैध बालू खनन माफिया खनन पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। उपरोक्त गांवों के कटान की समस्या

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के निवारण हेतु अविलम्ब विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की मांग करता हूं। करोड़ों किसान, मजदूरों के दिल की धड़कन माननीय स्व0 चौधरी चरण सिंह जी के समय में किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया था। किसानों को मजबूत किया गया था। माननीय नवयुवक मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दें। धन्यवाद।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कोई सामान्य किताब नहीं है। यह शक्लोसूरत है उस बात की कि आगामी समय में प्रदेश किस दिशा में जाना चाहता है। आगामी समय में प्रदेश कहां जाएगा, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई विजन दिखायी नहीं दे रहा है कोई स्पष्टता दिखायी नहीं दे रही है। उसका कारण यह है कि कोई भी प्रदेश तभी खुशहाल है जब उसका किसान मुस्कराये, उसका मजदूर, उसका व्यापारी मुस्कुराये और यह तभी संभव है जब प्रदेश में अन्दर खेती को बढ़ावा मिले, प्रदेश के अन्दर उद्योग को बढ़ावा मिले। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का छोटा सा बच्चा उत्तराखण्ड आज उद्योगों में हमसे बहुत आगे चला गया है। उसका केवल एक कारण है और वह यह है कि दिल्ली से उद्योग चलता है और दिल्ली से उद्योग चलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न ठहरकर सीधा उत्तराखण्ड में ठहरता है। इसका भी कारण है। मान्यवर, जिस विधान सभा से मैं आता हूं, उसका नाम है थाना भवन विधान सभा उसकी दिल्ली से दूरी 105 कि0मी0 है। पहले दिल्ली का रास्ता दो घण्टे का था आज पांच घण्टे का रास्ता है। न सड़कें हैं न बिजली है न पानी है। नहरों का बुरा हाल है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि कृष्णा नदी हमारी विधान सभा के बीच से बहती है हम जब छोटे थे तो उसका पानी पिया करते थे आज उसकी हालत यह है कि पानी पीना तो छोड़ दो वह बहुत ही दूषित हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं कि अगर कार के शीशे भी बन्द हों तो भी बदबू आती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सोने की चिड़िया है। बहुत सारे साधन हैं लेकिन सड़कों, बिजली और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उद्योगों का वहां से पलायन हो गया। मान्यवर, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, शामली का उद्योग जो भैंसा बुग्गी का रिम धुरा बनता है उसका उद्योग और मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैट-बाल खरीदने के लिए मेरठ आता है। मान्यवर, ऐसे ही कई उद्योगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साधनों के अभाव में समाप्त कर दिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था है, अतिरिक्त बजट दिया गया है उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था हो। मैं इस मौके पर माननीय श्री आजम खां जी का धन्यवाद करने से नहीं चूकना चाहूंगा कि 30 साल से जो आन्दोलन हमारी धरती पर चल रहा था उस विषय को, उस आन्दोलन को बहुत दमदारी के साथ वहां का बूचड़खाना समाप्त करने का काम किया है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक लघु उद्योग दूध का था। वह दूध बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। वह भी बूचड़खाने में समाप्त कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, पशुधन विभाग का बजट आएगा तो उस पर बोल लीजिए।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं कानून-व्यवस्था पर एक बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर बड़ी-बड़ी बातें हुयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की तीन घटनायें मैं बताना चाहता हूं। एक साढ़े नौ लाख की लूट है, एक, एक लाख रुपये की लूट है, एक 33 लाख रुपये की लूट है। उसका कारण क्या है। उसका कारण मान्यवर यह है कि जनपद प्रबुद्धनगर का जब सृजन हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गई। पूरी लूट की बात आ गई, अब समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रबोधन कार्यक्रम में कहा था कि मैंने एक सपना देखा था, लोगों ने हंसी उड़ाई थी। मान्यवर, हमने भी सपना देखा है अपने क्षेत्र के विकास का, अपने प्रदेश के विकास का, उस प्रदेश के विकास को हम धार दें और मैं केवल इस बात को कहना चाहता हूं खासकर कट-आफ के आधार पर-

''छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
मिलकर हम सब लिखेंगे, इतिहास की एक नई कहानी।''

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, योगेश भइया का प्रस्तुत भाषण अत्यन्त अच्छा रहा। इसका समर्थन इसलिए करता हूं यह बजट अत्यन्त लोकोपकारी, लोकप्रिय, जनोपयोगी एवं लोकलुभावन है। मैं तमाम किश्म की जो चीजें की गई हैं, वह समाज के हर वर्ग, हर सम्प्रदाय, हर जाति, छात्र, किसान मजदूर, महिला सबके लिये मुफीद साबित होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस ढंग का उपक्रम किया है वह सर्वदा निन्दनीय है। पांच वर्ष के कार्यकाल में हमारी पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की जिसने स्वयं मेरी विधान सभा क्षेत्र में 2003, 2005, 2007 के निर्माणाधीन पुल, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 जो आज भी अर्धनग्नावस्था में वैधव्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस पर ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया। मैं जरूर चाहूंगा कि जफराबाद का पुल मेरी विधान सभा क्षेत्र में सी0एच0सी0 रहटी, सी0एच0सी0 सिरकोनी हौज का ट्रामा सेण्टर और गौराबादशाहपुर का प्रस्तावित टाउन एरिया यदि बजट भाषण में जोड़ दिया जाता है तो बजट में चार चांद लग जायेगा। मैं अपने पूर्व वक्ताओं जिन्होंने समर्थन दिया है बजट भाषण को उनसे अपने को सम्बद्ध करता हुआ पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर जो चतुर्थ लेन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनने जा रही है, जफराबाद जंक्शन है जहां जफराबाद-जौनपुर सिटी स्टेशन, जफराबाद-क्रासिंग है उस पर घण्टों यातायात बाधित रहता है, अगर इस बजट भाषण में फ्लाई ओवर बना दिया जाता है तो बजट में में चार चांद लग जायेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के अपनी बात कहने के लिये एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 सदस्य श्री महावीर सिंह राणा जी को बोलने के लिए पुकारा है। आप सब कृपया बैठ जायं, सभी का नम्बर आयेगा, धैर्य रखें। यही सीखने का शुभ अवसर है, नहीं तो बहुत नेता होते हैं, इसलिए इस मौके का फायदा उठायें। मा0 सदस्य श्री महावीर सिंह राणा जी आप बोलना शुरू कर दें।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका तेहदिल से अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का सुअवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की एक नम्बर सीट बेहट से निर्वाचित होकर आया हूं। बेहट इस प्रदेश का पहला विधान सभा क्षेत्र है जो तीन ओर से हिमांचल, हरियाणा और उत्तराखण्ड से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह एक विषम परिस्थति का क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देहरादून से लगता हुआ क्षेत्र है जो जमीन और पहाड़ के बीच को जोड़ता है। इस विशेष परिक्षेत्र को धाड़ क्षेत्र बोलते हैं जहां पर शाकुम्बरी माता का एक विशाल मंदिर है माता का। मां यमुना नदी का उद्भव स्थल उत्तर प्रदेश में इसी विधान सभा से प्रारम्भ होता है। हिण्डन, सोलानी समेत 33 नदियां इसी विधान सभा क्षेत्र से होकर यमुना और गंगा में मिलती हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि धाड़ में पीने के पानी की अत्यन्त समस्या है। वहां पर 250 फुट से नीचे हैण्डपम्प नहीं लगता। 38 पेयजल परियोजनायें हैं, 5 इलाके ऐसे हैं, जहां पर झरनों का पानी जंगल से होकर आता है जो पिछले सात सालों से बन्द हो गया। वहां टैंकर से पानी की सप्लाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां 5 पेयजल योजनाओं का इस वित्तीय वर्ष में निर्माण किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वहां पर यमुना नदी और शेष नदियों से खनन का कार्य होता था जो पिछले सात माह से बन्द हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण कार्य बन्द हो गया है। अभी मा0 सदस्यगणों ने भी इस पर विचार किया कि रेत और बजरी का निकालना बन्द है। इससे जो रेत 15 रुपये कुण्टल होता था आज 80 रुपये कुण्टल के लगभग हिमाचल से आकर बिक रहा है, उत्तरांचल से आकर बिक रहा है और एक लाख से ज्यादा मजदूर और छोटा व्यवसायी मेरी विधान सभा क्षेत्र का बेरोजगार हो गया है। मैं मा0 अध्यक्ष जी, आपसे चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ताकि यह कार्य दोबारा से प्रारम्भ हो सके। तीसरी समस्या बिजली की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 220 के0वी0ए0 का 250 करोड़ रुपये का बिजली घर बन कर तैयार हो गया है, कुछ लाइन बनने को रह गयी है, उनको अतिशीघ्र बनवाने की कृपा करें। मा0 अध्यक्ष जी, इस विधान सभा क्षेत्र में चूंकि सभी नदियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसी विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ से निकल कर आती है। लगभग 80 गांव नदी के किनारे जो बाढ़ से ग्रसित और खेती की भूमि का जो कटाव हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिये भी सरकार काम करे। अन्तिम अवसर पर मैं यह अनुरोध

करना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र की सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उनको दोबारा बनवाने का प्रबन्ध करें और मेडिकल कालेज का काम भी करवायें। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

*स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पारस)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना करता हूं। सैय्यद राजा विधान सभा क्षेत्र में हो रहे गंगा कटान और कर्मनासा कटान की विकराल समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तरफ जहां गंगा की कटान से धानापुर ब्लाक के दर्जनों गांव जैसे-दीयां, प्रसहटा, हिंगुतरगढ़, रायपुर, बड़ौरा, खालसा, अमादपुर, नौघरा, बुद्धपुर, धानापुर, नरौली, अवहीं, महुजी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वहीं गंगा कटान में किसानों की लगभग 10 हजार बीघा भूमि टूट चुकी है। अगर हालात यूं ही रहे तो गंगा के तटवर्ती गांव इस साल बारिश में जल समाधि ले लेंगे। दूसरी तरफ बरहनी ब्लाक में बिहार के समीपवर्ती 18 गांव नक्सल प्रभावित है। सोगांई, सिधना, मानिकपुर, भुजना, परेवा, चिरई गांव, दैथा, महुजी, रामपुर, मुड्डा, धनाइतपुर, अरंगी, कुंवा, अदसड़, ककरैत, करौती, ओयरचक व नौबतपुर आदि जिन पर कर्मनासा नदी कटान का संकट मंडरा रहा है। गंगा और कर्मनासा नदी में लगे एक दर्जन लिफ्ट कैनालों की क्षमता कम होने और स्वतंत्र फीडर से न जुड़े होने से पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण फसलों को समय से पानी नहीं मिल पाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा औरा कर्मनासा नदी में लगे एक दर्जन लिफ्ट कैनालों नौबतपुर चारी, चिरई गांव (रेरूआ), मुड्डा, धनाइतपुर, अरंगी, अदसड़, ककरैत, करौती तथा बीरा सराय, गुरैनी, नगवा को स्वतंत्र फीडर से जोड़कर इनका रकबा के अनुसार क्षमता वृद्धि करा दिया जाए तथा इससे सम्बन्धित सभी छोटी-बड़ी नहरों की सिल्ट सफाई, लाइनिंग और मरम्मत करा दिया जाए तो क्षेत्रीय किसानों को भुखमरी से बचाया जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ी लिफ्ट कैनाल नरायनपुर का पानी टूटी-फूटी, जीर्ण-शीर्ण, नहर होने के कारण गड़ई नदी में गिर पड़ता है। जिसको बिहार सरकार 500 क्यूसेक की मशीन लगाकर उसी पानी को अपने उपयोग में ले लेता है। जब नहरों की सिल्ट सफाई, लाइनिंग और मरम्मत करा दी जाये तो गड़ई नदी में गिरने वाले इस अतिरिक्त पानी से सैय्यद राजा क्षेत्र के किसानों की सूखती फसलों को बचाया जा सकता है। सरकार की मंशा के अनुरूप नक्सल प्रभावित असिंचित क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगवा कर भी किसानों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है जो उनके आजीविका और विकास का माध्यम हो सकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। इसी अतिरिक्त पानी से सैय्यद राजा क्षेत्र के किसानों की सूखी फसलों को बचाया जा सकता है। सरकार की मंशा के अनुरूप नक्सल प्रभावी असिंचित क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाकर किसानों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जो उनकी जीविका के विकास का माध्यम हो सकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य डा0 अजय कुमार जी। अजय कुमार जी नहीं हैं। मा0 सदस्य जाहिद बेग जी आप बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जाहिद बेग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हूं। मैं पिछले 4 दिन से यह देख रहा हूं कि जिस तरह सदन के अन्दर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बसपा के लोगों ने विपक्ष के नेता ने जो आचरण किया है। मेरी पहली बार विधान सभा में पहुंचकर जो तमन्ना थी यह देखने की कि विधान सभा में बड़े-बड़े विद्वान होंगे उनसे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो आचरण किया है उससे हम लोगों की गर्दन शर्म से झुक जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने जो कुछ बोला और जो चिल्ला-चिल्ला कर बोला उसका मकसद था अपनी पिछली सरकार की गलतियों को छिपाने के लिए जो उनकी पूर्व सरकार ने पांच साल तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, जो पांच साल तक प्रदेश की जनता का उत्पीड़न करने का काम किया, सिर्फ उसको दबाने के लिए मा0 प्रतिपक्ष के नेता अपनी आवाज को चिल्लाकर जनता की आवाज को दबाने और उनकी सरकार ने जो काम किया है, उसको छिपाने के लिए ऐसा आचरण कर रहे थे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं कि रोम का बादशाह नीरो था जब कहीं आग लगती थी तो नीरो बंसी बजाता था, लोगों को जलते हुए देखने से उसको खुशी मिलती थी। उसी तरह तत्कालीन मुख्य मंत्री, बसपा सरकार की मुखिया के समय में जब हत्या, डकैती, बलात्कार, राहजनी, रोड होल्डर, अपहरण एवं भ्रष्टाचार की घटनाओं से प्रदेश जल रहा था तो वह अपने आलीशान महल में बैठकर तमाशा देख रही थी, उनको उसी में खुशी मिल रही थी और अपने प्रदेश के किसी भी विधायक से उन्हे मिलने का मौका नहीं था। यहां तक की अपने विधायकों से जो बसपा के विधायक थे उनसे मिलने का भी मौका उनको नहीं मिलता था और कालीदास मार्ग पर जाने के लिए उन विधायकों को इजाजत भी नहीं मिलती थी। आज सदन के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता सदन को जिस तरह आज पहली बार, पिछले 5 सालों के बाद जो समय बीत गया है उसके बाद एक माह का सदन चलाकर उन्होंने बहुत गौरव का कार्य किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। सारे सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं मान्यवर, मै पहली बार आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने चीख-चीख कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया है। लेकिन प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। विपक्षी नेताओं को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनके खिलाफ फैसला दिया है लेकिन चिल्लाने से जनता का फैसला बदलता नहीं। चिल्लाने से जो पांच साल तक आपने काम किया है वह बदल नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता के फैसले का सम्मान करते हुए आपको एक साल, दो साल, हमारे प्रदेश के नेता ने जो काम कर रहे है, उसे देखना चाहिए था। मा0 अध्यक्ष जी मैं ऐसी जगह से चुनकर आया हूं जहां का मुख्य आर्थिक धंधा कालीन उद्योग है, जो बिना किसी सरकारी सहायता के बीस लाख से ऊपर ग्रामीण मजदूरों को रोजी रोटी उपलब्ध कराता है। लगभग 4 हजार करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष भारत सरकार को देता है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कालीन उद्योग मजबूत साझेदारी करता है, लेकिन उद्योग जनित सुविधाओं के अभाव में कालीन उद्योग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भदोही में जो ओवर ब्रिज बनने की बात है उस काम को कराया जाय। जो बिजली आपूर्ति की समस्या है उसकों ठीक कराया जाये। भदोही से जो कालीन उद्योग उठाकर दूसरी जगहों पर जा रहा है उसकों रोका

जाय। ताकि वहां के बेरोजगारों को उससे रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

* श्री बजरंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा मैने सोचा था कि इसमें कोई सरकार की नीति होगी नीयत होगी कोई विकास का आयाम होगा लेकिन निश्चित रूप से इस अभिभाषण में प्रदेश के विकास के लिए किसानों के लिए इसमें कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही गयी है। मैं इस नाते यह बात कहना चाहता हूं कि मैं पूर्वांचल से चुनकर आता हूं। पूर्वाचल के अंदर मान्यवर, जापानी इंस्फेलाइटिस जे0ई0 फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए इस सरकार ने कोई कदम इस अभिभाषण में उल्लिखित नहीं किया है। मान्यवर, पूर्वाचल में आम किसान गन्ने की खेती करता है और उसके बल पर वह अपनी जीविका चलाता है लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल के किसानों के साथ धोखा देने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। मान्यवर, जब चुनाव चल रहे थे तो वर्तमान सत्तारूढ़ दल द्वारा यह वायदा किया गया था कि किसानों के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे। उनकी तरक्की करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो मिलें बंद पड़ी है उनको चलवाने का काम किया जाय। और जहां किसानों के गन्ने की फसल को देखते हुए आवश्यकता हो वहां नई मिल लगवायी जाय मान्यवर मैं फरेन्दा विधान सभा से चुनकर आता हूं। वहां पर किसानों की नौजवानों की तमाम समस्यायें है। मिलें जो चालू थीं वह बंद पड़ी हैं। यह सरकार वहां पर उन्हें खोलने तथा नई मिल लगाने का प्रयास करें। वहां पर सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता हैं। मान्यवर, वहां पर ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है उन्हें ठीक कराने का काम किया जाय इस सरकार द्वारा। मान्यवर, हमारे यहां सहजनवां देहउराघाट मार्ग है यहां पर पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बंधिया से परगापुर घाट पर पुल की आवश्यकता है उसको बनवाया जायें। इन स्थानों पर पुलों की आवश्यकता है और पी0डब्ल्यू0डी0 के मार्गों को ठीक करने की आवश्यकता है उसको मैंने लिखा हुआ है। उसको बनवाया जाय। मान्यवर, आप बार-बार बैठने के लिए कह रहे है। मैं तो अभी बोल भी नहीं पाया हूं। मेरा कहना यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरेंन्दा के चहुंमुखी विकास की ओर चाहे वह सड़कें ठीक होनी हो, पुल बनने हो, उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराया जाये। मेरे यहां बृजमनगंज ब्लाक में पी0एच0सी0 को बने हुए डेढ़ साल हो गये है वह चालू नही हो पायी है न वहां स्टाफ है और न दूसरी सुविधायें। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करवाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें आपका अब नहीं लिखा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लक्ष्मी कान्त उर्फ पप्पू निषाद-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं। महामहिम राज्यपाल द्वारा सभी बिन्दुओं और सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एवं पूरे प्रदेश में आज निषाद समाज की रोजीराटी का संकट है, इसका कारण है नदियों पर पुल बन गया और नाविक बेरोजगार हो गया है। बड़े-बड़े ताल झील को पूर्ववर्ती सरकार ने पक्षी बिहार घोषित कर दिया। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मछुआरों को मत्स्य आखेट एवं धान की फसल लगाने नहीं देते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि फसल लगाने एवं मत्स्य आखेट पक्षी बिहार में करने का आदेश जारी किया जाय। दूसरा माननीय मंत्री जी यहां है मछुआ समुदाय का पुस्तैनी धन्धा मत्स्य पालन का था जो तालाबों के पट्टे के रूप में नेताजी ने पिछली सरकार में दिया था। मेरा निवेदन है कि प्रति हेक्टेयर लगान एक हजार रुपया था जो बसपा सरकार ने दस गुना बढ़ा दिया है उसको माननीय नेताजी की सरकार के अनुरूप जैसा उस समय था, किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पी0एस0सी0 की भर्ती में नौका चालक एवं गोताखोर की भर्ती मछुआ समुदाय के लोगों से किया जाय। मेरा विधान सभा क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे गांव में लगभग 200 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है अलग से बजट देकर उसका विद्युतीकरण कराया जाय। मेरा निवेदन है कि बसिरा मरडोगा अंसारी जुलाहा बाहुल्य है वहां पर पावरलूम चलाने का काम किया जाता है तथा ताम्र एवं पीतल के बर्तन बनानें का काम किया जाता है मेरी मांग है कि पावरलूम एवं बर्तन उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा बस डिपों बनाया जाय। धन्यवाद।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

मान्यवर, आभारी हूं कि आपने मुझें बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता जी की पीठ के माध्यम से, सदन से मैं आग्रह करना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह जोड़ने का आग्रह करता हूं कि मेरठ के अन्दर महायोजना प्रस्तावित है और उस महायोजना के अन्दर इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, बाइपास, एक्सप्रेस-वे और कई सड़कों का चौड़ीकरण प्रस्तावित है लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही न होने के कारण दिल्ली और मेरठ के बीच पहुंचने में जो मात्र 45 मिनट की दूरी है उसमें 3 और 4 घंटे का समय मेरठ से दिल्ली पहुंचने में लगता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस रोड का चौड़ी करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार की भी सहभागिता है। वह केन्द्र सरकार से एन0एच0 58 का चौड़ीकरण कराये और जो इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड है मेरठ में उसमें अत्यधिक बाह्य यातायात के कारण अव्यवस्था हो गयी है यह रोड तत्काल बननी आवश्यक है, इसका मैं निवेदन करता हूं। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस-वे में बहुत अति आवश्यक है इससे मेरठ का लोड और उत्तरांचल जाने वाले मार्ग का लोड कम हो सकेगा। जुरनिपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनना प्रस्तावित है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाया है ततीना गांव में रेलवे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फाटक बनाया जाए ।इसलिए वहां पर उस बाईपास पर अधिक दबाव रहता है उस मार्ग का चौड़ीकरण हो, हवाई अड्डा एक प्रमुख मांग है मेरठ की, मेरठ दिल्ली के नजदीक होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हवाई अड्डा वहां पर चाहते है और वह उनकी आवश्यकता है बनाया जाय गर्ल्स इंटर कालेज हमारी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है उसे बनाया जाय। मान्यवर, मुहद्दीनपुर शुगर मिल वह बन्द पड़ी है, उसको तत्काल चलाया जाये इसके अलावा कताई मिल परतापुर कताई मिल बन्द है इसकों चलाया जाये या इसमें डिग्री कालेज खोला जायें। ग्राम गगोल स्थित पराग डेरी (कोआपरेटिव) में भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच कर कार्यवाही करे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी अपनी बात प्रारम्भ करें। माननीय भड़ाना जी सारी बातें आ गयी, अब समाप्त करें। माननीय सदस्य जी सारा समय इसी में लग जायेगा, सारी समस्यायें खत्म हो जायेगी। भड़ाना जी, अभी तो बजट पर आपको बहुत बोलना है।

(इसके बाद सदस्य का माइक बंद कर दिया गया)

श्री विनोद सरोज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। जैसा कि 28 तारीख को जब महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन के अंदर जिस तरह का आचरण किया गया, वह पूरी तरह से निन्दनीय रहा क्योंकि यहां पर जो कार्यवाही हो रही है उसको पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्ववती सरकार द्वारा मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर एवं कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया, लगभग दो महीने तक मैं जेल में रहा इसके साथ ही इसके पहले मेरे ऊपर 107/16 का मुकदमा तक नहीं था। इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों के खिलाफ जिस तरह से बदले की भावना से काम किया है उसका रिजल्ट इस चुनाव में उसको देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते है कि मैं दलित समाज से आता हूं पासी समाज के अर्न्तगत आता हूं। पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपने आपको दलितों की हितैषी बताया करती थी लेकिन उसके द्वारा पासी समाज के लिये कभी भी कोई काम करने का काम नहीं किया गया। अगर पासी समाज का कहीं हित है तो समाजवादी पार्टी सरकार में है। इसके नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही इस समाज को बराबर सम्मान और विकास का कार्य करने का मौका देगें। यदि विकास की बात की जाये तो पूर्ववर्ती सरकार में अधिकांश पैसा पत्थर, पार्क और मूर्तियों में लगाया गया। किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद किया गया। उनके लिए न तो समय से नहरों में पानी आया, न तो बिजली आई और न तो खाद मिली। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत ही नितान्त आवश्कता है, वहां बकुलाही नदी होकर गुजरती है जिससें हजारों एकड़ भूमि हर वक्त जलमग्न रहती है, जिसके लिये पूर्ववर्ती सरकार में मैनें पत्र भी दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री विनोद सरोज-

उसके पहले जब माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तो इसके लिये धन भी मुहैया कराया गया था, लेकिन उसका आज तक अता-पता नहीं चला मैं जानना चाहता हूं कि जब विकास का कार्य नहीं हुआ तो वह पैसा गया कहां ? यदि छात्रों की बात की जाये पूर्ववर्ती सरकार ने छात्रसंघ चुनाव पर पूरी तरह से विराम लगा दिया था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने छात्र संघ बहाली का संदेश देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेश के अत्यन्त ही पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य इलाके से चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र की समस्यायें भी है। कृपया प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये। किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरा प्रदेश गम्भीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। नदियों में पानी नहीं है, कुएं और तालाब सूख गये हैं सभी तरफ पानी की समस्या को लेकर त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। लगातार जल स्तर घटने से सोनभद्र में भयंकर पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। ओबरा विधान सभा क्षेत्र में तो पेयजल की समस्या काफी भयावह हो गई है। पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित न होने के कारण जन सामान्य को कई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। स्थिति काफी बिगड़ जाने पर जन सामान्य को टैंकर से पानी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यहां के लोग नाले का पानी पीने के लिए विवश हैं, गर्मी के मौसम में नाले भी पूरी तरह से सूख जाते हैं। ओबरा विधान सभा की भौगोलिक स्थिति काफी विषम है, एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 500 मीटर है। पूरी विधान सभा ऊंची-ऊंची पहाड़ियों, नदियों, जंगलों से घिरी हुई है। ओबरा विधान सभा में करीब डेढ़ सौ हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। जिसका रि-बोर होना अतिआवश्यक है। कुछ हैण्डपम्प ऐसे हैं जिसमें पानी खराब निकलता है इस पानी के पीने से बच्चों को विकलांगता जैसी बीमारी हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया संक्षिप्त करें।

श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ओबरा विधान सभा में गांव पूरी तरह से सड़कों से अछूते हैं। वहां पर सड़कों के अभाव में एक दूसरे से सम्पर्क नहीं हो पाता है। सड़कों के अभाव में किसान माल को मण्डियों तक नहीं ले जा पाते हैं। इसलिए उन्हें अपनी सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कों की मरम्मत न होने के कारण जन सामान्य को अपने गन्तव्य तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, कृपया प्रारम्भ करें।

(सदस्य श्री सुनील कुमार और सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इस सदन में मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं पहली बार इस सदन का सदस्य निर्वाचित होकर आया हूं और महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण प्रस्ताव में समाज के हर वर्ग और समाज के हर क्षेत्र पर ध्यान देने की कोशिश की गई है, कोई वर्ग कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, छात्रों को लैपटाप, कम्प्यूटर, टैबलेट तथा कन्या विद्या धन जैसी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की हैं और विशेष करके जो किसान दुर्घटना बीमा योजना थी उसकी राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का काम किया। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में उद्योग को बढ़ाने के लिए काम करने की बात भी इस अभिभाषण में कही गई है। 17 पिछड़ी जातियों को एस0सी0 वर्ग में शामिल करने की भी बात इस अभिभाषण में कही गई है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मण्डल की, जिले की तथा क्षेत्र की कुछ समस्या इस सदन में रखते हुए उन्हें इस प्रस्ताव में जोड़ना चाहता हूं। हम देवीपाटन मण्डल के रहने वाले लोग हैं, इस मण्डल में कोई मेडिकल कालेज नहीं है, देवीपाटन मण्डल का मुख्यालय जनपद गोण्डा है, वहां पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए। बाराबंकी से गोण्डा और बलरामपुर को जो रास्ता जाता है वह बहुत ही जर्जर और खराब हो गया है, उसे फोर लेन बनाने का प्रस्ताव भी धन्यवाद प्रस्ताव में जोड़ने का कष्ट करें। गोण्डा जनपद में पुरानी सरकार जो मा0 मुलायम सिंह यादव जी की थी उनकी सरकार में आई0टी0 कालेज की स्थापना हुई थी जिसका शिलान्यास भी तत्कालीन मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह और श्री विनोद कुमार सिंह पण्डित जी ने किया था, उसका काम रोक दिया गया, उस कालेज को पुनः वहीं वापस किया जाए। कर्नैलगंज से नवाबगंज मार्ग को टू-लेन में बदलने का काम किया जाए।

जनपद गोण्डा और फैजाबाद के बीच में घाघरा नदी बहती है जिस पर एक डेमवा घाट स्थापित है वहां पर एक पुल की स्थापना करने की मांग को इस अभिभाषण में शामिल करने का कष्ट करें। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बचाने के लिए ऐली से लोनपुर तक बांध का निर्माण किया जाए। पी0डी0 धौरहरा बांध पक्का किया जाए, बलुहा घाट, धौधरा घाट सम्मय माता का स्थान, भिखारीपुर के बीच तथा दुर्जनपुर से चौबेपुर के बीच टेढ़ी नदी पर पुल बनाने का काम को इस प्रस्ताव में शामिल करने का कष्ट किया जाए। नरायनापुर के पुल का निर्माण अभी अधूरा है, जो पुरानी सरकार में शुरू हुआ था, ब0स0पा0 के शासन में बन्द कर दिया गया।....

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अवधेश जी, अब समाप्त करें। श्री केशव प्रसाद जी, अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

उस पुल के निर्माण को पुनः शुरू किया जाए। मान्यवर, एक बहुत संवेदनशील मसला मैं रखना चाहता हूं। तदर्थ शिक्षकों का मामला है जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं जिनको खजाने से वेतन भी मिल रहा है और उनकी सेवायें 20-20 साल पुरानी हो चुकी हैं, सरकार की मंशा है नौजवानों को रोजगार देने की। मैं चाहता हूं कि तदर्थ माध्यमिक शिक्षक जो सरकारी सहायता के विद्यालय हैं उन सारे शिक्षकों का विनियमितीकरण करने का प्रस्ताव इसमें शामिल करने का काम किया जाए। इसमें इस प्रदेश के 20 हजार नौजवानों का भला होगा। यह प्रस्ताव भी उसमें शामिल किया जाए। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं अग्नि कांड से पीड़ित जो परिवार हैं उनको राजस्व सहायता दी।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जाती है लेकिन वह सहायता अपर्याप्त है। अग्नि काण्ड पीड़ितों को इन्दिरा आवास देने में प्राथमिकता दी जाए। वहां पर बी0पी0एल0 सूची या कोई दूसरी सूची को आधार न बनाया जाए। कारण यह है कि जब आग लगती है तो वह परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता और वह बी0पी0एल0 सूची से भी नीचे आ जाता है, इसलिए वहां इन्दिरा आवास स्वीकृत करते हुए सारे अग्नि काण्ड पीड़ितों को इन्दिरा आवास उस सहायता राशि में जोड़ने का काम किया जाए जिसके लिए हमें कोई अलग से पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

*श्री केशव प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से अपने विधान सभा क्षेत्र सिराथू जो जनपद कौशाम्बी में स्थित है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो मेरे जनपद के अन्दर लगभग 30 वर्षों से नहरों का जाल तो बिछा हुआ है लेकिन पानी कभी नहीं आया। एक दिन समाचार-पत्रों में पढ़ रहा था सिंचाई मंत्री जी के बयान को कि हमारी सरकार आयी है अब टेल तक नहीं खेत तक पानी पहुंचायेंगे, लेकिन मुझे आज इस सदन में यह कहने का अवसर मिल रहा है कि अभी मेरे यहां टेल तक क्या कहें, नहरों के अन्दर भी पानी नहीं गया। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा एक मा0 मुलायम सिंह यादव जी के समय के एक पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था वह आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। वह लेहदरीघाट, यहां मा0 खाद्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी बेठे हुए हैं उनका भी विधान सभा क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के साथ मेरे इस लेहदरीघाट के पुल का जो अधूरा कार्य है उसको भी पूरा करने का इसमें जोड़ लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या मेरी विधान सभा क्षेत्र की है शायद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में होगी, नीलगायों के कारण फसलों की बर्बादी का। नीलगायों के कारण से मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये की कीमत से अधिक की फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ा नहीं गया है। मैं सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव करता हूं कि नीलगायों को निश्चित तौर से मारा जा नहीं सकता, खदेड़ा जा नहीं सकता इसलिए जिन विधान सभा क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या है वहां पर बाड़ों का निर्माण कराया जाए जिसमें नर नीलगायों को अलग रखा जाए और मादा नीलगायों को अलग रखा जाए। अगर हम दो हमारे दो का नारा दिया जा सकता है उसी तरह अगर नीलगायों की बढ़ती जनसंख्या नहीं रोकी गई तो आने वाले दिनों में खाने का भी संकट पैदा हो जाएगा यह बहुत गम्भीर समस्या है। रात में किसान अपने खेतों के अन्दर तकाई के लिए रात भर किसान खेत पर पड़ा रहता है रात भर किसान जागता है आधे घण्टे के लिए अगर उसको नींद लग जाती है तो उसकी पूरी फसल को चौपट कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आपने कहा कि दोनों को अलग रखा जाय तो कोई सुझाव भी दीजिए कि कैसे अलग रखा जाए।

श्री केशव प्रसाद-

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी योजना आयोग भारत सरकार के कार्यालय में गया था वहां पर मैंने योजना आयोग के सदस्य महोदय से जब यह सुझाव मैंने रखा तो उन्होंने भी कहा कि बाड़ा बनाया जाना चाहिए। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर किसान बीमा दुर्घटना के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है अभी कुछ दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नारा गांव है। अध्यक्ष महोदय दुर्घटना बीमा में एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख का प्रस्ताव किया गया मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय जिस परिवार में किसान के अलावा और कोई कमाऊ सदस्य के रूप में रहता है वह सदस्य इस दुनियां से चला जाय वह पति तो जीवित है जिसका खतौनी में नाम है लेकिन उसकी पत्नी इस धरती पर नहीं रही और वही घर का काम करती थी इससे मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय राजस्वमंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि किसान दुर्घटना बीमा में किसान परिवार के जो भी कमाऊ सदस्य हैं उनमें से किसी की मौत हो तो भी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाय। अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय कृषि मंत्री तो इसको बहुत ऊंचे स्तर पर उठा चुके है।

श्री अध्यक्ष-

यह समस्या चारों तरफ है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य ने जो तरीका बताया कि पुरुषों को पुरुषों के साथ और महिलाओं को महिलाओं के साथ रखा जाय तो मान्यवर, भाजपा का यह फार्मूला इतना व्यवहारिक नहीं है। यह उनके लिए मान्य है लेकिन यह प्रकृति के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, यह सामाजिक समस्या भी है। मैं जबसे सदन में आया हूं पिछले 30-32 वर्षों से यह प्रश्न उठता आया है। हकीकत यह है कि जब तक जनसमाज तैयार नहीं होगा तब तक समस्या का निराकरण मुश्किल है क्योंकि इसको वह गाय के रूप में मानते हैं।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने पढ़ा है, इसको देखा है और समझा भी लेकिन यह अभिभाषण मात्र एक सरकारी दस्तावेज है न ही इसमें जनहित के मामले हैं न ही जनकल्याणकारी योजनाएं हैं इसमें जनता के हितों की अनदेखी करके नीति बनाने का काम किया गया है। इसमें एक बात जरूर सामने आई है कि यह सरकार इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार करना चाहती है यह महज ढाई महीने की सरकार है मैं जानता हूं कि कठिनाइयां हैं हमारे मुख्य मंत्री जी भी ऊर्जावान हैं प्रतिभावान हैं आज वह चाहते भी हैं कि इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो लेकिन उनके सामने कौन सी विवशता है कि आज ला एण्ड आर्डर के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल है। अध्यक्ष जी, हमारे जनपद मऊ में पिछले दिनों ही पहले सप्ताह में चिरैयाकोट में साढ़े पांच घन्टे गोली चली और उससे पूरा प्रदेश दहल गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें शहर कोतवाली का इन्स्पेक्टर और वहां का एक बुजुर्ग जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी दोनों लोग उस मुठभेड़ में शहीद हुए। अभी इस घटना से पूरा जनपद आहत था तब तक दूसरी घटना मऊ के स्वर्ण व्यवसायी की हत्या होती है और हत्यारे उस स्वर्ण व्यवसायी से रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो जाते हैं। अभी उस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, तब तक तीसरी घटना कोपागंज के स्वर्ण व्यवसायी के साथ होती है और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरेआम हत्या होती है और उस घटना के बाद पुलिस उस पर पर्दा डालना चाहती है। कोपागंज थाने की जो मऊ क्षेत्र के अन्तर्गत थाना आता है वहां का एस0ओ0 बोलता है कि यह आत्महत्या है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, चौथी घटना घटित होती है मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के दरगाह के वर्तमान प्रधान मनोज वर्मा के भाई जो स्वर्ण व्यवसायी हैं वह आजमगढ़ और मऊ के बार्डर से आ रहे थे उसी बार्डर पर उनका रुपयों से भरा थैला छीन लिया गया और उसके बाद उनको गोली मारी गई। आज वह सिंह रिसर्च सेण्टर वाराणसी में

जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इन चारों घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच करायें और इन घटनाओं में मारे गये लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा वितरण किया जाय। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सुभाष पासी-

परम् पूज्यनीय, आदरणीय सराहनीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस पर अपनी पूर्ण सहमति जताते हुए कुछ बातें सदन के सामने लाना चाहता हूं। यह राज्य पांच वर्षों में देश के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार निर्दोष लोगों के उत्पीड़न और जंगल राज का गवाह बना। जनता को पत्थरों की मूर्तियों और स्मारकों के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 वर्षों तक यह लूट-खसोट की सरकार चली। मान्यवर, आज देश की जनता मूर्ति पत्थर और स्मारक की जगह सड़क, बिजली, पानी और रोजगार चाहती है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश की एक सबसे बड़ी समस्या 80 सांसदों का यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिन्दुस्तान का दिल कहा जाने वाला 403 विधान सभा सदस्य यहां मौजूद हैं और आज पूरे देश में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है लेकिन हम महरूम हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में न क्रिकेट का मैच देखने को मिलता है न आई0पी0एल0 के मैच देखने को मिलते हैं। एक भी इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा। जिस तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने गोमती नगर के पास 137 एकड़ में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का जो बजट में प्राविधान लाये है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। जिस तरह से कानपुर का स्टेडियम आज बंद पड़ा है साढ़े तीन करोड़ रुपये उस पर लगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे हैं।

श्री सुभाष पासी-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जौहरगंज घाट। उस घाट के ऊपर हर समय आप जायेंगें तो कम से कम 5 से 10 लाशें जलती रहती हैं। बरसात आने के बाद लाशों को जलाने के लिये सही स्थान नहीं है। इसका नवीनीकरण करने के लिये आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा और आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य पहले अपने क्षेत्र की बात को कहें। फिर कार्यवाही की कापी ले जाकर अपने क्षेत्र में दिखा दें। अब आप बैठ जाएं। (शोर)

सबको बुलवा देंगे, मा0 सदस्य दो-दो मिनट मे अपनी बात कहें।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मान्यवर, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कतिपय विशिष्ट बिन्दुओं का उल्लेख समाविष्ट नहीं किया गया है। इसलिए मैं कतिपय प्रस्तावों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं। साथ ही साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरोध का पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा मानवीय जीवन की अनिवार्य और मूलभूत आवश्यकता है। खेद का विषय है जनपद पीलीभीत में प्राथमिक शिक्षा के लगभग डेढ़ सौ विद्यालय बन्द पड़े हुए हैं और इससे भी अधिक विद्यालय में एकल शिक्षक हैं। बहुत से विद्यालय शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा की जहां इतनी दैन्य अवस्था होगी वहां जनजीवन कितना संकटमय होगा यह विचारणीय विषय है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं वह बहुत जीर्ण-शीर्ण हैं बहुत से अधूरे हैं। मान्यवर, पूर्व राज्य मंत्री जो ब0स0पा0 के थे उनके एक रिश्तेदार ने कम से कम तीस विद्यालयों का निर्माण कराया। इस कारण बहुत से विद्यालय अधूरे पड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारे शिक्षक फर्जी हैं। एक प्राथमिकी पंजीकृत की गई एक फर्जी शिक्षक को जेल भी भेजा गया, लेकिन इससे कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई और भी बहुत से सैकड़ों शिक्षक फर्जी हैं। मान्यवर, हमारे यहां राजेश कुमार सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों की साज-सज्जा उपकरण बेशभूषा आदि-आदि के क्रम में भारी घोटाले किये हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

मान्यवर, अग्रसेन जूनियर हाई स्कूल है। जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत ने अपने पत्नी के सगे भाई का और पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहूकारा (पीलीभीत) रमेश चन्द्र वर्मा के भाई की फर्जी नियुक्ति की है ऐसे और भी बहुत सारे विद्यालय हैं। जिनमें फर्जी नियुक्तियां हुई हैं।....

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें। सबको दो-दो मिनट देंगे। सुल्तान बेग जी आप बोलें। वर्मा जी आप बैठें।

*श्री सुल्तान बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री अगयश रामसरन वर्मा एवं श्री सुल्तान बेग के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब बैठ जाएं। सामान्य चर्चा में बोल लीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुल्तान बेग-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या हमारे क्षेत्र में है। मैं उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भी योजनायें हैं, चाहे बेटी की शादी के लिए हो, चाहे इन्दिरा आवास योजना हो, एक समस्या खासतौर से मेरे क्षेत्र में है। जो बी0पी0एल0 सूची है और स्थायी सूची, वह 2001 में बनी है और ऐसे लोगों के नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं जिनका कारोबार है, व्यापार है, दुकान है और ऐसे लोगों के नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं जिनके छप्पर पड़े हैं और पन्नी डालकर गुजारा कर रहे हैं। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं आपको इसको बहुत झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो योजनायें आपने दी हैं उनमें किसी योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो यह सामूहिक है, पूरे प्रदेश में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बहुत ही विकट समस्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोबारा से इसका सर्वे करा लें और सर्वे कराने के बाद जो अपात्र लोग हैं, उनका नाम बी0पी0एल0 सूची से हटा दें और जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको ले लिया जाए। दूसरी समस्या बड़ी विकट है, खासतौर से हमारे यहां बरेली में आय प्रमाण-पत्र की। अगर बेटी की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है, अगर कोई आवास के लिए अनुदान लेने के लिए जाता है तो तहसील में जब कोई भी लाभार्थी जाता है तो कहा जाता है कि अब कोई भी आय प्रमाण-पत्र 30 हजार रुपये से कम में नहीं बनायेंगे, जबकि 19 हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्र और 24 हजार शहरी क्षेत्र में इसका मानक है। जब उसको 30 हजार, 32 हजार रुपये का आय प्रमाण-पत्र मिलेगा तो नीचे दी जाने वाली सरकार की किसी भी योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया।

श्री सुल्तान बेग-

अध्यक्ष जी, मैं इसे दे दे रहा हूं। इसको जुड़वा दें।

श्री अध्यक्ष-

दे दीजिए।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अभी 3 दिन चर्चा बजट पर होनी है, जो सदस्य बचे हैं, उसमें सबको बुलवा देंगे।

*श्री गुलाम मोहम्मद-

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल साहब के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के संसदीय क्षेत्र की एक विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि शुरू वाले दिन जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त अपोजिशन का हंगामा देखा तो मुझे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई अफसोस नहीं हुआ और अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि इनके किरदार में लोकतांत्रिक व्यवस्था शायद है ही नहीं। राजशाही की यह बात कर रहे हैं और राजशाही इनके कामों से भी जाहिर हुई। मुगलिया दौर में भी अगर कोई किला बनाया गया तो जरूरत के तहत बनाया गया। उसमें वहां रहने का इन्तजाम भी था, फौज का इन्तजाम भी था और डिफेन्स के सारे इन्तजाम हुआ करते थे। लेकिन इतना सारा पैसा गरीब जनता का मूर्तियों और पार्कों में लगा दिया गया। इन्होंने उस तरफ बिल्कुल नहीं देखा कि जहां जीरो परसेन्ट लिटरेसी लड़कियों की है, गन्दगी में लोग रह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी जो पालिसीज थीं, वह इनका पहले दिन का जैसा व्यवहार था, उसके बिल्कुल अनुरूप थीं। इनको करना यह चाहिए था बल्कि सारे अपोजीशन को यह करना चाहिए कि जिस तरह से अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, वह सर्वसमाज के कल्याण के लिए कहा गया है, उसको खुश हो करके खुशामदीद कहना चाहिए था। अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इतना कहने के बाद अब आप क्षेत्र पर आ रहे हैं ?

श्री गुलाम मोहम्मद-

मान्यवर, हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं, उसका समर्थन भी जरूरी है। मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं। बागपत रोड पर एक नदी हिण्डन है, डालूहेड़ा के पास में जो पुल है, वह इतना नैरो है, इतना संकुचित है कि उस पर लाइन लगी रहती है, कई घण्टों तक ट्रैफिक इधर से नहीं गुजरता, उस पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आप लिखकर दे दें।

श्री गुलाम मोहम्मद-

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, बहुत-बहत धन्यवाद।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पहली बार चुनकर आया हूं और ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बुन्देलखण्ड एरिया का। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र से हूं। मैं इधर-उधर की बात न कहकर कहना चाहता हूं कि इस समय गेहूं क्रय केन्द्रों पर एक तो बोरी की समस्या है। लेकिन हमारे यहां पर मुख्य रूप से जो समस्या है वह यह है कि हमारे यहां किसान 8-10 दिन से लाइन लगाये खड़ा रहता है और जितना भी गेहूं खरीदा जा रहा है वह वहीं मैदान पर डम्प है। अगर दुर्भाग्य से कहीं बारिश हो गयी तो सारा गेहूं बरबाद हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें। एक-दो बातें और

कहना चाहता कि बांदा जनपद के तिंदवारी विधान सभा के तिंदवारी ब्लाक को प्रतिबंधित किया गया है। ट्यूबवेल में, निजी कनेक्शन में छूट मिलती थी। सारी सब्सिडी खत्म करके प्रतिबंधित किया गया है। मैं आपके माध्याम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर प्रतिबंधित करना जरूरी है तो उसके पहले सिंचाई का कोई न कोई साधन उपलब्ध करा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात खत्म हो गयी, आपके पीछे निर्दलीय विधायक हैं वह बोलें।

श्री सुशील सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने समाचार-पत्रों के माध्यम से देखा था किसानों और युवाओं के हित में हमारे युवा मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ज्यादा सोचते हैं। हमारे पूर्वांचल में ऐसे उद्योग धन्धे लगाये जायें जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों को बिजली और पानी की व्यवस्था की जाये जिससे किसान खुशहाल जिन्दगी जी सके और जिससे प्रदेश का विकास हो सके। माननीय मुख्य मंत्री जी युवाओं को जो टैबलेट और लैपटाप देने की जो कार्यवाही कर रहे हैं इससे युवाओं में एक नयी ऊर्जा पैदा होगी और इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि गरीब लोगों के घरों में पैसे के अभाव में युवा टैबलेट और लैपटाप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमने भी अपनी तरफ से उनकी मदद करने का काम किया है। मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह कहनी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है उससे युवाओं की बड़ी समस्या दूर हुई है। अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिससे आपके माध्यम से वह अभिभाषण मे सम्मिलित किया जा सके। हमारे क्षेत्र में भकौली परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है। जिसका कार्य वर्ष 2003-04 से चल रहा है। इसको वर्ष 2007 में पूरा होना था लेकिन पैसे के अभाव में अभी तक यह पूरी नहीं हो पायी है। आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, उस परियोजना को पूरा कराने का कष्ट करें। दूसरी बड़ी समस्या हमारे जनपद चन्दौली की है जो बना तो दिया गया है लेकिन विकास के नाम पर वह जीरो है। वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वहां के किसानों का विकास हो सके। दूसरी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है। जो विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा है वह एक बाजार भी है। जिसकी जनसंख्या 15 हजार के लगभग है। वह एक तहसील भी है। हम चाहते हैं कि इस तहसील को नगर पंचायत घोषित करके इस तहसील का विकास कराने का काम किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, अभी बहुत से सदस्यगण बोलने के लिए हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर लगभग 100 लोग बोले हैं। बाकी जो नये सदस्य बच रहे हैं, उनको मैं यह बता दूं कि पांच तारीख से यानी 5, 6, 7, 8 यह चार दिन जैसे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जनरल चर्चा हई है, बहस हुई है, ऐसे ही उसमें भी जनरल चर्चा/बहस होगी।

अतः उसमें जितने नये मा0 सदस्य बच गये हैं पहले उनको बुलवा लिया जायेगा, तब दूसरे को अवसर दिया जायेगा, इसलिए अब आप लोग बैठ जाएं क्योंकि आज इस पर मतदान भी कराना है और अगले तीन दिन की बन्दी है, तीन दिन सदन स्थगित रहेगा, तीन दिन के लिए लोग घर जायेंगे, आज बहुत से लोगों के घर तिलक भी है, शादी भी है।

श्री जय प्रकाश-

क्या उस दिन भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, मैं आपको इस विषय के बारे में बता दूं, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चार दिन जनरल बहस होती है जिसमें विधायक अपने क्षेत्र की समस्या और अपनी बात कहता है, कोई श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को जोड़ कर नहीं कहता है। ऐसे ही जनरल बहस बजट पर होगी। तो आप अपने क्षेत्र की बातें तथा अपनी बातें उसमें भी उसी तरह से कह सकते हैं जैसे इसमें कही हैं, इसलिए अब आप लोग छोड़िये, जो बच गये उन्हें हम अगली बार बुलवायेंगे, बहुत बुलवाया हमने आप लोगों को, अब आप सब लोग बैठ जायें।

श्री जय प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी आवाज माईक में नहीं रही है, आप लिख कर दे दें, जो बोलना हो।

श्री जय प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंनें लिख कर दिया हुआ है, लेकिन उस पर बोलने का अवसर मुझे अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सदन की एक मर्यादा होती है, उसका सभी को पालन करना चाहिए, इसलिए अब आप बैठ जाइये, फिर बहस चलेगी, उसमें आप बोल लीजिएगा।

श्री योगोश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया था, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुझे इस सम्मानित सदन में मौका मिला था। मैं मा0 अध्यक्ष जी स्वयं आपको, मा0 नेता सदन, मा0 मुख्य मंत्री जी को, सम्मानित नेता भाजपा मा0 श्री हुकुम सिंह जी को, सम्मनित नेता कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी जी को, सम्मानित नेता लोकदल श्री दलवीर सिंह जी को और सम्मानित नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और सभी सम्मानित दलीय नेताओं का तथा सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय सदस्यगण आप सबका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि

जो आंकड़े मेरे सामने हैं इस सदन में चाहे मा0 नये निर्वाचित विधायक रहे हों चाहे वह हमारे वरिष्ठ मा0 विधायक रहे हों इस बार आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, इस बार 104 सम्मानित विधायकों द्वारा अपने विचार यहां इस सदन में रखे गये हैं। अभी मैं पिछला आंकड़ा देख रहा था वर्ष 2007 में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मात्र तीन सम्मानित विधायकों द्वारा अपनी बात रखी गयी थी, वर्ष 2008 में 43 सम्मानित सदस्यों द्वारा अपनी बात रखी गयी थी, वर्ष 2009 में केवल मात्र 19 मा0 विधायकों द्वारा सम्बन्धित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी गयी थीं, वर्ष 2010 में मात्र 42 विधायकों द्वारा यहां अपनी बात रखी गयी थी और वर्ष 2011 में मात्र 27 माननीय विधायकों द्वारा अपनी बात इस सदन में रखी गयी थी। आज इस सदन में 104 सम्मानित विधायकों के द्वारा अपने विचारों को इस सदन में रखा गया है। हमारी सरकार की यही तो खुली नीति है, मा0 मुख्य मंत्री जी जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं जिन्होंनें आते ही इस सदन को, पूरे प्रदेश को आवाज देने का काम किया है। हम आये हैं, एक बदलाव की बयार को लेकर आये हैं और मैं तो बधाई देना चाहूंगा अब कि अपने विपक्ष के सम्मानित विधायकों को जिन्होंनें इस बार परम्परा से हट करके जिन्होंने इस बार नयी परम्परा स्थापित की है। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता जी मा0 हुकुम सिंह जी की हो, उन्होंने शुरू में ही कहा मैं दो ढाई महीने की सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं सरकार को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं,, उन्होंने अपने सुझाव दिये। उनके सुझाव गेहूं खरीद के सम्बन्ध में थे, विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में थे, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में थे। उसी तरह से मा0 नेता कांग्रेस, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये उन्होंने अपना एक नया फार्मूला पेश किया कि इस प्रदेश के 403 विधान सभा क्षेत्रों को एक समान निगाह से देखा जाये और पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जाये। उन्होंने बिजली की भी बात कही। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उनका आह्वान किया था कि हमने आपकी परमाणु समझौते पर मदद की थी।

आज इस प्रदेश को आवश्यकता है आपकी मदद की। आप हमें कोल लिंकेज दिलाइये, उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि भारत में बैठी हुयी सरकार कांग्रेस की सरकार है और हम कोल लिंकेज के बारे में प्रयास करेंगे। इसी तरह से मा0 सीमा द्विवेदी जी ने मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो अपना विचार प्रस्तुत किया गया था उसकी और राज्यपाल जी के अभिभाषण की भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसान दुर्घटना बीमा योजना को एक लाख से बढ़ा कर पांच लाख करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसी तरह से अभी हमारे बसपा के साथी जो लखीमपुर से विधायक चुन करके आये हैं उन्होंने बाढ़ की तैयारी के सम्बन्ध में अपने विचार रखे थे, उन्होंने कहा कि सांप के काटने के इंजेक्शन चाहिए, बाढ़ से हमारे यहां जो विभीषिका आने वाली है, उसके लिये तैयारी कीजिये। हमारे सम्मनित मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री की सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ है और हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश में कहीं निकले हैं तो सबसे पहली बार लखीपुर गये हैं। बाढ़ की इतनी विभीषिका है, बाढ़ को कितना वजन दिया जाता है। हमारे सम्मानित सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं इस सदन में। आप दोनों लोग गये वहां, आपने वहां से ले करके गोण्डा, बहराइच, देवरिया और बलिया तक की जो हमारी बाढ़ से पीड़ित पूरी पट्टी है। उस पट्टी को कहीं न कहीं बाढ़ से संरक्षित करने का हमारी सरकार का संकल्प है। मेरा पूर्ण

विश्वास है कि जो हमारे सम्मनित सिंचाई मंत्री जी हैं। ये एक कर्मशील व्यकित हैं, मुझे याद है कि जब क्षेत्र में मैंने एल्गिन ब्रिज चड़सरी बांध बनवाया था समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 42 किलोमीटर लम्बा एल्गिन चड़सरी बांच बना था। सकसेर से ले करके भिखारीपुर तक 14 किलोमीटर लम्बा बांध बना था। वह न 2006 में टूटा, न 2007 में टूटा, न 2008 में टूटा और जब उस बांध के नाम पर भारी भ्रष्टाचार और लूट की गयी तो बांध 2009 में टूटा, 2010 में टूटा और 2011 में टूटा और मा0 सिंचाई मंत्री जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, मैंने आपसे अनुरोध किया, आपने मौके पर जा करके बाढ़ की विभीषिका को देखने का काम किया। आपने गरीबों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाने का काम किया। उसके एक साल पहले सगरौर-भिखारीपुर बांध टूटा था। तब हमारे आज के मा0 मुख्य मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष उस समय हमारे साथ उस बाढ़ की विभीषिका में गये थे। कमर-कमर पानी में घुस करके उन्होंने गरीबों के दुःख दर्द को देखने का काम किया था। आज हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और आज मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो बाढ़ की तैयारी की बात कही है, उसमें मा0 मंत्री जहां तक मुझे जानकारी है, कल भी आप बाढ़ के दौरे पर निकल रहे हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आप जा रहे हैं तो हमारी सरकार बाढ़ में गंभीरता से काम कर रही है और मा0 राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाढ़ की तैयारी में अभी से ही पीएचसीज़ पर सांप काटने के इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश आपने दिये हैं जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, सदन के समक्ष उसको रखना चाहता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने अपने विचार रखे, उन्होंने सरकार की योजनाओं की तारीफ की। साथ ही साथ यह भी कहा कि बुन्देलखण्ड जो प्रदेश का भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां से अधिकतम राजस्व आता है। उस राजस्व में बंटवारे की बात आपने रखी। यह आपकी तरफ से एक सार्थक प्रस्ताव है। मा0 विधायक कांग्रेस कौशल सिंह जी ने अभी जो प्रथम दिन यहां अभिभाषण पर जिस तरह से महामहिम राज्यपाल पर और महामहिम राज्यपाल के पीछे जो बहुत बड़ा आदमकद चित्र लगा है जिसके आगे देश ही नहीं पूरा विश्व झुकता है। महात्मा गांधी जी के उस चित्र पर जो गोले फेंके गये हैं, उनको कहीं पीड़ा हुई, उस बात को कल उन्होंने रखने का काम किया। उन्होंने कहा इसके लिये जो लोग दोषी हैं, उन्हें कहीं न कहीं इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। वो गोले महामहिम राज्यपाल पर नहीं फेंके गये, वो गोले महात्मा गांधी जी पर चले, अम्बेडकर जी पर चले, उनके सिद्धान्तों पर चले। आज मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की परम्पराओं पर हमें विचार करके, बात करके, इसको रोका जाना चाहिए। हमने इसकी शुरूआत की थी। नेता प्रतिपक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 2007 में जब वे नेता प्रतिपक्ष थे और इधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मा0 मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, वर्ष 2007 में उस समय समाजवादी पार्टी के एक भी विधायक ने अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। सारे लोगों ने पूरे धैर्य से पूरी तन्मयता से उसको सुनने का काम किया था।

उसके बाद जो तथ्यात्मक आलोचना हो सकती थी, जो सकारात्मक आलोचना हो सकती थी, उसको करने का काम किया। इस परंपरा को हम चाहते हैं कि यह आगे बढ़े इससे सदन की मर्यादा बढ़ेगी। साथियों आज आप वहां नहीं होंगे लेकिन जो मर्यादाएं हम स्थापित करेंगे, उन

मर्यादाओं का संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। संदेश इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। हमारे सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके विचार बहुत उग्र हैं, आपकी भावनाएं बहुत उग्र हैं, आप हर चीज को बहुत मजबूती से कहते हैं, लेकिन आप हम लोगों से वरिष्ठ हैं, आप जो रास्ता हम लोगों को दिखाएंगे, वह हमारे लिए प्रेरणा देने वाला होगा। प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ था नए विधायकों का उनसे कहा गया था कि अपने बड़ों से सीखिए, वरिष्ठ विधायकों से सीखिए। हमारे वरिष्ठ विधायकों का सम्मानित साथियों का वहां पर भाषण हुआ। वह भाषण सबने सुना तो भाषण तो दूसरे थे कृत्य दूसरा है। कहीं न कहीं कथनी और करनी में एका होना चाहिए। मैं आप सबसे कनिष्ठ होने के नाते भी आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। श्री अविनाश दूबे जी ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि दो महीने की सरकार में हमारे यहां कई नक्सलियों का सफाया हुआ। एक सकारात्मक संदेश जो पूरे प्रदेश में गया था, उसको उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में रखने का काम किया था। आज मैं अभी बैठा सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की विधायिका बिमला सिंह जी ने अपने विचारों में मा0 मुख्य मंत्री जी की तारीफ और यह कहा कि मा0 नए मुख्य मंत्री जी के आने पर हवा का एक नया झोंका आया है और वह हवा का झोंका विचारों का झोंका है, वह हवा का नया झोंका वह विकास का झोंका, वह हवा का नया झोंका नई सोच का झोंका और उस झोंके में कल तो सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी अब एक दल के नेता नहीं रह गए हैं, अब वह नेता सदन हैं। सम्पूर्ण सदन के नेता हैं, तो अगर हमसे अच्छाई हो तो हमारी पीठ भी ठोकीं जानी चाहिए और अगर हमसे बुराई हो तो हमारी आलोचना भी की जानी चाहिए। मैं सम्मनित सभी प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि इस तरह की परपंरा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने स्थापित की है। इस तरह की परम्परा कांग्रेस के हमारे साथियों ने स्थापित की है। मैं चाहता हूं कि वह बयार कहीं-न-कहीं इस तरफ भी चलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वह चीजें कहीं-न-कहीं इस तरफ बसपा की ओर भी जानी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

बसपा के लोगों ने भी बड़ी तारीफ की है।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैय्या-

कुछ लोगों ने इन बातों को कहा लेकिन दबे मन से कहा, दबी जुबान से कहा। यह लोकतंत्र है, मैं नाम नहीं लूंगा। साथियों हम और आप विधायक चुन कर आए हैं, हमारा और आपका स्वाभिमान है, हमारी और आपकी इज्जत है और साथ-ही-साथ इस लोकतंत्र के प्रति हमारा और आपका दायित्व भी है। अपने क्षेत्र की जनता का हमारे ऊपर कहीं-न-कहीं अहसान है कि उनके विचार उनकी भावनाओं को लेकर हम यहां आते हैं। उनके विचारों को यहां कहने की बात आती है। अभी मैं बैठा था, बुछ सम्मानित प्रतिपक्ष के विधायकगण हमारे साथ बैठे थे, कुछ लोगों ने सवाल किया बताइये हैण्डपम्प में हमारा हिस्सा लगेगा कि नहीं, सड़क में हमारा हिस्सा लगेगा कि नहीं, बिजली में हमारा हिस्सा लगेगा कि नहीं तो हमने कहा कि बिल्कुल लगेगा। यह सामजवादी पार्टी की परम्परा रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव, मा0 अखिलेश यादव जी की

परम्परा रही है कि हमने कभी विकास की योजनाओं के बंटवारे मे भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है और हमने तो भेदभाव झेला है, हमने जरूर झेला है किसी को सड़क नहीं मिली, किसी को हैण्डपम्प नहीं मिले, किसी को बिजली नहीं मिली, किसी की बातें नहीं सुनी गईं। अभी एक मा0 पूर्व मंत्री जी दो दिन पहले अपने विचारों को अपने कष्ट को, इस सदन के समक्ष रख रहे थे। सुन के हम लोगों के मन में एक विचार, एक भावना आ रही थी कि आपने पांच वर्ष कितने मौज में बिताए हैं और एक महीना बीतते-बीतते आपका सारा मनोबल गिर गया, आपकी सारी चीजें गिर गईं।

(श्री योगेश प्रताप सिंह के सत्ता पक्ष के एक अन्य सदस्य से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बात न करें यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैय्या-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय विधायकों के विचारों का मैं संकलन कर रहा था। उनका मैं पाठन कर रहा था। उनको मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ने का काम किया। एक-एक विधायकगण जी के जो विचार आए हैं, उन विचारों को मैंने लिपिबद्ध करने का भी काम किया। मान्यवर, सबसे मूलभूत समस्या बिजली की आपूर्ति की यहां पर उठी उसकी कमी की उठी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल उन्होंने जब अपना भाषण अभिभाषण पर देना प्रारम्भ किया तो यही कहा कि मैं योगेश प्रताप सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनके इन शब्दों ने मुझे हृदय से मजबूत करने का काम किया है। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाने का काम किया।

मान्यवर, आज सदन में पूर्वाह्न ग्यारह बजे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का वर्ष 2012-13 का आय-व्ययक प्रस्तुत करने का काम किया। अब उसके प्रस्तुत हो जाने से कोई चीज अधूरी नहीं रह गयी है। चाहे बिजली की बात हो या नई योजनाओं की बात हो सारी चीजों को उन्होंने बजट में साफ तौर पर रखा है और इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों ने उसे बड़े धैर्य के साथ सुनने का काम किया है। मान्यवर, बिजली की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार गठित थी उस सरकार के मंत्रि-मंडल ने दादरी परियोजना को शुरू करने का काम किया था और उसमें यह निश्चय हुआ था कि उत्तर प्रदेश को इससे 2011 तक चौबीस घण्टा बिजली मिलना शुरू हो जायेगी। लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण वह दादरी परियोजना को लगने नहीं दिया गया। अगर वह दादरी परियोजना लग गयी होती तो प्रदेश को 24 घण्टे बिजली देने का सपना काफी हद तक साकार हो जाता। पांच वर्ष तक उस परियोजना पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। पिछले पांच सालों में प्रदेश में एक मेगावाट का उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। उस दौरान केवल नौ एम0ओ0यू0 साईन करने का काम हुआ है और उससे जनता को धोखा देने का काम हुआ है। उसकी अवधि डेढ़ वर्ष की है और उसकी समाप्ति में भी लगभग डेढ़ दो माह का समय ही बचा है। वह सारे एम0ओ0यू0 समाप्त होने जा रहे हैं। मान्यवर, जो हमारी परियोजनायें अधूरी

पड़ी हुई हैं उनको कहीं से कहीं किसी सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस बारे में कल अपने भाषण मे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी है। मान्यवर, केवल बिजली विभाग के मामले में कहना चाहता हूं कि 25 हजार करोड़ का घाटा हमारी सरकार को विरासत में मिला है। इसमें 18 हजार करोड़ रु0 बिजली का है और 7200 करोड़ रु0 दूसरी चीजों का है। इसके बावजूद भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और यह संकल्प लिया है कि अगले दो वर्षों के भीतर प्रदेश को 24 घण्टे बिजली देने का काम किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हमारी पार्टी की सरकार आने से जो हमारा विश्वास बढ़ा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण द्वारा और इस बजट प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रदेश की जनता को संदेश देने का काम किया है और यह कहा है कि हम प्रदेश के विकास के लिये काम करेंगे। बिजली वितरण के दोनों फीडर हमारी सरकार अलग-अलग करने जा रही है। किसानों के लिए अलग होगा और आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग होगा। क्योंकि किसानों की जरूरतें अलग प्रकार की हैं। मान्यवर, जहां तक गेहूं खरीद का मामला है, यह बातें आयी हैं कि क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद नहीं हो रही है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जाकर निरीक्षण किया है और निर्देश दिये हैं। आप पुराना कोई ऐसा उदाहरण बता दें जब कोई मुख्य मंत्री स्वयं निरीक्षण के लिये इस तरह से गये हों। हमारे सम्मानित मंत्रि-मण्डल के सभी वरिष्ठ सदस्य चाहे माननीय आजम साहब हों, चाहे माननीय शिवपाल सिंह जी हो, चाहे माननीय आनन्द सिंह हों, चाहे माननीय अम्बिका चौधरी जी हों, चाहे बलराम सिंह यादव जी हों, माननीय अवधेश प्रसाद जी हों, सारे लोग एक-एक जनपदों में गये और वहां जा करके गेहूं क्रय केन्द्रों को देखने का काम किया और कम से कम 70 कर्मचारी, अधिकारी दंडित किये जा चुके हैं जिन्होंने गेहूं की खरीद में कहीं न कहीं गड़बड़ी की है। आज हम खरीद में क्यों त्रस्त हैं आज एक दिन में बोरे नहीं आ जायेंगे, सबसे बड़ी समस्या बोरों की है, बोरा क्यों नहीं आपूर्ति हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है माह जनवरी में बोरे की आपूर्ति के आदेश हो जाना चाहिए थे, टेण्डर हो जाने चाहिए थे। सरकार परिवर्तित होती रहती है, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं लेकिन हमको लगता है पूर्ववर्ती सरकार के मन में रहा होगा कि अपने कर्मों से हमें दोबारा लौट कर नहीं आना है। इसलिए उन्होंने व्यवस्था नहीं की, बोरों की आपूर्ति का आदेश नहीं दिया और जब 15 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी के मंत्रि-मण्डल ने शपथ ली, माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ ली उसके बाद में बोरे आपूर्ति का आदेश दिया गया, उसके बाद में बोरे आपूर्ति की व्यवस्था की गयी। यहां से अधिकारियों को कोलकत्ता भेजा गया, कोलकत्ता से बाईरोड बोरे मंगा करके इस प्रदेश के किसानों के गेहूं को खरीदने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक-एक कुन्तल गेहूं हमारे जितने भी कृषक बंधु हैं उनका यह सरकार खरीदेगी और समय से उसका भुगतान करेगी।

कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा हल्ला होता रहता है। हमारे कुछ साथी जब हम लोग सत्ता में आते हैं तब यह लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आ गयी अब कानून व्यवस्था बिगड़ जायेगी। लेकिन मैं उनको कानून व्यवस्था की तरफ आइना जरूर दिखाना चाहता हूं,, कल हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने थोड़ा सा आइना दिखाया

था। मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था इस प्रदेश में सुधरी है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। जो व्यक्ति इसमें आड़े आयेगा वह जितना बड़ा क्यों न हो, उससे समाजवादी पार्टी झुकने डरने का नाम नहीं लेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम भी पूर्वान्चल के हैं आप भी वहां के हैं गन्ना किसानों की बात न आये तो पूर्वान्चल की बात अधूरी रह जाती है। गोण्डा, बस्ती से लेकर देवरिया और कुशीनगर यह पूरे क्षेत्र में आल गन्ना किसानों में पिछले 5 वर्षों से हाहाकार मचा हुआ है। सारी चीनी मिलें हमारी बन्द कर दी गयी हैं। जो बची हुई चीनी मिलें हैं उनको बेच लिया गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चीनी मिलों का हम समय से संचालन करेंगें इन चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करेगें और साथ गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान कराने का प्रयास भी सुनिश्चित करेगी। भ्रष्टाचार पर यह सरकार अंकुश लगायेगी। ब0स0प0 की सरकार में संगठित भ्रष्टाचार था। बिल्कुल संगठित भ्रष्टाचार था नीचे से ऊपर तक श्रेणी तय थी इस संगठित भ्रष्टाचार को रोकने और बन्द करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और अधिकारी जो अभी तक निरंकुश थे जो सम्मानित विधायकों से भी कह देते थे कि देखिये इसमें आप बात मत कीजिएगा इसमें मैंने ऊपर से बात कर रखी है। अब ऊपर वाली परम्परा बन्द हो गयी है अब नीचे परम्परा शुरू हो गयी है अब ऊपर से बात करके कोई काम नहीं होगे अब नीचे से बात करके काम होंगे यह समाजवादी पार्टी का संकल्प है।

सार्वजनिक जीवन में कहीं न कहीं सुचिता का समावेश होना चाहिए। जब तक हम व्यक्तिगत जीवन में अपने सुचिता नहीं लायेगें तब तक सार्वजनिक जीवन सुचिता की तरफ नहीं बदलेगा। मैं यहां बैठे सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि राजनीति में आज हम लोग बसों में बैठते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं या कहीं सार्वजनिक स्थान में बैठते हैं तो उसमें अंगुलिया सबसे ज्यादा किसी की तरफ उठती है तो वह नेताओं की तरफ उठती हैं और हमें पीड़ा होती हैं देख करके कि हम लोगों को गलत निगाह से देखा जाता है इसमें सुधार करने का दायित्व हमारा और आपका है। इसमें सुधार करने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक सुचिता के साथ-साथ लोकतांत्रिक परम्पराओं का भी हमें निर्वहन करना है। अभी तक लोकतांत्रिक परम्पराएं मृतप्राय कर दी गयी थीं, जनता अपनी बात नहीं कह सकती थी। मैं इस प्रदेश में मंत्री भी रहा हूं क्षेत्र का विधायक भी रहा हूं। मैं बैठा था झारखण्ड में और मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया कि मैंने एक सम्मानित नेता के होर्डिंग के साथ अभद्र व्यवहार किया है। होर्डिंग के साथ अभद्र व्यवहार कैसे हो सकता हैं, मैनें बाद में जाना, मैं तो जानता भी नहीं था और कम से कम नौ धाराओं का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया। चलिये, यह तो जीवन है, चलता रहेगा और जो जैसा करेगा, वैसा पायेगा। अंत में कहना चाहता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव मैंनें रखा था, उसके पक्ष में जिन्होनें अपनी बात रखी है, उनकों भी धन्यवाद दूंगा और जिन्होंने विपक्ष में अपनी बात रखी है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इसके माध्यम से एक सार्थक चर्चा, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से और माननीय नेता सदन की कृपा से 4 दिन तक इस सदन में हुई है। इस सम्बन्ध में एक नाम को मैं कैसे छोड़ दूं, छोड़ दूंगा तो अन्याय होगा। माननीय उदयराज यादव जी का, जिन्होंने मुझे सम्बल प्रदान किया और और ताकत दी और सबसे पहले मेरे प्रस्ताव का समर्थन उन्होंने किया है, हमारे वरिष्ठ साथी भाई उदयराज यादव जी के प्रति मैं हृदय से सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी बैठे सम्मानित

सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह बात राजनैतिक थी कि मैं पक्ष में हूं और आप विपक्ष में हैं, आपका धर्म है संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना, लेकिन अगर आपका हृदय, आपकी भावना, आपका विचार कहीं माननीय मुख्य मंत्री जी के कृत्यों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुका हो तो मैं चाहता हूं कि संशोधन का प्रस्ताव वापस लेकर, यह सदन सर्वसम्मति से महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास करें ताकि एक नई परम्परा की शुरूआत हो। नई चीज कहीं न कहीं से शुरू करनी पड़ती है और नई चीजों को शुरू करने के लिये कहीं न कहीं से प्रारम्भ होता है तो यह प्रारम्भ इसी सदन से शुरू हो आज से हो और अभी से हो। मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता प्रतिपक्ष के लिये दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ''मेरी जिन्दगी यही है कि हर एक को फैज पहुंचे, मैं चिरागे रहगुजर हूं मुझे शौक से जलाओ'' धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेगें ? मेरा अनुरोध है कि आप वापस लेगें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, संशोधन प्रस्ताव वापस करने की तो गुंजाइश ही नहीं रही क्योंकि जिस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भाई योगेश प्रताप जी और भाई उदयराज यादव जी ने अपनी बात रखी, उन्होनें बहुत ही साफगोई से अपने पापों को छुपाने का काम किया है और इन्होनें बहुत ही ईमानदारी से [xxx] को सही साबित करने की कोशिश की है। यह कहते हैं कि बिजली पर 25 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। मैं कह रहा हूं कि यह सही है लेकिन वर्ष 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो 14 हजार करोड़ कर्जा इन्हीं की सरकार छोड़कर गई थी। इस प्रकार 25 हजार करोड़ में से 14 हजार करोड़ तो समाजवादी पार्टी सरकार का है।

श्री अध्यक्ष-

यह बताइये कि आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेगें कि नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दूसरा सफेद [xxx] कि इन्होनें फीडर अलग करने की व्यवस्था की है। किया हमारी सरकार ने, वाहवाही यह लूट रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में फीडर परिवर्तन का काम हो चुका है और मान्यवर, यह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है।

(सत्तापक्ष की ओर से शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी भाई योगेश प्रताप जी ने कहा कि हमेशा बड़ों से सीखना चाहिए और मैं तो सीखता हूं, मैं बहुत नकल करने में माहिर हूं। यदि पढ़ाई-लिखाई में नकल नहीं कर पाया तो राजनीति में ही सही हमने बड़ों से सीखने की कोशिश की है। वर्ष 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जब पहली बार श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण आया तो उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी यहां पर बैठे थे और उनके बगल में वर्तमान

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे थे, उसके बाद वर्ष 2008, 2009, 2010,, 2011 सभी सत्रों में समय-समय पर नेता विरोधी दल चाहे वह वर्तमान संसदीय कार्यमंत्री जी हों या हमारे दूसरे बड़े भाई शिवपाल सिंह यादव जी हों, नेता विरोधी दल रहे और मान्यवर, उस समय इत्तफाक से आप भी मा0 सदस्य के रूप में साथ बैठते थे। मान्यवर, किस तरह से सदन को समय-समय पर बाधित किया जाता रहा है, कितना ये लोग व्यवधान करते रहे हैं, मैं तो उसका 1/10 प्रतिशत भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके निर्देश पर सदन के संचालन मे आपका पूरा-पूरा सहयोग कर रहा हूं। मान्यवर, मैं संशोधन वापस कर लेता लेकिन जो आज पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में हत्याएं हो रही हैं, सैकड़ों बहन-बेटियां बलात्कार की शिकार हेा रही हैं, वह बहुत ही दुःखद है। मान्यवर, अभी कल ही जनपद मुरादाबाद मे एक पूर्व विधायक की पोती सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई और उसने ग्लानि से आत्महत्या कर ली। इसी सदन के एक वर्तमान माननीय विधायक के बेटे की हत्या दिन-दहाड़े हुई। जिस कानूनराज की दुहाई आप दे रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में 6-6 हत्याएं हो जाती हैं। आज इंसाफ कैसे मिलेगा, थाने में हमारी बहन-बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, यह बतायें कि आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, इसी ढाई महीने के अन्दर लगभग डेढ़ दर्जन बैंकों में लूट हो गई। इसी ढाई महीने के अन्दर 15 थानों में आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसी ढाई महीने के अन्दर एक दर्जन अधिकारियों को उनके कार्यालयों में घुसकर मारा गया। कई अधिकारियों की मौत हो गई और एक दरोगा भी मौत के घाट उतारा गया। चूंकि सरकार की कोई दृढ़ इच्छा नहीं है कि इस अराजकता पर अंकुश लगे इसलिए जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर मैं बल देता हूं और साथ ही साथ जो माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोले हैं उन माननीय सदस्यों ने जो भी अपने क्षेत्रों की समस्या प्रस्तुत की है उसे संशोधन प्रस्ताव में जोड़ लिया जाए। मान्यवर, मैं तो उनकी वकालत कर रहा हूं। इस तरह से मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और सभी माननीय सदस्य चाहे वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद।

(सदस्य श्री रिज़वी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय रिज़वी साहब, कृपया बैठ जाएं।

श्री जियाउदद्दीन रिज़वी-

इनके कितने एम0एल0ए0 बलात्कार के आरोप में जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष-

रिज़वी साहब बैठिये।

श्री उदयराज-

श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर मैं केवल एक-दो चीजें मा0 नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उदयराज जी, अब यह स्पष्टीकरण मांगने की परम्परा नहीं है।

*श्री उदयराज-

मान्यवर, यह कानून-व्यवस्था पर लगातार डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं लेकिन कोई भी स्पैसिफिक घटना का उल्लेख मा0 नेता विरोधी दल ने नहीं किया है कि कहां इस तरह की घटनायें हुई हैं। दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल ने बड़े साफ तरीके से एक चीज कहीं थी कि डा0 वी0पी0 सिंह, डा0 आर्या और डा0 सचान की हत्या, दो सी0एम0ओ0 और एक डिप्टी सी0एम0ओ0 थे, कहा था कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर सी0बी0आई0 जांच हुई थी। मान्यवर, आप भी जानते होंगें कि जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सी0बी0सीआई0डी0 से सही जांच होना सम्भव नहीं है तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्य मंत्री को लगा कि यह विवेचना निश्चित रूप से सी0बी0आई0 को दे दी जायेगी, तब ताबड़तोड़ एक दिन पहले मामले की जांच सी0बी0आई0 को सौंपने का काम किया। दूसरे दिन जब हाईकोर्ट का निर्णय आया, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता विरोधी दल बराबर सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट का जब निर्णय आया तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब तक पूरे प्रकरण का एन0आर0एच0एम0 घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से नहीं करायी जायेगी तब तक यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उदयराज जी, यह संसदीय परम्परा नहीं है, अब बैठिये। आपके प्रस्तावक ने अपनी बात कह दी, मौर्या जी ने अपनी बात कह दी अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री उदयराज-

मान्यवर, एक बात और जानना चाहता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल ने तमाम महाभ्रष्टों का जिक्र किया था....

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, क्या कर रहे हैं उदयराज जी यह कोई परम्परा है क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उदयराज यादव जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरे पास सारी की सारी घटनाओं की सूची है और तारीख के साथ है, किस थाने में दर्ज है....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब आप बैठ जाइये।

(इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म हो जाने दीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आप ऐसा करेंगें, संसदीय कार्यमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब सारी बातें आ गयीं, प्रस्ताव पर मतदान हो जाए। चलिये, अब आपको जो कहना हो वह कहिये, बोलिये।

(संसदीय कार्यमंत्री द्वारा अपनी बात न कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता, विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन-प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः--

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया हैः--

1-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के सम्बन्ध में,

2-महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में,

3-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के सम्बन्ध में,

4-सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना के सम्बन्ध में,

5-उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में,

6-मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

7-मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में।

8-उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9-उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

10-उत्तर प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

11-उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

12-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में, तथा

13-जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत जोगापुर पम्प कैनाल चालू कराने के सम्बन्ध में।''

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन-प्रस्ताव माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए हुए माने गए हैं अस्वीकृत समझे जाएंगे।

प्रश्न यह है कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 28 मई, 2012 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईः--

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना में किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में पावर कार्पोरेशन लि0 के लिये वर्ष 2010-11 में स्वीकृत धनराशि से मलिन बस्तियों में अब तक विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत करोहा में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री शमशेर बहादुर (शेरू भैय्या) की लखनऊ से सीतापुर नेशनल हाइवे पर सिधौली अटरिया के पास डी0एस0सी0 कम्पनी द्वारा नियम विरुद्ध टोल टैक्स की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, तथा पांचवी सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय गांवों में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों को उनके मूल निवास स्थान से कहीं अन्यत्र विस्थापित करने का दबाव बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है :-

पहली सूचना श्री अजय मिश्र टेनी की लखीमपुर खीरी में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल लिमिटेड बिलरायां द्वारा कृषकों से की गयी कटौती की धनराशि से महाविद्यालय का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसी सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की मेसर्स प्रीमियम कांस्ट्रक्शन कम्पनी की इन्दिरा नगर, लखनऊ की जमीन पर आवास विकास परिषद द्वारा की गयी जालसाजी के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की गोरखपुर के विकास खण्ड गगहा व विकास खण्ड बड़हलगंज तथा

विकास खण्ड विरैई के गांवों में भीषण अग्निकाण्ड होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चंदौली में भूपौली जीर्णोद्धार परियोजना सन् 2003-04 को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पांचवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के 35 गांवों में राशन व मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में हैं।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है :-

पहली सूचना श्री अमित गौरव की लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित सेक्टर-22 कालोनी में आवास विकास के पुराने गोदाम पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना ठा0 दलवीर सिंह की अलीगढ़ सहित प्रदेश के समस्त जिलों के गेहूँ क्रय केन्द्रों की सीमा 30 जून तक निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राधेश्याम सिंह की कुशीनगर के गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चाथी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के मधुबन स्थित ब्लाक फतेहपुर, बलिया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पांचवी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद-झांसी में संचालित ग्रेनाइट क्रेशरों से निकलने वाली डस्ट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री अजय कुमार लल्लू,

2-श्री रमेश चन्द्र,

3-श्री धर्मपाल सिंह,

4-श्री मनीष असीजा,

5-श्री सुरेश बंसल,

6-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

7-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

8-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

9-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

10-डा0 धर्म सिंह सैनी,

11-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,

12-श्री संजय कपूर,

13-श्री गोरख पासवान,

14-श्री प्रमोद तिवारी,

15-श्री विजय बहादुर यादव,

16-श्री कालीचरन सुमन,

17-श्री प्रदीप माथुर,

18-श्री पंकज कुमार मलिक,

19-श्री मदन चौहान,

20-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

21-श्री छोटेलाल वर्मा,

22-श्री वीरपाल राठी,

23-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

24-श्री जय प्रकाश अंचल,

25-श्री जियाउद्दीन रिज़वी,

26-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा),

27-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

28-डा0 अरूण कुमार,

29-श्रीमती सीमा द्विवेदी,

30-श्री गेंदालाल चौधरी,

31-श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलास डेरी वाले),

32-श्री बजरंग बहादुर सिंह,

33-श्री दजजीत सिंह,

34-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',

35-श्री जय प्रकाश निषाद तथा

36-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ मामा पाण्डेय

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 5 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 03 बजकर 34 मिनट पर मंगलवार 05 जून, 2012 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 01 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 178 विधान सभा (323)-28-8-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।